# अण्डमान तथा Andaman And



# निकोबार राजपत्र Nicobar Gazette

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 110, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 1 जून, 2004 No. 110, Port Blair, Tuesday, June 1, 2004

### अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन सचिवालय

### अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 1 जून, 2004

सं. 103/2004.—अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण विनियम, 2003 (2003 का सं. 1) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा उक्त विनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

#### अध्याय-।

### प्रारम्भिक

#### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

- क) इन नियमों को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण नियम, 2004 कहा जा सकेगा ।
- ख) इसका विस्तार अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के सम्पूर्ण प्रादेशिक जल क्षेत्र सीमा तक होगा ।
- ग) ये इसके अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

#### 2. परिभाषा :-

इन नियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) ''अधिनिर्णय अधिकारी'' से मत्स्य निदेशक, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह अभिप्रेत है ।
- (ख) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत हैं जो सहायक मत्स्य निदेशक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा ।
- (ग) ''अध्याय'' ''धारा'' ''उप धारा'' तथा ''खण्ड'' से विनियम के अध्याय, धारा, उप धाराएं तथा खण्ड अभिप्रेत है ।
- (घ) ''मत्स्य निदेशक'' से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का मत्स्य निदेशक अभिप्रेत है ।
- (ङ) ''मत्स्य उद्योग अधिकारी'' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत हैं जो सहायक मत्स्य उद्योग गार्ड की पंक्ति से नीचे का न हो लेकिन सहायक मत्स्य उद्योग विकास अधिकारी की पंक्ति से ऊपर का नहीं होगा ।

# अण्डमान तथा

### Andaman And



# निकोबार राजपत्र

### Nicobar Gazette

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 110, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 1 जून, 2004 No. 110, Port Blair, Tuesday, June 1, 2004

## ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION SECRETARIAT

#### NOTIFICATION

Port Blair, dated the 1st June 2004

No. 103/2004/F.No. 5-1(276)/2002-Dev-I.— In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation, 2003 (No.1 of 2003) the Lt. Governor, Andaman and Nicobar Islands (Administrator) hereby makes the following rules for carrying out the purposes of the said Regulation:-

### CHAPTER - I

#### PRELIMINARY

#### 1. Short title, extent and commencement :-

- (a) These rules may be called the Andaman & Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004.
- (b) It extends to the whole of territorial waters of Union Territory of Andaman & Nicboar Islands.
- (c) It shall come into force with effect from the date of its publication in official Gazette of Andaman & Nicobar Administration.

#### Definitions:-

In these rules, unless the context otherwise requires :-

- (a) "Adjudicating Officer" means the Director of Fisheries, Andaman and Nicobar Islands.
- (b) "Authorized Officer" means an Officer not below the rank of an Assistant Director of Fisheries.
- (c) "Chapter", "Section", "Sub Section" and "Clause" means the Chapter, Section, Sub Section and Clause respectively of the Regulation.
- (d) "Director of Fisheries" means Director of Fisheries, Andaman and Nicobar Islands.
- (e) "Fishery Officer" means an Officer not below the rank of Assistant Fisheries Guard but not above the rank of Assistant Fisheries Development Officer.
- (f) "Principal Fishing Base" means a fishing harbour, or a fish landing centre or a fishlanding jetty, wherefrom a fishing vessel normally or mostly operates for marine fishing and the place in relation to which registration and or fishing licence is granted to a fishing vessel.
- (g) "Public purpose" means any purpose having connection with or being connected

- (च) "प्रमुख मत्स्यहरण बेस" से मत्स्यहरण बन्दरगाह, अथवा मत्स्य अवतरण केन्द्र अथवा मत्स्य अवतरण जेट्टी जहाँ से मत्स्यहरण जहाज सामान्य तौर पर अथवा अधिकतर परिचालित होते हैं और ऐसा स्थल जहाँ मत्स्यहरण जहाज का पंजीकरण किया जाता है तथा मत्स्यहरण लाइसेंस मंजूर किया जाता है, अभिप्रेत हैं ।
- (छ) ''लोक प्रयोजन'' से कोई भी प्रयोजन जो निम्न से संबंधित है अथवा संबंधित किए जा रहा हो अभिप्रेत है :-
  - (i) समुद्री मत्स्यहरण अथवा समुद्री मत्स्य उद्योग का सुधार, विकास तथा प्रबंधन, अथवा
  - (ii) समुद्री मत्स्यहरण या समुद्री मत्स्य उद्योग के द्वारा उपभोक्ताओं को मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों की आपूर्ति, या
  - (iii) मत्स्यहरण बन्दरगाह, मत्स्य अवतरण केन्द्र तथा मत्स्य अवतरण जेट्टी का प्रबंधन व नियंत्रण
  - (iv) ''पत्तन सीमा'' से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और उसके तहत बनाए गए नियम के अधीन परिभाषित ''पत्तन सीमा'' अभिप्रेत हैं ।
  - (v) ''विनियम'' से अंडमान तथा निकोबार समुद्री मत्स्यहरण विनियम, 2003 (2003 का विनियम सं. 1) अभिप्रेत है ।
  - (vi) ''नियम'' से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण नियमावली, 2004 (2004 का नियम 1) अभिप्रेत है ।
  - (vii) प्रादेशिक जल से भारत सरकार के कंटिनेंटल शैल्फ अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 द्वारा विनियमित प्रादेशिक जल अभिप्रेत है ।
  - (viii) ''द्वीपसमूह'' से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह अभिप्रेत है ।

कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका इसमें प्रयोग किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है, का वहीं अर्थ होगा जो विनियम में है ।

### अध्याय-॥ मत्स्यहरण जलयानों का पंजीकरण

#### 3. मत्स्यहरण जलयान का पंजीकरण

- क) ऐसे सभी जलयान जिन्हें इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (क) में विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र में मत्स्यहरण के प्रयोजन से अथवा उसके लिए आशायित प्रयोजन हेतु संघ राज्य क्षेत्र में रखा गया हो के मालिक को यदि उसका जलयान पहले ही प्रभावी किसी अन्य नियम के अधीन पंजीकृत न हो तो धारा 9 के अधीन पंजीकृत करना होगा ।
- ख) इन नियमों के तहत एक बार किया गया पंजीकरण दस वर्षों तक कायम रहेगा । बशर्ते कि :-
  - (i) मालिक विनियम की धारा 5 की आवश्यकताओं को पूरा करता रहे;
  - (ii) जलयान के स्वामित्व में बदलाव न हो ;
  - (iii) जलयान का मत्स्यहरण का मूल बेस में बदलाव न हो;
  - (iv) जलयान के इंजन में बदलाव न किया गया हो;
  - (v) जलयान के आकार या अधिकल्प में अमूल चूल बदलाव हुआ हो ;
  - (vi) पर्याप्त कारणों से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पंजीकरण रह न किया गया हो ।

### 2 THE ANDAMAN AND NICOBAR EXTRAORDINARY GAZETTE, JUNE 1, 2004

- (i) improvement, development and management of marine fishing or marine fishery, or
  - (ii) supply of fish or fishery products to consumers through marine fishing or from marine fishery, or
  - (iii) management and control of fishing harbour, fish landing centre and fish landing jetty.
  - (iv) "Port Limits" means Port limits defined under the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and rules framed thereunder.
  - (v) "Regulation" means the A&N Marine Fishing Regulation, 2003 (Regulation 1 of 2003).
  - (vi) "Rules" means Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004 (Rule 1 of 2004).
  - (vii) "Territorial Water" means territorial waters regulated as per the rules framed under "The Territorial Water, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act-1976" of Govt. of India.
  - (viii) "Islands" means the Andaman and Nicobar Islands.

Any expression used but not defined in these rules shall have the same meaning as in the Regulation.

#### CHAPTER - II

#### REGISTRATION OF FISHING VESSEL

#### Registration of fishing vessel :-

- (a) Owner of every fishing vessel kept in the Union Territory and/or used or intended to be used for the purpose of fishing in a specified area, specified under sub -rule (a) of Rule 5 of these rules shall get the vessel registered under section 9 unless the vessel is already registered as a fishing vessel under any other law for the time being in force:
- (b) Registration of a fishing vessel once made under these rules shall continue to remain in force for ten years provided that:-
  - (i) the owner fulfill the requirements of section 5 of the Regulation;
  - (ii) the ownership of the vessel remains unchanged
  - (iii) Principal Fishing Base for the vessel is not changed;
  - (iv) engine of the vessel is not replaced
  - (v) basic character of the fishing vessel is not altered by effecting material changes in shape or design of the vessel; and
  - (vi) the registration is not cancelled by the Authorized Officer for sufficient reasons.
- (c) For the purpose of (i) registration, (ii) transfer of ownership, (iii) change of Principal Fishing Base and (iv) replacement of engine, an officer of the Fisheries Department, not below the rank of Assistant Director of Fisheries, will act as Authorized Officer in respect of fishing vessels with Principal Fishing Base within his jurisdiction, as listed in schedule IV, annexed with these rules
- (d) Owner of a fishing vessel shall apply to the Authorized Officer for (i) registration of fishing vessel, (ii) transfer of ownership, (iii) change of Authorized Officer and (iv) replacement of engine in prescribed form as stated in the table below

SI.No.	Table Purpose of application		Prescribed Form No
(i)	Registration of (a) Mechanised or motorized fishing vessel		
	(b) Non Mechanised fishing vessel		MFR-1
(ii)	Transfer of ownership of	441	MFR-2
	(a) Mechanised or motorized fishing vessel		MFR-4
	(b) Non-Mechanised fishing vessel		MFR-5
	(c) Change of Principal Fishing Base		MFR-6
	(d) Replacement of engine		MFR-7
(e) Presi	cribed forms referred to in sub-rule (d) of rule 3	will be avoilable in	100 000

(e) Prescribed forms referred to in sub-rule (d) of rule 3 will be available in the office of Authorized Officer on payment of requisite price as stated in schedule I annexed with these rules.

- ग) पंजीकरण (ii) स्वामित्व हस्तान्तरण (iii) निर्धारित मत्स्यहरण मूल बेस में बदलाव (iv) इंजन में बदलाव के प्रयोजन हेतु मत्स्य विभाग का एक अधिकारी जो सहायक मत्स्य निदेशक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले मत्स्यहरण क्षेत्र, जो इन नियमों के अनुलग्नक IV में सूचीबद्ध है, के लिए प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर कार्य करेगा ।
- घ) जलयान का मालिक (i) मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण, (ii) स्वामित्व का हस्तान्तरण, (iii) प्राधिकृत अधिकारी के परिवर्तन और (iv) इंजन को बदलने के लिए नीचे की तालिका में दर्शाया गया निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत अधिकारी के पास आवेदन करेगा :-

### सारणी

क्र.सं.	आवेदन का प्रयोजन	निर्धारित फार्म सं.
(i)	(क) पंजीकरण यंत्रीकृत या मोटरीकृत मत्स्यहरण जलयान	एम.एफ.आर-1
	(ख) गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान	एम.एफ.आर-2
(ii)	स्वामित्व का हस्तान्तरण	
	(क) यंत्रीकृत या मोटरीकृत मत्स्यहरण जलयान	एम.एफ.आर-4
	(ख) गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान	एम.एफ.आर-5
	(ग) प्रमुख मत्स्यहरण बेस में परिवर्तन	एम.एफ.आर-6
	(घ) इंजन बदलना	एम.एफ.आर-7
	(9) 8911 93311	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

- ङ) नियम 3 के उप नियम (घ) में विनिर्दिष्ट निर्धारित फार्म प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होगा जिसे इस नियमावली के अनुलग्नक 1 की अनुसूची में बताए मूल्य अदा करके प्राप्त किया जा सकेगा ।
- च) (i) मत्स्यहरण जलयान का पंजीकरण, (ii) स्वामित्व का हस्तान्तरण, (iii) प्राधिकृत अधिकारी बदलने और (iv) इंजन बदलने से संबंधित प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ जलयान का मालिक इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची II में दर्शाए निर्धारित शुल्क भी प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करेगा :

परन्तु यदि सरकार द्वारा उपयुक्त अधिसूचना द्वारा शुल्क में संशोधन या परिवर्तन किया जाता हो तो जलयान के मालिक को संशोधित या परिवर्तित शुल्क अदा करना होगा ।

छ) मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी आवश्यक जाँच जैसा उचित समझते करके तथा विनियम की धारा 9(3) में संदर्भित मामलों को ध्यान देते हुए मत्स्यहरण जलयान का पंजीकरण करेगा और ऐसे पंजीकरण का विवरण एम.एफ.आर-15 में रखेगा । वह फार्म सं. एम.एफ.आर-3 में पंजीकरण प्रमाणपत्र मत्स्यहरण जलयान के मालिक को जारी करेगा ।

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारण होने पर उन्हें अभिलिखित करते हुए पंजीकरण करने से इंकार कर सकेगा और इस संबंध में अपने विचार से अधिनिर्णय अधिकारी को अवगत कराते हुए जलयान के मालिक को सुचित करेगा ।

ज) (i) स्वामित्व का हस्तान्तरण (ii) प्राधिकृत अधिकारी को बदलने और (iii) इंजन बदलने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी आवश्यक जाँच जैसा उचित समझे करने के बाद जिस प्रयोजन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उस हेतु उसे स्वीकार करेगा और पंजीकरण के प्रमाणपत्र पर जैसा अवश्य हो परिवर्तन करेगा अथवा अन्यथा, विद्यमान प्रमाणपत्र को रह करके फार्म सं. एम.एफ.आर-3 में नया प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारण होने पर उन्हें अभिलिखित करते हुए आवेदन स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा और इस संबंध में अपने विचार से अधिनिर्णय अधिकारी को अवगत कराते हुए जलयान के मालिक को सूचित करेगा । (f) Alongwith every application for (i) registration of fishing vessel (ii) transfer of ownership, (iii) change of Authorized Officer and (iv) replacement of engine, owner of fishing vessel shall deposit with the Authorized Officer prescribed fee as listed in schedule II annexed with these rules:

Provided that if, by suitable notification, the fees are revised or modified by the government, the owner of fishing vessel shall pay such revised or modified fees.

(g) On receipt of an application for registration of fishing vessel, the Authorized Officer, after making such enquiry as he may deem fit and having regard to the matters referred to in section 9(3) of the Regulation shall register the fishing vessel and maintain particulars of such registration in the MFR-15. He will issue to the owner of fishing vessel a Certificate of Registration in Form No. MFR-3.

Provided that the Authorized Officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to grant registration and communicate his decision in this regard to

the owner of the vessel under intimation to the Adjudicating Officer.

(h) On receipt of application for (i) transfer of ownership (ii) change of Authorized Officer and (iii) replacement of engine. Authorized Officer, after making such enquiry as he may deem fit, shall accept the application for the purpose applied for and effect necessary changes in the Certificate of Registration or, otherwise, issue a fresh certificate of registration in Form No. MFR-3, in cancellation of the existing one, as the situation shall required.

Provided that the Authorized Officer may for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to accept the application and communicate his decision in this regard to the owner of the vessel under intimation to the Adjudicating Officer.

(i) The Authorized Officer may, after giving the owner a reasonable opportunity of being heard, modify or amend or cancel Certificate of Registration of a fishing vessel if he is satisfied that:-

(i) Owner has misrepresented or suppressed essential fact while submitting

applications under rule 3(d), or

(ii) The vessel has been engaged or utilized in a manner not connected with fishing activity, and communicate his decision in the matter of modification or amendment or cancellation of Certificate of Registration to the owner of the vessel under intimation to the Adjudicating Officer.

a) The owner of every mechanized fishing vessel shall prominently display registration number assigned to the fishing vessel written in black on a white base, on the bow of the port side and starboard side. The Registration mark shall be written in not less than 15 centimeter height of each letter and numeral having a width of 3 centimeter

in size.

b) The owner of every non-mechanized fishing vessel shall prominently display registration number assigned to the fishing vessel written in black on a white base on the bow of the portside and starboard side. The Registration mark shall be written in not less than 10 centimetre height of each letter and numeral having a width of 2 centimetre in size.

All mechanized fishing vessels shall be painted in bright orange colour conforming to Bureau of Indian Standards (BIS) in the wheel house or canopy top for easy

identification of the vessel by Coast Guard

(m) In case of Non-mechanized, motorized and country crafts the sides of the vessel shall be painted in bright yellow colour conforming to Bureau of Indian Standards (BIS) above water line for easy identification by Coast Guard.

(n) Indian National Flag shall be flown in a most conspicuous position by all class or

classes of fishing vessels, while at sea.

(c) All class or classes of fishing vessels shall have the prescribed life saving and fire fighting appliances, while at sea, as prescribed by the Government

(p) All class / classes of fishing vessels shall have onboard while fishing a transistor radio or such telecommunication equipment as prescribed by the Govt for the purpose of receiving weather forecast, oceanic hazard, other information and transmitting messages.

(q) A registered fishing vessel is free to move anywhere within the territorial water of A&N Islands, take shelter in any fishing harbour or fish landing centre or fish landing

- 4
- झ) प्राधिकृत अधिकारी जलयान के मालिक को अपनी बात बताने का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के बाद मत्स्यहरण जलयान के प्रमाणपत्र में परिवर्तन या संशोधन अथवा रद्द कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि :-
  - (i) मालिक ने नियम 3 (घ) के तहत आवेदन जमा करते समय आवश्यक तथ्य छिपाया है या दुर्व्यपदेशन किया है, या
  - (ii) जलयान को ऐसे काम में लगाया गया है अथवा उपयोग किया गया है जो मत्स्यहरण कार्यकलापों से सम्बद्ध नहीं है और पंजीकरण के प्रमाणपत्र में परिवर्तन या संशोधन अथवा रह करने के मामले में अपने निर्णय से अधिनिर्णय अधिकारी को अवगत कराते हुए जलयान के मालिक को सूचित करें।
- (अ) प्रत्येक यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान का मालिक स्पष्ट रूप से मत्स्यहरण जलयान में सफेद सतह पर काले रंग से पंजीकरण सं. लिखकर जलयान के बाई तथा दायी ओर के अग्रभाग में दर्शाएगा । पंजीकरण चिन्ह में प्रत्येक अक्षर में 15 सेंटीमीटर की ऊँचा और अंक 3 सेंटीमीटर चौड़ा होगा ।
- (ट) प्रत्येक गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान का मालिक स्पष्ट रूप से मत्स्यहरण जलयान में सफेद सतह पर काले रंग से पंजीकरण सं. लिखकर जलयान के बाई ओर तथा दायी ओर के अग्रभाग में दर्शाएगा । पंजीकरण चिन्ह में प्रत्येक अक्षर 10 सेंटीमीटर ऊँचा तथा अंक 2 सेंटीमीटर चौड़ा होगा ।
- (ठ) सभी यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयानों के बील हाउस अथवा उपरी शिखर में तट रक्षक के पहचान हेतु इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरों के अनुरूप चमकीला नारंगी रंग से पेंट किया जाएगा ।
- (ड) गैर यंत्रीकृत, मोटरीकृत और देशी जलयान के मामले में इसे जल की रेखा से ऊपरी भाग में तट रक्षक के आसानी से पहचान हेतु चमकीले पीले रंग से पेंट किया जाएगा ।
- (ढ) सभी श्रेणी या श्रेणियों के मत्स्यहरण जलयानों पर समुद्र में रहते समय सबसे अधिक सुस्पष्ट स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा ।
- (ण) सभी श्रेणी या श्रेणियों के मत्स्यहरण जलयानों में समुद्र में रहते समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित जीवन रक्षक तथा अग्निशमन उपकरण उपलब्ध रहेगा ।
- (त) सभी श्रेणी/श्रेणियों के मत्स्यहरण जलयान में मत्स्यहरण के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मौसम की पूर्व सूचना प्राप्त करने, समुद्री संकट, अन्य सूचना प्राप्ति तथा संप्रेषण आदि के लिए ट्रांजिस्टर, रेडियो अथवा दूरसंचार उपकरण रखा जाएगा ।
- (थ) पंजीकृत मत्स्यहरण जलयान अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की प्रादेशिक जल सीमा में कही भी आ जा सकता है, किसी भी मत्स्यहरण बन्दरगाह, मत्स्य अवतरण केन्द्र या मत्स्य अवतरण जेट्टी में रुक सकता है और वैध लाइसेंस लेकर विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मत्स्यहरण कर सकता है । पंजीकृत मूल मत्स्यहरण बेस के अलावा अन्य बेस का उपयोग मत्स्यहरण सत्र के दौरान आकिस्मक, कभी कथार या अस्थायी रूप में करने को पंजीकृत मूल मत्स्यहरण बेस में बदलाव नहीं माना जाएगा । यदि मत्स्यहरण सत्र के दौरान मत्स्यहरण जलयान अपने बेस को अस्थायी तौर पर बदलता है तो जलयान का मालिक पंजीकरण प्रमाणपत्र देने वाले प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे अस्थायी बदलाव की जानकारी देगा और उस प्राधिकृत अधिकारी को भी सूचित करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में बदला गया बेस आता हो । मत्स्यहरण जलयान के मालिक को जलयान के पंजीकृत मत्स्यहरण बेस में वापसी की सूचना भी उसी प्रकार देनी होगी । पंजीकृत मत्स्यहरण बेस से रवानगी तथा वापसी की ऐसी सूचनाएं संबंधित अधिकारी के पास लिखित में 10 दिनों के भीतर पहुँचाना होगा । पंजीकृत मूल मत्स्यहरण बेस के अतिरिक्त अन्य बेसों में आकिस्मक या कभी कभार जाने के मामले में ऐसी सूचना देना आवश्यक नहीं होगा ।

परन्तु यदि धारा 10 में परिभाषित अनुसार पंजीकृत मत्स्यहरण जलयान मूल मत्स्यहरण बेस को बदलता है तो मत्स्यहरण जलयान के मालिक को निर्धारित फार्म एम.एफ.आर-6 में नियम 3 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार संबंधित प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा । 4

jetty and conduct fishing activity in a specified area after obtaining a valid licence for that purpose. Use of a fishing base other than the registered Principal Fishing Base in like manner either casually or occasionally or temporarily during a fishing season will not amount to a change in the registered Principal Fishing Base. If a fishing vessel temporarily shifts to a fishing base other than the registered Principal Fishing Base during a fishing season, the owner of fishing vessel shall intimate such temporary change of fishing base to the Authorized Officer issuing certificate of registration and also to the Authorized Officer in whose jurisdiction the changed fishing base shall come. The owner of fishing vessel shall also report to the Authorized Officers, in like manner about return of fishing vessel to the registered fishing base. Such intimation about departure from and return to the registered Principal Fishing Base shall reach the concerned officers within 10 days. For casual or occasional visit to fishing base other than the registered Principal Fishing Base by a registered fishing vessel, no such intimation will be necessary.

Provided that when a registered fishing vessel changes its Principal Fishing Base, as defined in section 10 the owner of fishing vessel shall be required to apply in prescribed Form No. MFR-6 to the concerned Authorized Officer as required in sub-rule (d) of Rule 3.

#### CHAPTER - III

#### LICENSING OF FISHING VESSEL

#### 4. Licensing of fishing vessel :-

(a) No fishing vessel shall undertake any kind of fishing activity without a valid fishing licence granted under section 6.

(b) No fishing licence shall be granted to a vessel unless the vessel is registered as a

fishing vessel for the purpose of the Regulation.

(c) No fishing licence shall be granted to a mechanized fishing vessel unless it is covered by adequate insurance coverage against loss arising out of professional hazards.

(d) The owner of a fishing vessel, irrespective of whether the said fishing vessel is mechanized or non mechanized, shall not engage or carry or allow to be engaged or allow to be carried any fisherman or crew unless the said fisherman or crew is covered by adequate insurance coverage against professional hazards.

(e) For the purpose of grant of fishing licence and renewal of fishing licence an officer of the Fisheries Department, not below the rank of Assistant Director of Fisheries will act as Authorized Officer in respect of fishing vessels with registered Principal Fishing Base within his jurisdiction, as listed in schedule IV, annexed with these

rules.

(f) (i) The owner of a registered fishing vessel shall apply to the Authorized Officer in prescribed Form No. MFR-8 for grant of fishing licence or renewal of fishing license valid till 31<sup>st</sup> day of the month of March following the date of issue / or renewal of fishing license.

(ii) The owner of the registered fishing vessel also furnish in Form No.MFR-8, the particulars of crew members, fishermen or diver to be engaged on board the vessel

to provide with individual identity card.

NOTE: In the case of any change in crew members and or fishermen or diver, such change shall be brought to the notice of the concerned Authorized Officer immediately to enable it to issue necessary identity card for the new crew member or fisherman or diver.

(g) Prescribed Form No. MFR-8, referred to in sub-rule (f) of Rule 4 will be available in the office of Authorized Officer on payment of requisite price as stated in schedule I annexed with these rules.

(h) Alongwith every application for (i) grant of fishing licence, (ii) renewal of fishing licence and issue of identity card to crew members and / or fisherman or diver, owner of fishing vessel shall deposit with the Authorized Officer prescribed fee as listed in schedule-III annexed with these rules:

### अध्याय-III मतस्यहरण जलयान को लाइसेंस देना

### 4. मत्स्यहरण जलयान को लाइसेंस देना :-

- (क) कोई भी मत्स्यहरण जलयान धारा 6 के तहत् वैध मत्स्यहरण लाइसेंस लिए बिना किसी प्रकार का मत्स्यहरण नहीं करेगा ।
- (ख) किसी भी जलयान को मत्स्यहरण लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि विनियम के तहत मत्स्यहरण के प्रयोजन के लिए वह जलयान को पंजीकृत न करा दिया जाता ।
- (ग) यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान को मत्स्यहरण लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा यदि व्यावसायिक संकट से उत्पन्न हानि के लिए उसका पर्याप्त बीमा कबर न हो ।
- (घ) मत्स्यहरण जलयान का मालिक इस बात का ध्यान रखे बिना कि जलयान यंत्रीकृत है अथवा गैर यंत्रीकृत तब तक किसी मछुवारा या जहाजी कर्मी को जहाज पर काम पर नहीं लगा सकेगा या जलयान पर नहीं ले जा सकेगा अथवा काम पर लगाने की अनुमित या ले जाने की अनुमित तब तक नहीं प्रदान कर सकेगा जब तक कि उक्त मछुवारा या जहाजी कर्मी का व्यावसायिक संकट के लिए पर्याप्त बीमा कवर न हों।
- (ङ) मत्स्यहरणे लाइसेंस देने और मत्स्यहरण लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए मत्स्य विधाग का एक अधिकारी जो सहायक मत्स्य निदेशक की पंक्ति के नीचे का नहीं होगा अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत मत्स्यहरण बेस जैसा इन नियमों की अनुसूची IV में सूचीबद्ध है, के अंतर्गत आने वाले जलयानों के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।
- (च) (i) पंजीकृत मत्स्यहरण जलयान का मालिक निर्धारित फार्म सं. एम.एफ.आर-8 में मत्स्यहरण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी को आवेदन करेगा जो जारी अथवा नवीनीकरण किए जाने की तिथि से आगामी मार्च माह की 31 वी तिथि तक वैध रहेगा।
  - (ii) पंजीकृत मत्स्यहरण जलयान के मालिक जलयान में कार्यरत नाविक मछुवारों अथवा गोताखोरों का विवरण फार्म सं. एम.एफ.आर-8 में प्रस्तुत करेगा ताकि उन्हें अलग-अलग पहचान पत्र दिया जा सके ।

टिप्पणी :- जहाजी किर्मियों अथवा मछुवारों या गोताखोर के मामले में किसी भी परिवर्तन के संबंध में तत्काल इसकी सूचना संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को देना होगा ताकि वह नए जहाजी कर्मी या मछुवारा अथवा गोताखोर को पहचान पत्र जारी कर सके।

- (छ) नियम 4 के उप नियम (च) के संदर्भित निर्धारित फार्म सं. एम.एफ.आर.-8 प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होगा जिसे इन नियमों के अनुलग्नक 1 में बताए अनुसार मूल्य अदा करके प्राप्त किया जा सकेगा ।
- (ज) मत्स्यहरण लाइसेंस की मंजूरी (ii) मत्स्यहरण लाइसेंस का नवीनीकरण तथा जहाजी किर्मियों तथा/अथवा मछुवारों या गोताखोर को पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ मत्स्यहरण जलयान का मालिक इन नियमों की अनुसूची-III में सूचीबद्ध अनुसार निर्धारित शुल्क प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करेगा।

परन्तु यदि उपयुक्त अधिसूचना द्वारा सरकार शुल्कों को संशोधित या परिवर्तित करती है तो जलयान के मालिक को ऐसा संशोधित या परिवर्तित शुल्क अदा करना होगा । Provided that if, by suitable notification, the fees are revised or modified by the Government, owner of fishing vessel shall pay such revised or modified fees.

(i) (i) The Authorized Officer, after making such enquiry as he may deem fit and having regard to the matters referred to in section 4 and sub-section (3) of section 6 shall grant fishing licence or renew fishing licence and maintain particulars thereof in the register in prescribed format as MFR- 16. He will issue to the owner of fishing vessel a licence for undertaking fishing activity in Form No. MFR-9 or renew the existing licence in Form No. MFR-9, as the case may be:

(ii) The Authorized Officer will also issue identity card to every crew member or fisherman or diver engaged onboard the fishing vessel and maintain particulars thereof in register as per the format prescribed in MFR-17.

Provided that the Authorized Officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to grant fishing licence or renew fishing licence or issue identity card and communicate his decision in this regard to the owner of the vessel under intimation to the Adjudicating Officer.

(j) The Authorized Officer may, after giving the owner a reasonable opportunity of being heard, modify, amend or cancel fishing licence if he is satisfied that —

i) the owner has misrepresented or suppressed essential fact while applying for grant/renewal of fishing licence, or

ii) the fishing vessel has been used or allowed to be used in contravention of terms and conditions for grant of fishing licence or renewal of fishing licence:

and communicate his decision in the matter of modification, amendment or cancellation of fishing licence to the owner of the fishing vessel, under intimation to the Adjudicating Officer.

(k) Unless renewed, fishing licence granted by the authorized office will remain valid till the 31<sup>st</sup> day of the month of March following the date of issue of fishing licence.

(I) The owner of a registered fishing vessel shall apply under sub section (6) of section 6 to the Authorized Officer for renewal of fishing licence and identity card and deposit prescribed fee as detailed in Schedule - III for renewal of fishing licence before the date of expiry of fishing licence.

Application for renewal of fishing licence under sub-section (6) of section 6 can be made after the date of expiry of fishing licence and identity card on payment of penalty for delay in submission of application at the rate prescribed in schedule III annexed with these rules. However renewal of fishing licence is not admissible after expiry of 6 months, which will attract cancellation of registration of fishing vessel by Authorized Officer.

(n) Unless application for renewal of fishing licence is submitted by the owner of a fishing vessel to the Authorized Officer within the date stipulated in sub-rule (k) any fishing activity conducted by the said fishing vessel after expiration of the stipulated in sub-rule (k) shall amount to unauthorized fishing and the owner of the said fishing vessel shall be liable for prosecution under section 14 read with section 15.

(o) Unless submitted for renewal, fishing licence must always be carried on board the fishing vessel and made available for inspection and verification by an officer authorized for the purpose.

(p) The owner of the fishing vessel, holding a valid licence shall submit to the Authorized Offic or a monthly return in prescribed Form No. MFR-10 within 10 days from the last date of the month to which the report relates.

#### CHAPTER - IV

## SPECIFIED AREAS FOR FISHING BY DIFFERENT CLASSES OF FISHING VESSELS

#### Specified areas for fishing by different classes of fishing vessels:

(a) With a view to regulate fishing by different classes of fishing vessels and having regard to different provisions of section 4, territorial waters of Union Territory is divided in two fishing zones as shown in table below:

- 6
- (झ) (i) प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे जाँच करने के बाद जैसा वह उचित समझे तथा धारा 4 और धारा 6 की उपधारा (3) में मत्स्यहरण लाइसेंस की मंजूरी अथवा मत्स्यहरण लाइसेंस का नवीकरण करने हेतु संदर्भित विषयों पर ध्यान देते हुए एम.एफ.आर-16 उसका विवरण रजिस्टर के निर्धारित फार्मेंट में अनुरक्षित करेगा । वह मत्स्यहरण जलयान के मालिक को मत्स्यहरण कार्य के लिए फार्म सं. एम.एफ.आर-9 में लाइसेंस जारी करेगा अथवा फार्म सं. एम.एफ.आर-9 में विद्यमान लाइसेंस का नवीकरण जैसा भी मामला हो कर सकेगा :-
  - (ii) प्राधिकृत अधिकारी मत्स्यहरण जलयान में कार्यरत प्रत्येक कर्मी, मछुवारा या गोताखोर को पहचान पत्र भी जारी करेगा और एम.एफ.आर-17 में निर्धारित फार्मेट के अनुसार रजिस्टर में इसका विवरण अनुरक्षित करेगा ।

बशर्ते प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अधिलिखित करते हुए मत्स्यहरण लाइसेंस देने अथवा लाइसेंस का नवीनीकरण करने से अथवा पहचान पत्र जारी करने से इंकार कर सकेगा और इस संबंध में अपने निर्णय से अधिनिर्णय अधिकारी को अवगत कराते हुए जलयान के मालिक को इसकी सूचना देगा।

- (भ) प्राधिकृत अधिकारी जलयान के मालिक को अपनी बात रखने के पर्याप्त अवसर देने के बाद यदि आश्वस्त हो जाता है तो मत्स्यहरण लाइसेंस में परिवर्तन, संशोधन अथवा रद्द कर सकेगा कि:-
  - (i) जहाज का मालिक द्वारा लाइसेंस की मंजूरो/नवीकरण के लिए आवेदन करते समय विवरण दिया गया था अथवा आवश्यक तथ्यों को छिपाया गया अथवा
  - (ii) मत्स्यहरण जलयान का उपयोग अथवा उपयोग करने की रजामंदी ऐसे कार्यों के लिए दी गयी जो मतस्यहरण लाइसेंस अथवा नवीनीकरण की शर्तों के विपरीत है ।

और परिवर्तन संशोधन या मत्स्यहरण लाइसेंस रद्द करने के संबंध में अपने निर्णय से अधिनिर्णय अधिकारी को अवगत कराते हुए इसकी जानकारी जहाज के मालिक को देगा ।

- (ट) अतिरिक्त इसके कि नवीकरण हुआ है प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी मत्स्यहरण लाइसेंस की वैधता मार्च माह की 31 तारीख तक रहेगी ।
- (ठ) एक पंजीकृत मत्स्यहरण जहाज के मालिक को मत्स्यहरण लाइसेंस की तारीख समाप्त होने से पूर्व लाइसेंस तथा पहचान के नवीकरण के लिए धारा 6 की उप धारा (6) के तहत प्राधिकृत अधिकारी के पास आवेदन करना होगा और अनुसूची III के विवरण के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- (ड) धारा 6 की उपधारा (6) के तहत मत्स्यहरण लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन मत्स्यहरण लाइसेंस और पहचान पत्र की वैधता की तारीख की समाप्ति के बाद भी देरी के लिए शस्ति जैसा इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची ॥। में वर्णित है दी जा सकेगी । लेकिन ऐसा नवीनीकरण मत्स्य लाइसेंस की वैध अवधि की समाप्ति 6 माह बाद स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि तब प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी मत्स्यहरण जलयान पंजीकरण रद्द हो जाएगा । लेकिन नवीकरण की तारीख से छह माह बीत जाने के बाद लाइसेंस का नवीकरण स्वीकार्य नहीं होगा अपितु प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण रद्द किए जाने के समय को पार कर लेगा ।
- (ढ) यदि मत्स्यहरण जलयान का मालिक उप नियम (ट) में निर्धारित तारीख के भीतर लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के पास आवेदन जमा नहीं कराता है और उप नियम (ट) में निर्धारित तारीख के बाद किसी प्रकार के मत्स्यहरण कार्यकलाप करता है तो उसे अनाधिकृत मत्स्यहरण माना जाएगा और जलयान के मालिक को धारा 14 के साथ पठित धारा 15 के तहत अभियोजित किया जा सकेगा ।
- (IV) जब तक कि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए जमा नहीं कर दिया जाता मत्स्यहरण के लाइसेंस हमेशा जलयान में रखा जाए ताकि इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण तथा जाँच के समय दिखाया जा सके।

#### Table

	Specified area for fishing	Class of fishing vessels for plying	Type of ge	ear/ mesh size to be used
(i)	(Territorial waters up	Vessels fitted with 30 HP engines including traditional and non-	i) ii) iii)	Gill net not below 25 mm mesh (knot to knot diagonally). Hook & Line. Shore seine/drag net of mesh size not below 25 mm. Fish traps.
(ii)	Fishing Zone – B (Territorial waters beyond 6 nautical miles from appropriate base line).		i)	Gill net not below 25 mm mesh.  Trawl net of standard mesh size fitted with turtle excluder device suitable to the trawl net.  Long line, purse seine, squid jigger.  Hook & Line:

Note:- (i) Distance in Nautical Miles shown in column 3 of the table denotes shortest distance from appropriate base line:

- (ii) The Government, by suitable notification, may change or modify the specified area for better management and fisheries administration and regulation of fishing, as and when necessary.
- (b) The Authorized Officer shall issue fishing licence in Form No. MFR-9 indicating therein the specified area of fishing.
- (c) Any fishing activity conducted from or by a fishing vessel outside the specified area mentioned in the fishing licence in respect of the said fishing vessel shall amount to fishing without a fishing licence and the owner shall be liable for prosecution under section 14 read with section 15.

Provided, that a fishing vessel, while proceeding to or returning from a specified area in respect of which a fishing licence has been granted to the said fishing vessel, may pass through any area other than the specified area without causing any damage to fishing gears or tackles of another fishing vessel set for or engaged in fishing with a valid fishing licence for that area. Similarly, if the licensed fishing area falls outside/adjacent to IV limits under IV Act and Marine National Parks / Sanctuaries under Wildlife Protection Act, 1972, innocent passage without causing any damage to movements of other vessels and marine eco-system respectively is allowed without seeking permission separately from Registering Authority under IV Act and Chief Wildlife Warden of Forests & Environment respectively. However, it will be the responsibility of the Authorized Officer to provide such list of licences granted to Registering Authority of IV Act and Chief Wildlife Warden of concerned area respectively for close monitoring and reporting to the Authorized Officer.

#### CHAPTER - V

#### AUTHORISED OFFICER

#### Authorized Officer:

(a) The Authorized Officer shall allot a number to every mechanized fishing vessel and motorized fishing vessel in course of its registration under section 9 (3) and the number so allotted shall not be allotted to another mechanized fishing vessel in course of its registration:

Provided that when registration of a mechanized / motorized fishing vessel is cancelled, the number allotted to the fishing vessel, whose registration stands cancelled, may be allotted to another fishing vessel.

(त) मत्स्यहरण जलयान का मालिक को जिनके पास वैध लाइसेंस है निर्धारित फार्म सं. एम.एफ.आर-10 में एक मासिक विवरण जिस माह का रिपोर्ट हो उस माह की अंतिम तारीख से 10 दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी को देना होगा ।

#### अध्याय-IV

### विभिन्न श्रेणी के मत्स्यहरण जलयानों द्वारा मत्स्यहरण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र

- 5. विभिन्न श्रेणी के मत्स्यहरण जलयानों द्वारा मत्स्यहरण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र :
  - (क) विभिन्न श्रेणी के मत्स्यहरण जलयानों द्वारा किए जाने वाले मत्स्यहरण को नियमित करने और धारा 4 के विभिन्न उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए संघ शासित प्रदेश के प्रादेशिक जल को नीचे की सारणी के अनुसार दो मत्स्यहरण क्षेत्रों में विभक्त किया गया है :

### सारणी

	मत्स्यहरण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र	चलाए जाने के लिए मतस्यहरण जहाजों की श्रेणी		िकए जाने के लिए गियर का /मेश साइज
(i)	मत्स्यहरण क्षेत्र-क (उपयुक्त आधार लाइसेंस 6 समुद्री मील तक का प्रादेशिक क्षेत्र)	30 एच.पी. इंजन फीट वाला जहाज जिसमें पारंपरिक तथा गैर यंत्रीकृत बोट शामिल है।	(i)	गील नैट जो 25 मि.मी. मेश से कम न हो (गांठ से गांठ तिरछे)
			(ii)	हुक तथा लाइन
			(iii)	शोर साइन/मेश साइज का ड्रैग नेट, जो 25 मि.मी. से कम न हो
			(iv)	मछली पकड़ने का पिंजड़ा
(ii)	मत्स्यहरण क्षेत्र-ख (उपयुक्त आधार लाइन से 6 समुद्री मील से बाहर वाला प्रादेशिक क्षेत्र)	30 एच.पी. से अधिक का इंजन लगा जलयान	(ii) (iii)	गिल नेट जो 25 मि.मी. मेश से कम न हो मानक मेश साइज का मछली जाल जिसमें मछली जाल के लिए उपयुक्त टर्टल स्कलक्लूडर उपकरण लगा हो लांग लाइन, पर्स साइन, स्कीड
			(iv)	हुक तथा लाइन

- टिप्पणी:-(i) सारणी के कॉलम 3 में दर्शाया गया समुद्री मील से तात्पर्य है उपयुक्त आधार रेखा से न्यूनतम
  - (ii) सरकार उपयुक्त अधिसूचना द्वारा जैसे और जब आवश्यक हो बेहतर प्रबन्धन मत्स्य उद्योग प्रशासन तथा मत्स्यहरण का विनियमन हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्र में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है।
  - (ख) प्राधिकृत अधिकारी फार्म सं. एम.एफ.आर-१ में मत्स्यहरण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र का उल्लेख करते हुए लाइसेंस जारी करेगा ।
  - (ग) कोई भी मत्स्यहरण जलयान द्वारा यदि उस जलयान को जारी मत्स्यहरण लाइसेंस में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर मत्स्यहरण किया जाता है तो उसे बिना मत्स्यहरण लाइसेंस के मत्स्यहरण करना माना जाएगा तथा मालिक को धारा 15 के साथ पठित धारा 14 के अधीन अभियोजित किया जाएगा ।

(b) Non-mechanized fishing vessel shall be allotted a separate registration number different from registration number of the mechanized vessels by the Authorized Officer at the time of registration of a non-mechanized fishing vessel.

(c) The Authorized Officer shall, besides consulting the register of fishing vessels maintained at his office, obtain from the concerned Fishery Officer a report in part III of Form No. MFR-1 and satisfy himself about the availability of the proposed number for the purpose of allotment.

(d) The Authorized Officer shall send, within 7 days from the date of the receipt in his office, the application form to the concerned Fishery Officer for report in part III therein. Any delay in this matter shall have to be accounted for.

(e) Every report in part III of Form No. MFR-1 shall be sent by the Fishery Officer within 7 days from the date of receipt of the application form in his office. Any delay in this matter shall have to be accounted for.

(f) The Authorized Officer, after receiving back the application form with part III thereof duly filled in, shall take, within 7 days, appropriate action towards registration of fishing vessel or otherwise as he may deem fit.

(g) In the case of an application for transfer of ownership involving change in the registered name of a mechanized fishing vessel, the procedure laid down in sub-rule (d), sub-rule (e) and sub-rule (f) of rule 6 shall be followed mutatis mutandis.

(h) The Authorized Officer shall maintain a register of applications received at his office for registration of fishing vessels, transfer of ownership of fishing vessels and replacement of engine of mechanized fishing vessels.

 The Authorized Officer shall maintain separate registers for mechanized fishing vessels and non-mechanized fishing vessels in MFR-15.

(j) The Authorized Officer shall maintain a register of applications received at his office for grant/renewal of fishing licence.

(k) The Authorized Officer shall maintain registers for grant or renewal of fishing licence for mechanized fishing vessel and non-mechanized fishing vessel separately in MFR-16.

 The Authorized Officer shall allot separate identity card number to every crew members or fisherman or diver engaged onboard the fishing vessel and maintain a register there on in MFR-17.

- (m) The Authorized Officer shall inform the applicant as well as the Adjudicating Officer every order of refusal –
  - (i) under the proviso to sub-rule (g) of Rule 3 in the matter of registration of fishing vessel, and
  - (ii) under the proviso to sub rule (h) of Rule 3 in the matter of transfer of ownership and replacement of engine of a fishing vessel.
- (n) The Authorized Officer shall inform the applicant as well as the Adjudicating Officer every order under sub-rule (i) of Rule 3 in the matter of modification or amendment or cancellation of certificate of registration.
- (c) The Authorized Officer shall inform the applicant as well as the Adjudicating Officer every order under sub-rule (i) of Rule 4 of refusal in the matter of grant of fishing licence and identity card or renewal of fishing license and identity card.

परन्तु मत्स्यहरण जलयान उसे जारी मत्स्यहरण लाइसेंस में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जाते अथवा आते समय विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र से उस क्षेत्र में वैध लाइसेंस सिहत मत्स्यहरण जलयानों द्वारा मत्स्यहरण के लिए डाले गए मत्स्यहरण उपकरणों उपस्करों को क्षिति पहुंचाए बिना गुजर सकेगा । इसी प्रकार लाइसेंस मत्स्यहरण क्षेत्र अन्तर्देशीय जलयान क्षेत्र अधिनियम के अधीन अन्तर्देशीय जलयान सीमा या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अधीन गठित समुद्री उद्यान/आश्रय स्थल के बाहर हो उनसे सटा हो तो अन्य जलयानों तथा समुद्री पर्यावरण प्रणाली को बिना हानि पहुंचाए गुजरने की अनुमित होगी और इसके लिए उसे क्रमशः अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम के पंजीकरण प्राधिकारी तथा वन और पर्यावरण के मुख्य वन्य प्राणी वार्डन से अलग से अनुमित लेने की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि प्राधिकृत अधिकारी का यह दायित्व होगा कि क्रमशः अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम के पंजीकरण अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र के मुख्य वन्य प्राणी वार्डन को जारी किए गए ऐसे लाइसेंसों की सूची करीब से निगरानी रखने तथा प्राधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट देने हेतु सौपे।

### अध्याय-V प्राधिकृत अधिकारी

### 6. प्राधिकृत अधिकारी :

- (क) प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक यंत्रीकृत जलयान और मोटरीकृत जलयान का धारा 9(3) के तहत पंजीकरण करते समय एक संख्या आबंटित करेगा और इस प्रकार दी गयी संख्या दूसरे यंत्रीकृत जलयान को उनके पंजीकरण के समय नहीं दी जाएगी ।

परन्तु जब किसी पंजीकृत/मोटरीकृत मत्स्यहरण जलयान का पंजीकरण रद्द हो जाता है तो ऐसे पंजीकरण रद्द वाले जलयानों को आबंटित नम्बर अन्य मत्स्यहरण जलयान को आबंटित किया जा सकेगा ।

- (ख) गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण नौकाओं को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण के समय एक अलग नम्बर आबंटित करेंगे जो यंत्रीकृत जलयान के पंजीकरण संख्या से भिन्न होगा।
- - (ग) प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय में रखे मत्स्यहरण जलयान के रिजस्टर पर ध्यान देने के अतिरिक्त फार्म सं. एम.एफ.आर-1 के भाग-॥। में संबंधित मत्स्य उद्योग अधिकारी से एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और आबंटन के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित संख्या की उपलब्धता से खुद को संतुष्ट करेगा ।
  - (घ) प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय में आवेदन फार्म प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर उसे भाग-III में संबंधित मत्स्य उद्योग अधिकारी को रिपोर्ट देने हेतु भेजेगा । इस संबंध में कोई विलम्ब के लिए कारण बताना होगा ।
  - (ङ) मत्स्य उद्योग अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर फार्म सं. एम.एफ.आर-1 के भाग-III में रिपोर्ट भेजेगा । इस मामले में कोई भी विलम्ब के लिए कारण बताना होगा ।

(q) The Authorized Officer shall inform the applicant as well as the Adjudicating Officer every order under sub-rule (j) of rule 4 of modification, amendment or cancellation of a fishing licence.

(r) The Director of Fisheries and all Assistant Director of Fisheries, Fisheries Department of the Administration and such other officer as may be authorized by either of them for the purpose, shall have the power to enter into a fishing vessel for inspection.

(s) All officers of Fisheries Department of the Administration not below the rank of Assistant Director of Fisheries, shall act as Authorized Officer in the matter of discharging duties under sections 14 and 15 and sub section (1) of section 16.

(s) In the matter of impounding a fishing vessel with its fittings and accessories on board or seizure of fish found on board, in exercise of the powers conferred by section 15, the Authorized Officer shall prepare a seizure list as detailed in MFR-18, in triplicate, and obtain signature thereon of the owner of the fishing vessel or any crew or fisherman of the vessel available at the time of such impounding or seizure and deliver a copy of the seizure list to the person signing it.

Provided that when neither the owner of a fishing vessel nor any crew or fisherman of the vessel is available for signing the seizure list, or when neither the owner nor any crew or fisherman of the vessel agrees to sign the seizure list the Authorized Officer shall obtain signature of any crew or fisherman of nearby vessel or any other witness found nearby. The seizure list and such signature of witness of the seizure list shall be deemed valid and effectual evidence for the purpose of the Regulation and the rules made thereunder.

- (t) The Authorized Officer shall report to the Adjudicating Officer within 7 working days from the date of commission of the act of every incidence of –
  - (i) impounding of fishing vessel and seizure of fish under section 14 and
  - (ii) disposal of seized fish under sub-section (2) of section 15.
- (u) The Authorized Officer shall consult Adjudicating Officer before disposing off, any fish seized under section 15 and, thereafter, arrange for disposal of seized fish in the manner as directed by the Adjudicating Officer.

Provided that if, in the opinion of the Authorized Officer, such consultation will cause delay leading to deterioration of condition of fish seized and, thereby, result in diminution of its value or for any other genuine reason, the seized fish warrants immediate disposal, he may dispose off the fish by public auction and remit the sale proceeds to the government in the form of Revenue Deposit.

Provided further that every incidence of disposal of fish by public auction without consulting the Adjudicating Officer shall be forthwith, reported by the Authorized Officer to the Adjudicating Officer attributing the reason for disposal of fish by public auction, under intimation to the Director of Fisheries.

- (v) The Authorized Officer shall submit periodic report of offences committed under any section by the owner of fishing vessels to the Adjudicating Officer in such form as may be prescribed.
- (w) The Authorized Officer shall communicate every order issued by him under subrules (g). (h) and (i) of rule 3 and sub-rules (j) and (k) of rule 4 by tendering a copy thereof signed by himself to the owner of fishing vessel or his authorized agent, free of cost.

#### CHAPTER - VI

#### ADJUDICATING OFFICER

#### Adjudicating Officer:

(a) The Director of Fisheries. Aridaman and Nicobar Islands, shall act as the Adjudicating Officer in all matters pertaining to any action taken by the Authorized Officer under any provision of the Regulation.

- (च) आवेदन फार्म का भाग-III विधिवत भरा कर प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर वह मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण के लिए उपयुक्त कार्रवाई अथवा अन्यथा, जैसा उचित समझे करेगा।
- (छ) किसी यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान का पंजीकृत नाम में परिवर्तन सहित स्वामित्व के हस्तान्तरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर नियम 6 के उप नियम (घ), उप नियम (ङ) और उप नियम (च) में निर्धारित प्रक्रिया का यथा परिवर्तित अनुकरण किया जाएगा ।
- (ज) प्राधिकृत अधिकारी मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण, मत्स्यहरण जलयानों के स्वामित्व का हस्तानान्तरण तथा यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान के इंजन बदलने संबंधी आवेदनों के लिए अपने कार्यालय में एक रिजस्टर का रख-रखाव करेगा।
- (झ) प्राधिकृत अधिकारी एम.एफ.आर-15 में यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयानों और गैर यंत्रीकृत जलयानों के लिए अलग रजिस्टर का रख-रखाव करेगा।
- प्राधिकृत अधिकारी मीनहरण लाइसेंस की मंजूरी/नवीनीकरण के लिए उनके कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के लिए एक रिजस्टर का रख-रखाव करेगा ।
- (ट) प्राधिकृत अधिकरी यंत्रीकृत और गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयानों के लिए मीनहरण लाइसेंस की मंजूत अंथवा नवीनीकरण के लिए एम.एफ.आर-16 में अलग-अलग रजिस्टर का रख-रखाव करेगा ।
- (ठ) प्राधिकृत अधिकारी मीनहरण जहाज के सवार प्रत्येक जहाजी कर्मी या मछुवारों अथवा गोताखोरों को अलग-अलग पहचान पत्र नम्बर आबंटित करेगा और एम.एफ.आर-17 में उसके लिए एक रजिस्टर का रख-रखाव करेगा ।
- - (ड) प्राधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित मामलों में प्रत्येक अस्वीकृति आदेश से आवेदक और उसी प्रकार अधिनिर्णय अधिकारी को सूचित करेगा -
    - (i) मीनहरण जहाज के पंजीकरण के मामले में नियम 3 के उप नियम (छ) के परन्तुक के तहत और
    - (ii) मीनहरण जहाज के स्वामित्व का हस्तान्तरण तथा इंजन बदलने के मामले में नियम 3 के उप नियम (ज) के परन्तुक के तहत ।
  - (ढ) प्राधिकृत अधिकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिवर्तन, संशोधन अथवा रद्द किए जाने से संबंधी मामले में नियम 3 के उप नियम (झ) के तहत प्रत्येक आदेश से आवेदक और उसी प्रकार अधिनिर्णय अधिकारी को सूचित करेगा।
  - (ण) प्राधिकृत अधिकारी नियम 4 के उप नियम (झ) के तहत लाइसेंस और पहचान-पत्र की मंजूरी अथवा मीनहरण लाइसेंस तथा पहचान पत्र के नवीनीकरण से इंकार के प्रत्येक आदेश से आवेदक और उसी प्रकार अधिनिर्णय अधिकारी को सूचित करेगा ।
  - (त) प्राधिकृत अधिकारी मीनहरण लाइसेंस के परिवर्तन, संशोधन और रद्द करने संबंधी नियम 4 के उप नियम (अ) के प्रत्येक आदेश से आवेदक और उसी प्रकार निर्णय अधिकारी को सूचित करेगा ।
  - (थ) प्रशासन के मीन उद्योग विभाग के मीन उद्योग निदेशक और सभी सहायक निदेशक (मीन उद्योग) तथा उक्त प्रयोजन के लिए इनमें से किसी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को मीनहरण जहाज के निरीक्षण के लिए प्रवेश का अधिकार होगा।

- (b) In discharging his duties as Adjudicating Officer, the Director of Fisheries, Andaman & Nicobar Islands, who shall be assisted at the Directorate office by the Assistant Director of Fisheries, shall assign the duties and responsibilities of dealing with the matters pertaining to marine fisheries. Besides, the Adjudicating Officer may take assistance of the Assistant Director of Fisheries as and when necessary.
- (c) The Adjudicating Officer shall have jurisdiction, in general overall matters relevant to the Regulation and, in particular, overall dispute occasioned through any order issued or any action taken by the Authorized Officer in the matter of –
  - (i) Refusal in granting registration to a fishing vessel under sub-section (3) of section 9, read with sub-rule (g) of rule 3.
  - (ii) Modification or amendment or cancellation of fishing vessel under sub-rule(i) of rule 3,
  - (iii) Refusal in granting fishing licence or renewal of fishing licences under subsection (3) of section 6, read with sub-rule (i) of rule 4,
    - Modification or amendment or cancellation of fishing licence under sub-section (1), or sub-section (2) of section 8, read with sub-rule (j) of rule 4.
    - Impounding of fishing vessel with accessories on board and seizure of fish found on board under section 15 read with sub-rule (q) of rule 6, and
    - Disposal of seized fish under sub-section (2) of section 15, read with sub-rule (s) of rule 6.
- (d) The Adjudicating Officer shall listen to, and deal with any application or complain received from or lodged by any person aggrieved by any action taken by or any order passed by the Authorized Officer under any provision of the Regulation or under any provisions of these rules.
- (e) The Adjudicating Officer shall hold enquiry and try all disputes in Port Blair : Provided that —
  - if, in the opinion of the Adjudicating Officer, an enquiry or trial in a place other than in Port Blair will be advantageous in the interest of justice, or
  - (ii) if the Adjudicating Officer on an application of the party aggrieved by an order or action of the Authorized Officer, is satisfied that attendance of the aggrieved party, either in person or through an authorized agent, during the course of enquiry or trial at Port Blair will ease undue hardship to the aggrieved party, the Adjudicating Officer may fix up a suitable place other than in Port Blair for enquiry or trial of the point at issue.
- (f) While holding an enquiry or conducting a trial under the Regulation, the Adjudicating Officer shall enjoy and exercise all the powers vested in him under sub-section (1) and sub-section (2), of section 16.
- (g) The Adjudicating Officer shall dispose of an application within 60 working days from the date of receipt of the said application. In case of delay for reasons beyond his control, the Adjudicating Officer shall record in writing the reasons for the delay, for consideration by the Appellate Authority, if situation so demands in future.
- (h) The Adjudicating Officer shall issue order under section 17.
- The Adjudicating Officer shall report to the Appellate Authority every order issued by him under section 17.
- (j) The Adjudicating Officer shall communicate every order issued by him under section 17 by tendering a copy thereof, signed by himself to the owner of fishing vessel or his authorized agent, free of cost.

- 10
- (द) प्रशासन के मीनउद्योग विभाग के सभी अधिकारी जो सहायक निदेशक (मीन उद्योग) की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे, धारा 14 तथा 15 और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत दायित्वों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत अधिकारी होंगे ।
- (ध) किसी मीनहरण जहाज के उसके फीटिंग और उपकरणों के साथ जब्त किए जाने के मामले में या जहाज में पाई गई मछली के जब्ती के मामले में धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी एम.एफ.आर-18 के विवरण के अनुसार जब्त की गई सामग्रियों की सूची तीन प्रतियों में तैयार करेगा, और उस पर मीनहरण जहाज के मालिक का अधवा जहाज में उस समय उपस्थित किसी जहाजीकर्मी या मछुवारे का हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और जब्त की गई सामग्रियों की सूची की एक प्रति हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को देगा ।

परन्तु यदि मत्स्यहरण जलयान का मालिक या उस पर कार्यरत कोई भी जहाजी कर्मी अथवा मछुनारा जब्त की गई सामग्रियों की सूची पर हस्ताक्षर करने से तैयार न हो तो प्राधिकृत अधिकारी नजदीक के जहाज के किसी कर्मी या मछुवारा अथवा वहाँ उपस्थित किसी अन्य गवाह का हस्ताक्षर लेगा । जब्त की गई सामग्रियों की सूची और सूची में लिया गया गवाह के हस्ताक्षर को विनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए प्रभावकारी साक्ष्य माना जाएगा ।

- (न) प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित मामलों में प्रत्येक घटना के शुरू होने के 7 दिनों के भीतर अधिनिर्णय अधिकारी को इस संबंध में रिपोर्ट करेगा -
  - (i) धारा 14 के तहत जब्त मत्स्य हरण जलयान तथा पकड़ी गई मछली और
  - (ii) धारा 15 की उप धारा (2) के तहत जब्त की गई मछली का निपटान ।
- (प) प्राधिकृत अधिकारी धारा 15 के तहत जब्त की गई मछली के निपटान से पूर्व अधिनिर्णय अधिकारी से परामर्श करेगा और, उसके बाद अधिनिर्णय अधिकारी के निदेशानुसार जब्त की गई मछली का निपटान करेगा ।

परन्तु यदि प्राधिकृत अधिकारी की राय में ऐसे परामर्श में लगने वाले समय से जब्त की गई मछली की स्थित खराब हो सकती है और जिसके कारण उसके मूल्य में कमी आ सकती है या किसी अन्य वास्तविक कारण से, पकड़ी गई मछली के तत्काल निपटान की आवश्यकता होने पर, वह सार्वजनिक नीलामी द्वारा इसका निपटान करेगा और बिक्री लाभ राजस्व जमा के रूप में सरकार के पास जमा कराएगा ।

बशर्ते यह भी कि अधिनिर्णय अधिकारी से परामर्श किए बिना आम नीलामी द्वारा मछली के निपटान की प्रत्येक घटना की सूचना प्राधिकृत अधिकारी अधिनिर्णय अधिकारी को आम नीलामी द्वारा मछली के निपटान के कारण को बताते हुए तुरन्त रिपोर्ट देगा और इसकी सूचना मीन उद्योग निदेशक को भी देगा ।

- (फ) प्राधिकृत अधिकारी मीनहरण जहाज के मालिक द्वारा किसी भी धारा के तहत किए गए अपराधों की सूचना समय-समय पर अधिनिर्णय अधिकारी को ऐसे फार्म में देगा जैसा निर्धारित किया जाए।
- (व) प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 के उप नियम (छ), (ज) तथा (झ) और नियम 4 के उप नियम (अ) तथा (ट) के तहत अपने द्वारा हस्ताक्षरित जारी प्रत्येक आदेश की सूचना की एक प्रति नि:शुल्क जहाज के मालिक को अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट को देगा ।

#### CHAPTER - VII

#### APPELLATE AUTHORITY

#### 8. Appellate Authority

- (a) District Judge appointed by Andaman and Nicobar Administration, shall act as the Appellate Authority for the purposes of the Regulation and for the purpose of hearing any matter within the purview of the Regulation.
- (b) Secretary (Fisheries), Andaman and Nicobar Administration shall act as the Secretary to the Appellate Authority.
- (c) The Appellate Authority shall further be assisted by such other officer of the Andaman and Nicobar Administration /Department of Fisheries as the State Government may, by suitable notification, from time to time, appoint for the purpose.
- (d) While holding an enquiry or trying any dispute, the Appellate Authority shall exercise the powers vested on it under sub-sections (1), (2) and (3) of section 20.

#### CHAPTER - VIII

#### MISCELLANEOUS

#### Appointment of Agent :

- (a) The owner of a fishing vessel may appoint an agent to represent his/their interest in the matter of
  - registration of fishing vessel by Authorized Officer;
  - ii) grant/renewal of fishing licence by Authorized Officer;
  - iii) appeal against any order or action of Authorized Officer of Adjudicating

Appointment of an agent for the purpose, as aforesaid shall be made by the owner of the fishing vessels and appointment of an agent in such manner shall be deemed to be valid and effectual for the purposes of these Rules and also the Regulation.

- (b) Application for appointment of an agent, as provided for in sub-rule (a) of rule 9 shall be made in prescribed Form No. MFR-11. Only one agent can be appointed for any one of the four items appearing below sub rule (a) of rule 9.
- (c) Any direction or instruction or order issued by or served by Authorized Officer or Adjudicating Officer or Appellate Authority, as the case may be, through such appointed agent shall be deemed to have been issued on or served upon the owner of the fishing vessel, when there is only one owner, and/or jointly and severally upon all the owners of the fishing vessel when there exist more than one owner.

#### 10. Copy of order

The Authorized Officer or the Adjudicating Officer or the Appellate Authority, as the case may be, shall make available a copy of the order issued by him to the appointed agent, when such an agent exists, or the owner of the fishing vessel, free of cost. On an application having been made in this regard, the appointed agent or, in the absence of an appointed agent, the owner(s) of the fishing vessel may receive additional copy of such order on payment of Rs. .25/- (twenty five) per copy.

#### Service of instruction or direction or order

(a) Any instruction or direction or order of the Authorized Officer or the Adjudicating Officer or the Appellate Authority shall be communicated to the appointed agent, if one such agent exists, or to the owner of the fishing vessel, by tendering a copy thereof duly signed by serving officer.

### अध्याय -VI अधिनिर्णय अधिकारी

#### 7. अधिनिर्णय अधिकारी

- क) मत्स्य निदेशक अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह विनियम के किसी भी उपबन्ध के तहत प्राधिक्त अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अधिनिर्णय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।
- ख) अधिनिर्णय अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों के निर्वाहन हेतु मत्स्य निर्देशक, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सहायता निर्देशालय के कार्यालय में जो सहायक मत्स्य निर्देशक को करता है, समुद्रीय मीनहरण के मामले में दायित्व तथा कर्त्तव्य भी सौपेगा । इसके अतिरिक्त अधिनिर्णय अधिकारी जब और जैसे आवश्यक हो, सहायक मत्स्य निर्देशक की सहायता ले सकेगा ।
- ग) अधिनिर्णय अधिकारी का क्षेत्राधिकार सामान्य तौर पर विनियम से संबंधित सभी मामलों में और विशेष तौर पर निम्नलिखित मामलों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आदेश अथवा उसके द्वारा की गई कार्रवाई पर होगा
  - i) नियम 3 के उप नियम (छ) के साथ पठित धारा 9 की उप धारा (3) के तहत मत्स्य हरण जलयान के पंजीकरण मंजूर करने से इंकार ।
  - ii) नियम 3 के उप नियम (ञ) के तहत जलयान में परिर्वतन या संशोधन या उसे रद्द करने से संबंधित
  - iii) नियम 4 के उप नियम (झ) के साथ पठित धारा 6 की उप धारा (3) के तहत मत्स्य हरण लाइसेंस की मंजूरी या नवीनीकरण से इंकार ।
- क) नियम 4 के उप नियम (ञ) के साथ पठित धारा 8 की उप धारा (1) अथवा उप धारा (2) के तहत मत्स्य हरण लाइसेंस में परिवर्तन या संशोधन अथवा रद्द करना
- ख) नियम 6 के उप नियम (थ) के साथ पठित धारा 15 के तहत उप साधनों सहित मत्स्य हरण जलयान तथा पकड़ी गई मछली को जब्त करना और
- ग) नियम 6 के उप नियम(घ) के साथ पठित धारा 15 की उपधारा (2) के तहत जब्त की गई मछली का निपटान
- घ) अधिनिर्णय अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन नियमों के किसी भी उपबन्धों के तहत अथवा विनियमों के किसी भी प्रावधान के तहत पारित कोई आदेश अथवा की गई किसी कार्रवाई से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज शिकायत को सुनेंगे अथवा प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई करेंगे ।
- ङ) अधिनिर्णय अधिकारी जाँच आयोजित करेंगे और सभी विवादों का विचारण पोर्ट ब्लेयर में करेंगे।
  - परन्तु यदि अधिनिर्णय अधिकारी की राय में जाँच या विचारण पोर्ट ब्लेयर के अलावा किसी अन्य स्थान पर आयोजित करना न्याय के पक्ष में लाभप्रद होगा, अथवा
  - गां) प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश अथवा कार्रवाई से व्यथित पक्ष के आवेदन पर अधिनिर्णय अधिकारी का समाधान हो जाने पर कि व्यथित पक्ष को व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राधिकृत एजेन्ट के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर में जाँच अथवा विचारण हेतु उपस्थिति होने से व्यथित पक्ष को अनुचित कठिनाई होगी तो अधिनिर्णय अधिकारी उस मामले में जाँच अथवा विचारण पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान निर्धारित कर सकेगा ।
- च) विनियम के तहत जाँच अथवा विचारण के समय अधिनिर्णय अधिकारी धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तितयों का उपयोग तथा प्रयोग करेगा ।

Provided that when there exists more than one owner, such communication shall be made to all the owners of fishing vessel, individually and separately.

Such communication of direction or instruction or order shall be made in either (b)

of the two means, namely :-

through personal service from the office of the serving officer after obtaining acknowledgement of receipt endorsed on the office copy of the direction or instruction or order, as the case may be, or

through postal service with acknowledgement due.

When an acknowledgement purporting to have been signed by the appointed (C) agent or by the owner of the fishing vessel is received back by the serving officer or the postal article containing the instrument is received back by the serving officer with an endorsement purporting to have been made by a postal employee to the effect that the addressee has refused to take delivery of the postal article the instruction or the direction or the order shall be taken to have been served on the addressee of the postal article.

(d) The Authorized Officer or the Adjudicating Officer or the Appellate Authority, as the case may be, may direct communication of any instruction or direction or order

through both personal service and postal service.

Provided that nothing in these rules shall devolve on the serving officer the responsibility of effecting such communication through both personal service and postal service.

#### 12. Submission of appeal application

- (a) Save as otherwise expressly provided by any specific order from a competent authority or by any law for the time being in force, no appeal shall lie before
  - an Adjudicating Officer excepting from an absolute order of Authorized Officer, or
  - an Appellate Authority excepting from an absolute order of Adjudicating (11)
- Every application for appeal shall be submitted before the competent authority (b) by -

the owner of the fishing vessel, or (i)

(ii) an agent, appointed for the purpose, by owner of the fishing vessel: Provided that no appeal application shall be maintainable unless accompanied by an application in Form No. MFR-11, duly filled in by the owner of the fishing vessel.

Every application for appeal shall be submitted before the appropriate authority (C) within 30 days from the date on which the order appealed against has been communicated to the owner of the fishing vessel, either directly or through

appointed agent:

Provided that the authority, before which an appeal application has been presented, may entertain an appeal after expiration of the said period of 30 days if the said authority is satisfied that the appellant had bonafide grounds for not being able to prefer the appeal within the stipulated period

(d) Every application for appeal shall comprise -

- one certified copy of the order (obtainable from Authorized Officer or Adjudicating Officer issuing the order) appealed against:
- one application stating -(ii)
  - ground(s) of appeal.
  - relief prayed for and
  - justification and/or reasons for delay in preferring appeal.
- one application for appointment of agent in Form No. MFR-11 Provided that when an application for appeal is submitted within the stipulated period of 30 days, referred to in sub-rule (C), the provisions of subclause (iii) of clause (b) of sub-rule (d) shall not operate

- छ) अधिनिर्णय अधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 60 कार्यीदवसों के भीतर उस आवेदन का निपटान करेगा । यदि उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों से विलम्ब हुआ हो तो अधिनिर्णय अधिकारी विलम्ब के कारणों को अभिलिखित करेगा ताकि भविष्य में स्थिति के मौंग पर अपीलीय प्राधिकारी विचार कर सके ।
- ज) अधिनिर्णय अधिकारी धारा 17 के तहत आदेश जारी करेगा ।
- झ) अधिनिर्णय अधिकारी धारा 17 के तहत उसके द्वारा जारी प्रत्येक आदेश के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा।
- अधिनिर्णय अधिकारी धारा 17 के तहत उसके द्वारा जारी प्रत्येक आदेश की सूचना उसकी प्रति अपने हस्ताक्षर सहित जलयान के मालिक अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट को नि:शुल्क प्रदान करेगा।

### अध्याय - VII अपीलीय प्राधिकारी

#### 8. अपीलीय प्राधिकारी

- अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा नियुक्त जिला न्यायाधीश विनियम के प्रयोजन के लिए और विनियम के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी मामले को सुनने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।
- ख) सचिव (मीनउद्योग) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन अपीलीय प्राधिकारी के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।
- ग) अपीलीय प्राधिकारी की सहायता अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन/मत्स्य निदेशालय के ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार समय-समय पर जारी उपयुक्त अधिसूचना द्वारा नियुक्त करें ।
- (ध) किसी विवाद की जाँच या विचारण करते समय अपीलीय प्राधिकारी धारा 20 की उप-धारा (1),(2) तथा (3) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

### अध्याय - VIII

### विविध

### 9. एजेंट की नियुक्ति :-

- क) मत्स्यहरण नौका का मालिक निम्न मामले में उनका/उनके हितों का प्रतिनिधित्व के लिए एक एजेंट नियुक्त करेगा -
  - प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मत्स्य हरण जलयान का पंजीकरण
  - ii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मत्स्यहरण लाइसेंस की मंजूरी/नवीनीकरण
  - गांधिकृत अधिकारी या निर्णय अधिकारी के किसी भी आदेश या कार्रवाई के खिलाफ अपील।

उपयुर्कत प्रयोजन के लिए एजेंट की नियुक्ति मत्स्य हरण नौका के मालिक द्वारा की जाएगी और इस प्रकार की गई एजेंट की नियुक्ति इन नियमों और साथ ही विनियम के तहत वैध तथा प्रभावी मानी जाएगी।

ख) नियम 9 के उप नियम (क) में दिए अनुसार एजेंट की नियुक्ति के लिए आवेदन निर्धारित फार्म एम. एफ.आर-11 में देना होगा । नियम 9 के उप नियम (क) के नीचे उल्लिखित चार मदों में से किसी भी एक मद के लिए एक एजेंट की नियुक्ति की जा सकेंगी । (iv) receipt showing deposit of penalty or fine imposed by an order, appealed against, of the Adjudicating Officer issued under section 18:

Provided that when an application for appeal against an order of the Authorized Officer is presented before the Adjudicating Officer, the provisions of clause (s) of sub-rule (d) shall not operate.

Provided further that when the appellate authority, on an application having been made in this behalf, and in exercise of the power conferred by subsection (5) of section 18, has dispensed with the deposit of penalty or fine by the owner of fishing vessel prior to preferring appeal, the provisions of clause (iv) of sub-rule (d) of rule 12 shall not operate.

#### Enquiry by the Adjudicating Officer under section 17

(a) On receipt of a report from Authorized Officer or from any other source about violation or contravention of any of the provisions of the Regulation by the owner of a fishing vessel or by crew and/or fishermen on board the fishing vessel, Adjudicating Officer shall examine validity of the report within the purview of the Regulation and satisfy himself about the act of violation or contravention of the Regulation, as reported.

(b) If, on examination, it appears that there exists, prima facie, an instance of violation or contravention of the Regulation, Adjudicating Officer shall proceed

for enquiry into the matter.

Provided that the Adjudicating Officer shall not proceed for enquiry into the reported matter if he is satisfied that violation or contravention of the Regulation is –

 due to ignorance of the owner of the fishing vessel or the crew or the fishermen on board the fishing vessel and not willful, and

 arising out of a situation beyond control of the owner of the fishing vessel or the crew or the fishermen on board the fishing vessel.

(c) The Adjudicating Officer shall fix up, for the purpose of first hearing, time, date and place of hearing and issue notice incorporating such information therein, to the owner of the fishing vessel or to his/their appointed agent if one such agent exists, directing appearance before the Adjudicating Officer.

(d) A notice under the sub rule (c) shall be served in Form No. MFR-12.

(e) Should a situation so required the Adjudicating Officer shall fix subsequent date, time and place of hearing and declare the same in presence of the owner of the fishing vessel or the appointed agent.

(f) The Adjudicating Officer may adjourn or postpone hearing if he considers it necessary.

(g) The Adjudicating Officer shall direct the Authorized Officer to appear or to depute some competent officer subordinate to him on every date of hearing, for the purpose of facilitating disposal of the issue.

(h) While holding enquiry under section 16, the Adjudicating Officer shall, apart from considering written statement in defence, give every opportunity to the owner of the fishing vessel of being heard either personally or through

appointed agent.

- (i) The Adjudicating Officer, after satisfying himself about service of notice under sub-rule (c) read with sub-rule (d) and sub-rule (j) and receipt thereof by the concerned party, may decide the issue ex-parte and pass order under section 17, on the point at issue.
- While serving a notice under sub-rule (d) or communicating an order issued under section 17, the Adjudicating Officer shall follow the procedure laid down in Rule 11

#### 14. Hearing of appeal application

(a) An appeal application preferred in violation of procedure laid down in Rule 12 shall not lie and does not become maintainable and Adjudicating Officer or ग) प्राधिकृत अधिकारी, या अधिनिर्णय अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी जैसा भी मामला हो, द्वारा कोई निदेश या अनुदेश अथवा आदेश ऐसे नियुक्त एजेंट को जारी करने या देने से यह माना जाएगा कि मत्स्यहरण नौका के मालिक को दिया गया और/अथवा जहां एक से अधिक मालिक हो वहां संयुक्त रूप से सभी को दिया गया ।

#### 10. आदेश की प्रति :-

प्राधिकृत अधिकारी या अधिनिर्णय अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, जारी आदेश की प्रति नियुक्त एजेंट को, जब ऐसा कोई एजेंट उपलब्ध हो, अथवा मत्स्यहरण नौका के मालिक को नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा । इस संबंध में ऐसे आदेश की अतिरिक्त प्रति के लिए ऐजेन्ट या उसकी अनुपस्थिति में मत्स्यहरण नौका के मालिक द्वारा दिए गए आवेदन पर प्रत्येक प्रति रु. 25 (पच्चीस मात्र) अदा करके प्राप्त किया जा सकेगा ।

#### 11. अनुदेश व निदेश अथवा आदेश की तामील

क) प्राधिकृत अधिकारी या अधिनिर्णय अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी के किसी अनुदेश या निर्देश अथवा आदेश की सूचना जारी अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित प्रति नियुक्त एजेंट को दी जाएगी, यदि ऐसा कोई एजेंट विद्यमान हो अथवा मत्स्यहरण जलयान के मालिक को दी जाएगी।

परन्तु यदि मत्स्यहरण जलयान के एक से अधिक मालिक हो तो ऐसी सूचना मत्स्यहरण जलयान के सभी मालिकों को व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग दी जाएगी ।

- ख) निर्देश या अनुदेश अथवा आदेश की ऐसी सूचना निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी एक द्वारा भेजी जाएगी, अर्थात्
  - i) जारी करने वाले अधिकारी द्वारा निर्देश, अनुदेश या आदेश जैसा भी मामला हो, की प्रति की कार्यालय प्रति पर पावती रसीद लेकर व्यैक्तिक तामील के माध्यम से अथवा
  - ii) पावती रसीद सहित डाक सेवा के माध्यम से ।
- ग) जब यह तात्पर्यित हो कि नियुक्त एजेन्ट या मत्स्य जलयान के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित पावती वापस तामील अधिकारी को प्राप्त हो गयी है या डाक वस्तु जिसमें लिखित पत्र था इस पृष्ठांकन के साथ जो डाक कमीं द्वारा लिखा तात्पर्यित होता हो कि प्रेषिती ने अनुदेश या निदेश या आदेश वाली डाक वस्तु को लेने से मना कर दिया है तो यह मान लिया जाएगा कि डाक वस्तु प्रेषिती को दे दिया गया है ।
- घ) प्राधिकृत अधिकारी, अधिनिर्णय अधिकारी या अपीलीय अधिकारी, जैसा भी मामला हो, किसी भी अनुदेश, निदेश या आदेश को व्यैक्तिक तामील और डाक सेवा दोनों से भेजने का निदेश दे सकता है।

बशर्ते इस नियमों की कोई भी बात तामील करने वाले अधिकारी के पत्र को दोनों माध्यमों अर्थात व्यक्तिगत तामील तथा डाक सेवा से तामील कराने के दायित्व को न्यागत नहीं करेगा ।

#### 12. अपील आवेदन जमा करना :-

- क) किसी सक्षम प्राधिकारी के किसी विशेष आदेश या उस समय लागू किसी कानून में स्पष्ट रूप से बताए प्रावधानों को छोड़ कर कोई भी अपील निम्न के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा -
  - अन्यथा उपबन्धित निरपेक्ष आदेश को छोड़कर प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध निर्णय अधिकारी के समक्ष अथवा
  - ii) अन्यथा उपबन्धित निरपेक्ष आदेश को छोड़कर निर्णय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष ।
- ख) अपील के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष निम्न द्वारा दायर किया जाएगा ।

Appellate authority, as the case may be, shall reject such application and inform the appellant, accordingly, stating the ground of rejection;

Provided that when the authority before which the appeal has been preferred, is satisfied that the deviation from the procedure laid down in rule 12 does not alter the merit of the appeal application or does not materially affect the spirit of the stipulations laid down in rule 12, the authority may ignore the defect and accept the appeal application after passing necessary order in this

An appeal application found on scrutiny as maintainable will be heard by (b) Adjudicating Officer or Appellate Authority, as prescribed in sub-rule (a) of Rule

The appellant will be served with a notice directing appearance during hearing (C) of appeal application at the specified time and date and place, either personally or through an appointed agent.

Such notice for appearance will be served on appointed agent in prescribed (d) Form No. MFR-13 or, when served on the owner of fishing vessel, in Form No. MFR-14.

In the matter of serving notice in either Form No. MFR-13 or Form No.14, the (e) procedure laid down in rule 11 shall be followed.

In hearing an application for appeal or issuing an order thereon, the Adjudicating (f) Officer or the appellate authority, as the case may be, shall, after hearing the appeal, follow the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908, 5 of 1908.

(2) (e) of section 4 of regulation

- Sub-Section 15. Leasing of Sea Area for fish culture or installation of fish aggregating devices The Director of Fisheries, Andaman and Nicobar Islands shall be the Leasing Officer for lease of sea areas on the basis of recommendation of the committee constituted for the purpose.
  - The Director of Fisheries shall issue an advertisement incorporating the terms (b) and conditions of the Government for leasing of such sea areas in the leading newspapers calling applications from interested persons, firms and organization. The application shall be submitted by the interested persons, firms and organization in the forms as may be prescribed by the Director of Fisheries.
  - The evaluation of applications and selection of eligible persons, firms and organization for lease of sea area shall be done by a committee comprising of the following :-

Secretary (Fisheries) - Chairman (i) Andaman and Nicobar Administration Deputy Commissioner of the concerned District - Member Chief Port Administrator Member (iii) Andaman and Nicobar Administration - Member Chief Wildlife Warden (iv) Andaman and Nicobar Islands Technical Expert from any Central Govt. (v) Organization or Ministry of Agriculture, - Member GOL - Member Secretary Director of Fisheries (vi) Andaman and Nicobar Administration

- The Committee shall lay down the terms and conditions for leasing of sea area (d) and the same shall be published by the Director of Fisheries while inviting applications.
- The terms and conditions of lease and conditions for implementation or (e) monitoring of the project shall be specified by the Director of Fisheries while leasing the sea areas to the selected person, firm and organization.

- i) मत्स्यहरण नौका का मालिक द्वारा अथवा
- ii) मत्स्यहरण नौका के मालिक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुंक्त एजेंट द्वारा

परन्तु कोई अपीलीय आवेदन मान्य नहीं होगा यदि वह फार्म सं.एम.एफ.आर-11 में मत्स्यहरण नौका के मालिक द्वारा विधिवत् भरा न गया हो ।

ग) अपील के प्रत्येक आवेदन मत्स्यहरण जलयान के मालिक या उसके प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील किया जा रहा हो के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष दायर किया जाएगा ।

परन्तु वह प्राधिकारी जिनके समक्ष अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वह 30 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि वह प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास निर्धारित समय के भीतर अपील जमा न कर पाने की वास्तविक कारण थे।

- घ) अपील के प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित शामिल होगा :-
  - जिस आदेश के विरूद्ध अपील किया गया हो उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति(आदेश जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी या निर्णय अधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा)
  - ii) आवेदन जिसमें निम्नलिखित बाते शामिल हो-
- (क) अपील के कारण
- (ख) जो सहत मांगना हो उसका विवरण और,
- (ग) अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब के औचित्य और अथवा कारण ;
  - iii) एजेंट की नियुक्ति के लिए फार्म सं.एम.एफ.आर-11 में आवेदन ।
  - iv) धारा 18 के तहत अधिनिर्णय अधिकारी द्वारा जारी आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जा रही हो में लगायी गई शस्ति को जमा कर देने रसीद

परन्तु जब उप नियम (ग) के अधीन अपील के लिए आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर जमा किया जाता है तो उप नियम (घ) का खण्ड (ख) का उप खण्ड (iii) अपेक्षित नहीं होगा ।

बशर्ते यह भी कि इस संबंध में किए गए आवेदन पर तथा धारा 18 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलीय प्राधिकारी मत्स्यहरण जलयान के मालिक को अपील दायर करने से पहले शस्ति या जुर्माना जमा करने से अभियुक्त करता हो तो नियम 12 की उपनियम (घ) के खण्ड (iv) के प्रावधान अपेक्षित नहीं होंगे।

### 13. धारा 17 के तहत अधिनिर्णय अधिकारी द्वारा जौंच

- (क) मत्स्यहरण जलयान के मालिक अथवा उसमें तैनात नौका कर्मी और /अथवा मछुवारों द्वारा विनियम के उपबन्धों का उल्लधंन या अतिक्रमण का कोई रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी अथवा किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त होने पर अधिनिर्णय अधिकारी विनियम के कार्य क्षेत्र के भीतर रिपोर्ट की वैधता की जाँच करेगा और रिपोर्ट के अनुसार विनियम के उल्लधंन और अतिक्रमण से खुद को संतुष्ट करेगा ।
- (ख) यदि, जाँच करने पर, प्रथम दृष्टि में यह प्रकट होता है कि विनियम के उल्लधन अथवा अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न हुई है तो अधिनिर्णय अधिकारी मामले की जाँच आरम्भ करेगा ।

परन्तु अधिनिर्णय अधिकारी रिपोर्ट किए गए मामले पर जाँच आरम्भ नहीं करेगा यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि विनियम का उल्लिधंन या अतिक्रमण -

- i) मत्स्यहरण जलयान के मालिक या कर्मी या मछुवारे की अनिभज्ञता से हुआ है और इरादतन नहीं, और
- ii) मत्स्यहरण जलयान के मालिक या कर्मी या मछुवारे के नियंत्रण के परे की स्थिति के कारण हुई।

(f) The detail of sea areas identified for leasing for fish culture or installation of fish aggregating devices shall be as listed in Schedule – V, annexed with these rules.

Sub-Section (2) (b) and (2) (f) of section 4 of regulation

#### Transportation of Fish or Fish Product from the Islands

- (a) Any person, trader, fish vendor or any organization engaged in transport of fish or fish products outside the jurisdiction of the islands shall register his or her name with the Authorized Officer of his respective area and shall pay royalty to the Director of Fisheries as prescribed in Schedule- VI annexed with these rules.
- (b) 100% Export Oriented Units (EOU's) possessing valid green card issued by the Madras Export Processing Zone (MEPZ) having their establishment or project base in the islands shall be exempted from payment of royalty. However, such units shall furnish the details of export consignment and obtain No Objection Certificate from the Director of Fisheries on consignment basis.
- (c) All Deep sea fishing vessels when engaged in fishing within the territorial waters of Andaman and Nicobar Islands on the basis of fishing licence issued under these rule shall sell prescribed quantity of their catch after each voyage to the Andaman and Nicobar Fisheries Cooperative Federation Ltd. or Fish Processing Industries established in the Islands at the prevailing wholesale market price in the local market, unless they are exempted by the Administrator, Andaman and Nicobar Islands.
- (d) Any person, trader, fish vender or any organization including owner of fishing vessel shall not engage himself in exporting the juveniles or brood stock of the below mentioned crustaceans and fish from the jurisdiction of the islands.

#### (A) Lobster

- (i) "Panulirus polyphagus 300 grams as whole chilled frozen, 250 grams as whole cooked; 90grams as tail"
- (ii) P.homarus 200 grams as whole live, chilled or frozen; 170 grams as whole cooked; 50 grams as tail"
- (iii) P. Ornatus 500 grams as whole live, chilled or frozen; 425 grams as whole cooked; 150 grams as tail"
- (iv) Thenus orientalis 150 grams as whole; 45 grams as tail".
  "Note: "as tail" means without head.

#### (B) Crab

- (i) Scylla serrata 8.4 cm carapace width (CW) whole live, chilled or frozen.
- (ii) S. tranquebarica-12.3 cm(CW) whole, chilled or frozen.
- (iii) All crab with the egg mass in abdomen.

#### (C) Grouper

 All groupers (except Giant Grouper "Epinephelus Lanceolatus" banned under Wild Life (Protection) Act, 1972) less than 30 cm overall length, whole live, chilled or frozen.

#### (D) Shrimp Brooders (Live)

(i) Penaeus monodon, Penaeus merguinensis

#### (E) Pearl Oyster

(i) Pinctada margaritifera

Provided that such export outside the jurisdiction of the islands by any organization of State or Central or Public Undertaking is purely for research or scientific purpose, shall obtain permission from the Director of Fisheries.

(e) Person, trader, firm or organization shall not import any species of fish (live) fresh water or marine including its juvenile or seedlings whether indigenous or exotic to the islands.

Provided such import is allowed for research or scientific or demonstration purpose by the Director of Fisheries on production of necessary quarantine clearance issued in respect of the consignment by the competent authority.

- (ग) अधिनिर्णय अधिकारी प्रथम सुनवाई के लिए समय, तिथि व स्थान नियत करेगा और ऐसी सभी सूचनाएं शामिल करते हुए मत्स्यहरण जलयान के मालिक अथवा उनके द्वारा नियुक्त एजेंट, यदि कोई हो, को अधिनिर्णय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के निदेश के साथ-जारी करेगा ।
- (घ) उप नियम (ग) के तहत नोटिस फार्म सं. ए.म.एफ.आर-12 में तामील हेतु जारी करेगा ।
- (ङ) ऐसी स्थित अपेक्षित होने पर अधिनिर्णय अधिकारी सुनवाई की अगली तिथि, समय तथा स्थान निश्चित करके इसकी घोषणा मत्स्यहरण नौका के मालिक अथवा नियुक्त एजेंट की उपस्थिति में करेगा ।
- (च) अधिनिर्णय अधिकारी यदि आवश्यक समझें, सुनवाई को रोक सकता है अथवा स्थगित कर सकता है।
- (छ) अधिनिर्णय अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी को निरेश देगा कि मामले के सुविधाजनक निपटान के लिए, सुनवाई की सभी तारीखों में प्राधिकृत अधिकारी स्वयं अथवा अपने किसी अधीनस्थ सक्षम अधिकारी को उपस्थित रहने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा ।
- (ज) धारा 16 के अंतर्गत जांच के दौरान अधिनिर्णय अधिकारी सुने जा रहे मतस्यहरण जलयान के मालिक द्वारा अपने बचाव में दायर लिखित कथन पर विचार करने के अतिरिक्त उसे स्वयं या अपने नियुक्त एजेंट के माध्यम से अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देगा ।
- (झ) अधिनिर्णय अधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाने पर कि उपनियम (घ) और उपनियम (अ) के साथ पठित उपनियम (ग) के अधीन जारी नोटिस की तामील हो गया है तथा संबंधित पक्ष को प्राप्त हो गया है, संबंधित मामले पर धारा 17 के अधीन एक पक्षीय निर्णय लेकर आदेश पारित कर सकेगा ।
- (ञ) उप नियम (घ) के तहत नोटिस की तामील करते समय अथवा धारा 17 के तहत जारी आदेश की सूचना देते समय अधिनिर्णय अधिकारी नियम 11 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

### 14. अपील आवेदन की सुनवाई

क) नियम 12 में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए दायर अपील आवेदन मान्य तथा स्वीकार योग्य नहीं होगा तथा अधिनिर्णय अधिकारी या अपीलीय अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे आवेदन को नामंजूर कर देगा तथा अपीलकर्ता को नामंजूर करने के कारणों सहित इसकी सूचना देगा ।

परन्तु यदि प्राधिकारी जिनके समक्ष अपील दायर की गई हो, संतुष्ट हो जाता है कि नियम 12 में निर्धारित प्रक्रिया का विचलन अपील आवेदन की गुणवत्ता में परिर्वतन नहीं करता है या नियम 12 में निर्धारित शर्त के अभिप्राय में तत्काल प्रभाव नहीं डालता है, प्राधिकारी त्रुटि को छोड़ते हुए इस संबंध में उपयुक्त आदेश पारित करते हुए अपील आवेदन स्वीकार कर सकेगा ।

- ख) अपील पर आवेदन जाँच के बाद उपयुक्त पाए जाने पर अधिनिर्णय अधिकारी या अपीलीय अधिकारी नियम 12 के उप नियम (क) में निर्धारित अनुसार सुनवाई करेगा ।
- ग) अपीलकर्ता को एक नोटिस इस निदेश के साथ ही जारी किया जाएगा कि आवेदन पर सुनवाई के लिए विनिर्दिष्ट समय, तारीख व स्थान पर स्वयं अथवा नियुक्त एजेंट के माध्यम से उपस्थित रहे।
- घ) उपस्थित होने की ऐसी सूचना नियुक्त एजेंट को फार्म सं. एम.एफ.आर-13 में या मत्स्यहरण जलयान के मालिक को फार्म सं. एम.एफ.आर.-14 में दी जाएगी ।
- ङ) फार्म सं. एम.एफ आर. 13 या फार्म सं. 14 को तामील हेतु जारी करते समय नियम 11 में निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाएगी ।

#### 17. Closed season for fishing

- (a) The following periods shall be a closed season for fishing in the Territorial Water of Andaman and Nicobar Islands.
- (i) The period commencing from 15<sup>th</sup> day of April to 31<sup>st</sup> day of May every year (inclusive of the day of commencement and day of expiry) shall be a closed season for fishing vessels employing bottom trawling gear and for shark fishing.
- (ii) The period commencing from 1<sup>st</sup> day of May and expiring on 30<sup>th</sup> day of September (inclusive of the day of commencement and day of expiry) during every year shall be the closed season for fishing sea shells.

Provided that any person or organization of State or Central or Public Undertaking intend to collect sea shells for purely research and scientific purpose, shall obtain necessary prior permission from the Director of Fisheries.

#### Prohibition in use of fishing gear

- (a) The following fishing gears specified below is prohibited to be used in the Territorial Water of Andaman and Nicobar Islands.
  - (i) Barrier net or behundi net or any other bag net made of mosquito netting or cloth for the purpose of catching any kind of fish including seedlings in the coastal areas, estuary mouth and creeks.
  - (ii) Fishing by using knotless gill net made of monofilament twine locally known as "Plastic Jal" for catching of any kind of fish including seedlings in the coastal areas, estuary mouth and creeks.
  - (iii) Use of fishing net or part of fishing net having mesh size below 20 mm. for catching any kind of fish.
  - (iv) Use of any such fishing gear which involves anchorage for fishing in the coral reef areas.

#### Prohibition in catching of certain species of fish.

- (a) The following species of fish is prohibited for catching in the Territorial Water of Andaman and Nicobar Islands
  - (i) Catching or collection of all animals covered under Wildlife (Protection) Act, 1972 (Act 53 of 1972) which includes fish , crustacean, shell fish , sea-cucumber (beche-de-mer), Sea grasses and Corals (dead or living).
  - (ii) Catching or collection of all marine ornamental fishes. (Explanation: Marine Ornamental Fish means and include Butterfly, Scorpion, Damsel, Parrot, Angel, Doctor, Puffer, Cat Fish, Surgeon, Sea anemone, Clown fish, Turbo worm, Sponges and any other fishes as may be specified by Notification in the Official Gazette from time to time).

Provided that any person or organization of State or Central or Public Undertaking intending to collect the said species for purely research and scientific purpose, shall obtain necessary permission from the Director of Fisheries.

- (iii) Catching or collection of brooders , juveniles and under size species which has a weight or length less than that specified below against each -
- a) Lobster
  - (i) "Penulirus polyphagus" 300 grams as whole.
  - (ii) P.homarus 200 grams as whole.
  - (iii) P.ornatus 500 grams as whole.
  - (iv) Thenus orientalis 150 grams.

#### b) Crab

- Scylla serrata 8.4 cms. carapace width (CW) whole live.
- Stranquebarica 12.3 cm (CW) whole.
- iii) All crab with the egg mass in abdomen.

#### d) Grouper

 All species of groupers (except Giant Grouper "Ephinephelus lanceolatus" covered under Wild Life च) अपील हेतु आवेदन पर सुनवाई अथवा उस पर आदेश पारित करते समय अधिनिर्णय अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी, जैसा की मामला हो, अपील सुनने के बाद दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1908, 1908 का 5 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाएगा ।

### 15. पतस्य पालन अथवा मत्स्य एकत्रीकरण उपकरण स्थापित करने हेतु समुद्री क्षेत्र पट्टे पर देंना-

- मत्स्य निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिश के आधार पर समुद्री क्षेत्र को पट्टे पर देने के लिए लीसिंग अधिकारी होगा ।
- ख) मत्स्य निदेशक प्रमुख समाचार पत्रों में एक विज्ञापन देगा जिसमें ऐसे समुद्री क्षेत्र को पटट्रे पर देने के लिए सरकार की शर्ते शामिल होगी और इच्छुक व्यक्तियों, फर्मों और संगठनों से आवेदन आमंत्रित करेगा । इच्छुक व्यक्ति, फर्म तथा संगठन द्वारा आवेदन मत्स्य निदेशक द्वारा निर्धारित फार्म में दिया जाएगा ।
- ग) समुद्री क्षेत्र को पटट्रे पर देने के लिए आवेदन पत्रों का मूल्यांकन तथा पात्र व्यक्ति,फर्म तथा संगठन का चयन एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें निम्न शामिल होंगे -

i) सचिव (मत्स्य) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन - अध्यक्ष ii) संबंधित जिला का उप आयुक्त - सदस्य iii) मुख्य पत्तन प्रशासक, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन - सदस्य iv) मुख्य वन्यप्राणी वार्डन, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमृह - सदस्य

 भारत सरकार के केन्द्रीय सरकारी संगठन अथवा कृषि मंत्रालय के तकनीकी विशेषज्ञ

- सदस्य

vi) मत्स्य निदेशक, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन

- सदस्य सचिव

- घ) समिति समुद्री क्षेत्र पट्टे पर देने के लिए शर्ते निर्धारित करेंगी और मत्स्य निदेशक आवेदन आंमत्रित करते समय इन्हें प्रकाशित करेगा ।
- समुद्री क्षेत्र को चयनित व्यक्ति, फर्म तथा संगठनों को पट्टे पर देते समय पट्टे की शर्ते तथा परियोजना के कार्यान्वयन तथा निगरानी की शर्ते मत्स्य निदेशक विनिर्दिष्ट करेगा ।
- च) मत्स्य पालन अथवा मत्स्य एकत्रीकरण उपकरण स्थापित करने हेतु पट्टे पर दिए जाने के लिए पहचान किए गए समुद्री क्षेत्र का ब्यौरा इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची -V में सूचीबद्ध है।

### 16. द्वीपसमूह से मत्स्य अथवा मत्स्य उत्पादों का परिवहन

- विनयम की (क) इस द्वीपसमूह के क्षेत्राधिकार से बाहर मछली या मछली उत्पादों को भेजने के धारा 4 की कार्य में लगे व्यक्ति, व्यवसायी, मछली विक्रेता अथवा कोई संगठन अपने उपधार (2)(ख) संबंधित क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी के पास अपना नाम रिजस्टर कराएगा और इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची -VI में निर्धारित अनुसार रायल्टी मत्स्य निदेशक को अदा करेगा।
  - (ख) मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (एम.आई.पी.जेड) से हरा कार्ड प्राप्त 100% निर्यात मूलक इकाई जिसका कार्यालय अथवा परियोजना बेस इन द्वीपों में है को रायल्टी अदा करने से छूट होगी। तथापि इन इकाईयों को निर्यात किए जाने वाले खेप के संबंध में विवरण देना होगा और खेप के आधार पर अनापत्ति प्रमाणपत्र मतस्य निर्देशक से प्राप्त करना होगा।
  - (ग) गहरे समुद्री में मत्स्यहरण में लगे जलयान जब इन नियमों के तहत जारी लाइसेंस के आधार पर अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रादेशिक जल में मत्स्यहरण करेंगे तब अपने प्रत्येक यात्रा में निर्धारित मात्रा में मछली अंडमान तथा निकोबार मत्स्य सहकारी संघ लिमिटेड को अथवा इस द्वीपसमूह में स्थापित संसाधन उद्योग को स्थानीय बाजार के थोक बिक्री भाव में बेचेंगे यदि प्रशासक, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा उन्हें इससे छूट प्रदान नहीं किया गया हो ।

(Protection) Act, 1972) less than 30 cm. overall length.

#### Prohibition in fishing in a specified area 20.

- The following areas specified is prohibited for fishing in the Territorial Water of Andaman and Nicobar Islands
  - Areas falling within in the port limits as defined in the Indian Ports Act, (i) 1908 (15 of 1908)
  - (ii) Areas reserved for Aboriginal Tribes of the Islands under the Andaman and Nicobar Islands (Protection of Aboriginal Tribes) (Regulation) 1956 (Regulation No. 3 of 1956)
    (iii) Areas Protected or Prohibited in the Islands under the Wildlife (Protection)
  - Act, 1972.

Nothing contained in the said rule shall apply to any class or classes of fishing vessels for innocent passage to carry out fishing in permitted areas.

> (Prof. Ramchandra Ganesh Kapse) Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,

(Theresa Sandanam) Assistant Secretary (Fy.) घ) कोई व्यक्ति, व्यवसायी, मछली विक्रेता अथवा संगठन जिसमें मत्स्यहरण नौका का मालिक भी शामिल है नीचे ठिल्लिखित क्रस्टेशियन तथा मछली के नवयौवन तथा बच्चे के भण्डार को द्वीपसमृह के क्षेत्राधिकार से निर्यात नहीं करेगा ।

#### (क) लोबस्टर

- (i) ''पनुलिरस पॉलीफागुस 300 ग्राम सम्पूर्ण रूप में बर्फ में जमा हुआ, 250 ग्राम सम्पूर्ण रूप में पका हुआ, 90 ग्राम पिछले भाग के रूप में
- (ii) पी. होमारस 200 ग्राम सम्पूर्ण रूप जीवित, बर्फ से जमा हुआ, 170 ग्राम सम्पूर्ण रूप में पका हुआ; 50 ग्राम पिछले भाग के रूप में
- (iii) पी. ओरनाटस 500 ग्राम सम्पूर्ण रूप में जीवित, बर्फ से जमा हुआ 425 ग्राम सम्पूर्ण रूप में पका हुआ ; 150 ग्राम पिछले भाग के रूप में ''
- (iv) थेनस ओरीन्टालिस 150 ग्राम सम्पूर्ण रूप में ; 45 ग्राम पिछले भाग के रूप में "टिप्पणी : पिछले भाग के रूप में" से तात्पर्य बिना सिर वाले ।

#### (ख) केकड़ा

- (i) स्कैला सेराटा-8.4 कैरपेस बिड्य सम्पूर्ण रूप जीवित, बर्फ जमा हुआ
- (ii) एस, ट्रैक्यूबेरिका 12-3 से.मी.(सी.डब्ल्यू) सम्पूर्ण रूप में, बर्फ जमा हुआ
- (iii) सभी केकड़ा, पेट में अंडा लिए

#### (ग) ग्रूपर

(i) सभी ग्रूपर (जेन्ट ग्रूपर ''इपीनेफेलस लेनसियोलेटस'' जो वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972) के अधीन प्रतिबंधित है को छोड़कर) सम्पूर्ण लम्बाई से 30 से.मी. कम, पूर्णरूप से जीवित, बर्फ जमा हुआ ।

### (घ) श्रिम्प बुडर (जीवित)

(i) पेनियस मोनोडम, पेनियस मेरगुनीसीस

### (ड.) पर्ल ओएस्टर

(i) पिंकटाडा मारगारिटीफेरा

बशर्ते कि राज्य अथवा केन्द्रीय अथवा लोक उपक्रम या संगठन द्वीपसमूह के क्षेत्राधिकार के बाहर इसके पूर्णत: अनुसंधान अथवा वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए निर्यात हेतु है, अनुमति निदेशक, मत्स्य हरण से प्राप्त करेगा।

(इ.) व्यक्ति, व्यवसायी, फर्म अथवा संगठन द्वारा द्वीपों में किसी भी प्रजाति की मछली (जीवित) मीठे पानी अथवा खारे पानी की जिसमें छोटो मछली अथवा चारा भी शामिल जो चाहे विदेशी अथवा देशी हो, आयात नहीं करेगा ।

बशर्ते सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रेषित खेप के सम्बन्ध में जारी आवश्यक संगरोध मुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर मतस्य निदेशक अनुसन्धान अथवा वैज्ञानिक अथवा निदर्शन प्रयोजन के लिए ऐसे आयात की अनुमित देगा।

### 17. मतस्यहरण के लिए बन्द मौसम

- (क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रादेशिक जल में निम्नलिखित अवधि मत्स्यहरण के लिए बन्द मौसम होगा ।
- (i) हर वर्ष 15 अप्रैल से 31 मई तक की अवधि (इसमें आरम्भ होने तथा समाप्त होने के तिथियों शामिल है) तक बोटम ट्रॉलिंग गियर और शार्क हरण करने वाले मत्स्य हरण जलयानों के लिए बन्द मौसम रहेगा ।
- (ii) हर वर्ष 1 मई से 30 सितम्बर तक की अवधि (इसके आरम्भ होने तथा समाप्त होने की तिथियाँ शामिल है) में सी शैल हरण के लिए मौसम बन्द रहेगा ।

#### SCHEDULE - 1 See Rule 3 (e) LIST OF STANDARD FORMS AND PRICES THEREOF

Form Number	Particulars - Dell'Alexandre Particulars	Price in Rupees
MFR-1	Application for registration of mechanized fishing vessel	10.00
MFR-2	Application for registration of non mechanized fishing vessel	5.00
MFR-3	Certificate of Registration of fishing vessel	Nil
MFR-4	Application for transfer of ownership of mechanized fishing vessel	10.00
MFR-5	Application for transfer of ownership on non mechanized fishing vessel	5.00
MFR-6	Application for change of Authorized Officer	5.00
MFR-7	Application for replacement of Engine.	10.00
MFR-8	Application for grant/renewal of fishing licence	5.00
MFR-9	Licence for undertaking fishing activity	Nil
MFR-10	Monthly return of fishing vessel	Nil
MFR-11	Application for appointment of agent	10.00
MFR-12	Notice for settlement of issues	Nil
MFR-13	Notice to agent for appearance	Nil
MFR-14	Notice to owner of fishing vessel for appearance	Nil
MFR-15	Format of Register for Registration of Fishing Vessels	Nil
MFR-16	Format of Register for issue of Fishing Licences	Nil
MFR-17	Format of Register for grant of Identity Cards to Fishermen, Crew members and Divers	Nil
MFR-18	Format of Seizure List	Nil

Note: 1. Form No. MFR-10 will be issued by the Authorized Officer free of cost as specimen copy alongwith licence in Form No. MFR-9. 2. Form No. MFR-1 to MFR-18 Annexed.

> Sd/-(Prof. Ramchandra Ganesh Kapse) Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd/-(Theresa Sandanam) Assistant Secretary (Fy.) बशर्ते कि राज्य या केन्द्रीय अथवा लोक उपक्रम अनुसन्धान एवं वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए समुद्री शैल इकट्ठा करना चाहता हो तो इसके लिए उसे मतस्य निदेशक से पूर्व अनुमति लेनी होगी ।

#### 18. मत्स्यहरण गियरों के उपयोग पर प्रतिबंध

- (क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमृह के प्रादेशिक जल में नीचे विनिर्दिष्ट मत्स्यहरण गियरों का उपयोग वर्जित है।
  - (i) बेरियर नेट अथवा बेहुन्दी नेट अथवा मच्छरदानी के नेट या कपड़ा से बना अन्य बेग नेट जो किसी भी प्रकार की मछली जिसमें चारा भी शामिल है को पकड़ने के उद्देश्य बनाया गया हो को कोस्टल ऐरिया एस्ट्युरि माऊथ और क्रीक्स में ।
  - (ii) मोनोफिलामेन्ट ट्रवाइन से बना हुआ बिना गांठ वाला गिल जिसे स्थानीय रूप से "प्लास्टिक जाल" के नाम से जाना जाता है जो मछली जिसके चारा नेट भी शामिल है पकड़ने के उद्देश्य से बना हो का एस्ट्युरि माऊथ और क्रीकस में ।
  - (iii) किसी भी प्रकार की मछली पकड़ने के लिए मत्स्य हरण नेट अथवा मत्स्यहरण नेट का भाग जिसकी जालियों का आकार 20 मि.मी. से कम हो ।
  - (iv) ऐसे किसी भी मत्स्य हरण गियर जिसमें मत्स्यहरण के लिए कोरल रीफ क्षेत्रों में लंगर डालना पड़ता हो ।

### 19. कुछ एक प्रजाति की मछलियों को पकड़ने की मनाही

- (क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रादेशिक जल में निम्नलिखित प्रजातियों की मछलियों को पकड़ना वर्जित है ।
  - (i) वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 की अधि सं. 53) के अन्तर्गत शामिल सभी प्राणियो का पकड़ना अथवा एकत्रित करना जिसमें फिश, क्रस्टेश्यिन शैलिफिश, सी कूकूम्बर (बेके-डी मर) सी ग्रासेस और कोरल्स (मृत अथवा जीवित) शामिल है।
  - (ii) सभी प्रकार के समुद्री सजावटी मछलियों को पकड़ना अथवा एकत्रित करना

(स्पष्टीकरण :- मेरीन सजावटी मत्स्य अर्थात जिसमें बटरफ्लाई, स्कोरिपयन, डेम्सेल, पेरोट, एंगल, डॉक्टर, पफ्फर, केट फिश, सर्जन, सी ऐनेमोन, क्लोन फिश, टर्बो वार्म, स्पॉन्जस तथा अन्य कोई भी मत्स्य जो समय-समय पर सरकारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाता हो)

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति अथवा राज्य अथवा केन्द्रीय संगठन अथवा लोक उपक्रम विशुद्ध अनुसन्धान एवं वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए उक्त प्रजातियों को एकत्रित करना चाहे तो उसे मत्स्य निदेशक से आवश्यक पूर्व अनुमित प्राप्त करनी होगी ।

(iii) ब्रूडर्स, युवा और कम आकार की प्रजातियों को पकड़ने अथवा एकत्रित करने जिसका भार अथवा लम्बाई नीचे प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट हैं से कम हो ।

### क) लोब्सटर

- (i) 'पेनुलिरस पोलिफेगस' 300 ग्राम पूरा
- (ii) पी होम्रस 200 ग्राम पूरा
- (iii) पी होर्नाटस 500 ग्राम पूरा
- (iv) थेनस ओरिएन्टॉलस 150 ग्राम

### ख) क्रेब

- (i) स्काइला सेराटा 8.4 सेमी केरापेस चौड़ाई (सी.डब्ल्यू) पूरा जीवित
- (ii) एस ट्रेक्वाबेरिका 12.3 से.मी. (सी.डब्ल्यू)
- (iii) सभी केंकड़े जिनके पेट में अण्डे हो

#### FORM No. – MFR - 1 See Rule 3 (d)

## APPLICATION FOR REGISTRATION OF MECHANISED /MOTORIZED FISHING VESSEL

	ial No.	Price : Rs.
On	ice of Issue :	Date of Issue:
		PART- I
	To be filled in	by owner(s) of vessel
То		
	The Authorized Officer	
a m	ulation 2003 read with rule 3 (d) of the	of Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing rules framed thereunder, I/We apply for registration of owned by me / us. Necessary particulars for this
1.	Name of owner	English Annual Local
2.	Father's name	- T. R. J. L. V. P
3.	Present address	
4.	Particulars of hull	
DEAS.	i) Manner of acquisition	The second secon
	ii) Construction material	THE PARTY NAMED AND POST OF THE PARTY.
	iii) Principal dimensions (in metre)	The state of the s
	Overall length	2 INCH I MINOR LURAN
	Maximum breadth	
	Draught	ALEX IN MALEXANT IN THE REAL PROPERTY.
5.	Particulars of engine	A STATE OF THE STA
0.	i) Brand name	
	ii) Model name and/or number	
	iii)Engine number	
	iv) Horse power	
6.	Year of acquisition/construction of hu	
7.	Year of acquisition of engine	
8.	Cost details (Rs.)	
0.0	Hull :	
	Engine :	
	Other cost :	
Tota	The state of the s	
9.	Name of Authorized Officer	
10.	Type of fishing	
11.	Name of fishing vessel	
	a)	
	h)	

12. Gross tonnage of vessel

### ग) ग्रुपर

(i) ग्रुपर की सभी प्रजातियाँ (मात्र जेइन्ट ग्रुपर एफिनेफेलस लेन्स्योलाटस'' जो वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 अर्न्तगत आता है को छोड़कर) जिसकी लम्बाई 30 से.मी. से कम हो ।

### 20. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मत्स्यहरण निषेध

- (क) अण्डमान तथा निकोबार के प्रादेशिक जल में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में मत्स्यहरण प्रतिबंधित है-
  - (i) इण्डियन पोर्ट अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 15) में परिभाषित अनुसार पोर्ट की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र ।
  - (ii) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण) (विनियम) 1956 (1956 का विनियम सं. 3) के तहत द्वीपसमूह के आदिम जनजातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र ।
  - (iii) द्वीपसमूह में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित अथवा प्रतिबंधित क्षेत्र ।

इस नियम में शामिल कोई भी बात अनुमित प्राप्त क्षेत्र में मत्स्यहरण हेतु शांतिपूर्वक आने जाने पर लागू नहीं होगा ।

> -ह0/-प्रोफेसर रामचन्द्र गणेश कापसे उप राज्यपाल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> > -ह0/-(अब्दुल अजीज) सहायक सचिव(मत्स्य)

j) Registration fee amounting to Rs	Rupees		) only	has been
paid vide Money Receipt No	dated	which	is enclosed	herewith
for verification and return thereafter.				

Date :

Place : Signature of the owner

#### Verification

I/We certify that the particulars furnished in this application are, to the best of my/our knowledge, correct and declare that I/We shall remain responsible for validity of the said particulars.

I/We have understood all the provisos of the Regulation and Rules and the orders issued under the said Rules and agree to abide by them.

I/We agree and accept that the Authorized Officer shall reserve the right to cancel registration of fishing vessel, if it is found that

- i) the particulars furnished in the application are materially incorrect, or
- ii) the vessel has been engaged in :-
  - Contravention of the proviso(s) of the Regulation and Rules, and
  - any commercial activity not connected with fishing.

Date

Place : Signature of the owner(s)

#### Note :-

- a) Application should be submitted to the respective Authorized Officer with reference to the Authorized Officer vide column No.9.
- b) When a vessel is owned jointly by more that one person, names of all the owners and their corresponding father's name and present address, respectively, should be furnished separately. In such an event all the owners should sign the application and verification both.
- c) When a vessel is a survey vessel or research vessel owned by central government or a state government or a public undertaking as defined and explained in section 22(1) of the Regulation, this is not necessary.
- Evidence, to be produced to the satisfaction of Authorized Officer, is necessary.
- e) State whether a complete hull has been purchased or the hull has been constructed under direct supervision after purchasing the materials used in construction.
- f) State the principal component like wood, steel, Glass fibre etc.
- g) State name of Authorized Officer with reference to its definition in rule 2(f) of the Rules.
- State 'type of fishing' in relation to fishing gear or tackle e.g. gill netting, fixed bag netting, trawling, purse seining, hook and lining, etc.
- i) Suggest 4 names in order of preference. Subject to availability for the purpose of allotment the Authorized Officer will allot one name keeping in view the order of preference of owner. If none of the 4 names is available for allotment, the Authorized Officer will ask for further names.
- j) Registration fee should conform with the rate prescribed in rule 3 (f) of the Rules.
- k) The expressions "Regulation" and "Rules" wherever occur in this application form denote "Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation. 2003" and Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules. 2004 respectively.

## अनुसूची । नियम 3(ङ) देखें मानक प्रपत्रों की सूची एवं उनका मूल्य

प्रपत्र संख्या	विवरण	मूल्य रूपए में
एम.एफ.आर-1	यंत्रीकृत मत्स्यहरण जहाज के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र	10.00
एम.एफ.आर-2	गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जहाज का पंजीकरण के लिए आवेदन	5,00
एम.एफ.आर-3	मत्स्यहरण जहाज के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र	(*)
एम.एफ.आर-4	यंत्रीकृत मत्स्य हरण जहाज के स्वामित्व के हस्तान्तरण के लिए आवेदन पत्र	10.00
एम.एफ.आर-5	गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जहाज के स्वामित्व के हस्तान्तरण के लिए आवेदन पत्र	5.00
एम,एफ,आर-6	प्राधिकृत अधिकारी को बदलने के लिए आवेदन पत्र	5.00
एम.एफ.आर-7	इंजन बदलने के लिए आवेदन पत्र	10.00
एम.एफ.आर-8	मत्स्यहरण लाईसेन्स के प्राप्ति/नवीकरण के लिए आवेदन पत्र	5.00
एम.एफ.आर-9	मत्स्यहरण क्रियाकलाप के लिए लाईसेन्स	शून्य
एम.एफ,आर-10	मत्स्यहरण जलयान का मासिक विवरण	शून्य
एम.एफ.आर-11	ऐजेन्ट की नियुक्ति के लिए आवेदन	10.00
एम.एफ.आर-12	मामलों के निपटान के लिए नोटिस	शून्य
एम.एफ.आर-13	उपस्थिति के लिए ऐजेन्ट को नोटिस	शून्य
एम.एफ.आर-14	मत्स्यहरण जलयान के मालिक को उपस्थिति के लिए नोटिस	शून्य
एम.एफ.आर-15	मत्स्यहरण लाईसेन्स जारी करने के लिए रजिस्टर का फोर्मेंट	शून्य
एम.एफ.आर-16	मत्स्यहरण लाइसेंस जारी करने के रजिस्टर का फार्मेट	1500
एम.एफ.आर-17	मछुआरों, नाविक तथा गोताखोरों को पहचान पत्र जारी करने के रिजस्टर का फोर्मेट	शृत्य
एम.एफ.आर-18	जब्तियों की सूची का फार्मेट	शून्य

- नोट:- 1. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फार्म सं. एम.एफ.आर. 9 में जारी लाइसैस के साथ नमूने के तौर पर फार्म सं. एम.एफ.आर. 10 निशुल्क दिया जाएगा ।
  - 2. फार्म सं.एम.एफ.आर-1 से एम.एफ.आर-18 संलग्न है।

-ह0/-प्रोफेसर रामचन्द्र कापसे उप राज्यपाल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> -ह0/-(अब्दुल अजीज) सहायक सचिव (मत्स्य)

# PART II To be filled in by Authorized Officer and sent to Fishery Officer for report in PART III

Memo N	Vo. Dated
То	Name : Designation : The Fishery Officer
and ver	Please comment on the names proposed vide column No. 11 in Part I of the application ification of correctness of particulars furnished by the owner.
	Authorized Officer
	PART III
To be	e filled in by Reporting Officer (For Part II) and returned back to Authorized Officer
Memo I	
То	
	T
	The Authorized Officer
1.	The factual position of correctness of information furnished by owner in Part No. (1-12)
355	verified and found correct.
2.	The factual position could not be verified due to following reasons.
3.	Particulars of registration in respect of this fishing vessel may be intimated in Form No. MFR-3 for record.
4.	This disposes your memo No
	Name :
	Designation:
	PART IV
	Notes and Orders of Authorized Officer
1.	Verified and confirmed receipt of Registration fee vide Money Receipt No
2.	Accepted application for registration of fishing vessel.  Allotted name & Registration No
J.	reporting officer in part III and issue Certificate of Registration, under intimation to him.
100	in Form No. MFR-3.  Return back the Money Receipt towards deposit of Registration fee along with the
4.	Certificate of Registration.
5.	Application for registration is rejected on the following ground(s).
6.	Inform applicants about rejection of application, stating grounds as recorded in item 5 above under intimation to the Adjudicating Officer as required under rule
7	The state of the s
	(any other order)
Date	Signature of Authorized Officer
Note:-	<ol> <li>Authorized Officer must delete the items appropriately under his dated initial so that his order becomes clear and specific.</li> <li>If the vessel is owned jointly by more than one person, articles vide item No. 4 in part IV should be returned to the person first name in the application form and orders, if any, of the Authorized Officer should be communicated to him.</li> </ol>

## प्रपन्न सं एम.एफ.आर -1 नियम 3(घ) देखें

# यंत्रीकृत/मोटरीकृत मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण के लिए आवेदन

क्रम सं. जारी करने वाला कार्यालय मूल्य रु. जारी करने की तिथि

भाग ।

## जहाज के मालिक(ों) द्वारा भरा जाए

सेवा में,

प्राधिकृत अधिकारी

महोदय,

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण विनियम, 2003 की धारा 9(1) के साथ उसके अधीन बनी नियमावली के नियम 3(घ) के संदर्भ में मैं/हम मेरे/हमारे स्वामित्व वाले यंत्रीकृत/मोटरीकृत मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं । इस प्रयोजन हेतु विवरण निम्न हैं :-

- 1. मालिक का नाम
- 2. पिता का नाम
- 3. वर्तमान पता
- 4. आवरण का विवरण
  - अर्जन का तरीका
  - ii) निर्माण सामग्री
  - iii) मूल आयात (विस्तार)(मीटर में) कुल लम्बाई अधिकतम चौड़ाई डुबाव
- 5. ईजन का विवरण
  - i) ब्रान्ड का नाम
  - ii) मॉडल का नाम तथा/या संख्या
  - iii) ईजन संख्या
  - iv) हॉर्स पावर
- 6. अर्जन आवरण निर्माण का वर्ष
- 7. ईजन प्राप्त करने का वर्ष
- मूल्य विवरण (रू) आवरण(हल)

ईंजन

अन्य लागत

कुल

- 9. प्राधिकृत अधिकारी का नाम
- 10. मत्स्यहरण जलयान का प्रकार

#### FORM No. – MFR - 2 See rule 3 (d)

### APPLICATION FOR REGISTRATION OF NON-MECHANISED FISHING VESSEL

Senal N	10.	- 3			Price	: Rs.	
Office o	of Issue			Date of	Issue :		
				PART-I			
			- 1 min 10				
To		**	To be filled in	by owner(s)	or vesser		
	The Authoriz	ed Officer					
	(11071)(1111)						
Sir.	a Martine occursosom ex	OST OF LANCE CONTRACTOR	overtal area floral about approxima-	e do atom was company	and an execution with a con-		200
	le 3(d) of the	e rules fran				ne Fishing Regulation 20 of a fishing vessel. No	
1.	Name of ow	ner					
2	Father's nar						
3.	Present add						
4.	Particulars of						
	i) Manner (			3			
	Overall I		(in metre)				
		n breadth					
	Draught	11 0100011					
5.		uisition/con	struction of hull				
6.	Cost details	(Rs.)		85			
	Hull	3					
	Other cost	- 85					
Total		i i					
7.	Name of Pri	ncipal Fish	ing Base				
8.	Type of fish			le in			
	<ul> <li>h) Registrat</li> <li>Money Recreturn there</li> </ul>	eipt No	ounting to Rs date	(Rupees)whi	ch is enclos	only) has been paged herewith for verification	aid vide ion and
Date	ĕ						
Place	2 5			Signatu	re of the ow	ner(s)	
				Verification			
1						o the best of my/our kn	owledge.
						the said particulars.	
2.				of the Regulation	n and Rules	and the orders issued t	inder the
100			abide by them.	and mineral	all assessment	the date to consider the	brotion of
3.	fishing vess			ized Officer sh	an reserve	the right to cancel regis	nanon or
			furnished in the a	nolication are m	aterially inco	rrect or	

the vessel has been engaged in

11. मतस्य हरण जलयान का नाम

- (事)
- (ख)
- (ग)
- (日)

### 12. जहाज का कुल टन भार

(i) दिनांक ....... को रसीद सं. ..... द्वारा पंजीकरण शुल्क रू. ..... (रूपए ...... ...... मात्र) अदा किया गया जो इसके साथ जाँच के बाद वापस लौटाने हेतु संलग्न किया गया है।

दिनांक स्थान

मालिक का हस्ताक्षर

### जाँच

- मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते है कि इस आवेदन में दिए गए विवरण मेरी/हमारी जानकारी में सही है और घोषित करते है कि मैं/हम उक्त विवरण की वैधता के लिए उत्तरदायी होंगे ।
- मैं/हम विनियम और नियमों के सभी प्रावधानों और उक्त नियमों के तहत जारी आदेशों को समझ चुके हैं तथा उनके पालन का वचन देता हूँ/देते हैं।
- मै/हम सहमत हूँ/सहमत है और स्वीकार करते है कि मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण जलयान को रदद् करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास होगा, यदि यह पाया जाए कि :
  - (i) आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण गलत है अथवा
  - (ii) जलयान किसी अन्य कार्य में लगा है जिसके कारण
  - (क) विनियम और नियमों के परन्तुको का उल्लंघन और
  - (ख) कोई विणिज्यक क्रियाकलाप जो मत्स्य हरण से संबंधित न हो, में शामिल था

दिनांक :

स्थान :

मालिक का हस्ताक्षर

#### टिप्प्णी :-

- (क) कालम सं. 9 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी के सन्दर्भ में आवेदन प्रधिकृत अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (ख) जब जलयान के स्वामी एक से अधिक व्यक्ति हो तब क्रमशः सभी मालिकों का नाम और उनके पिता का नाम तथा वर्तमान पता अलग से प्रस्तुत किया जाए । ऐसे मामले में सभी मालिकों को आवेदन पत्र और जाँच पत्र दोनों में हस्ताक्षर करना होगा ।
- (ग) जब जलयान इस विनियम की धारा 22 (1) में परिभाषित और स्पष्ट किए गए अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा लोक उपक्रम का सर्वे तथा अनुसंधान जलयान हो तब इसकी आवश्यकता नहीं है।
- (घ) प्राधिकृत अधिकारी के संतोष के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
- (ङ) क्या पूरा आवरण खरीदा गया अथवा निर्माण में प्रयोग होने वाले सामग्रियों को खरीदने के बाद प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण से आवरण का निर्माण किया गया ।
- (च) मूल अवयव जैसे लकड़ी, स्टील ग्लास आदि का विवरण दें।
- (छ) इस नियमावली के नियम 2(च) में दी गयी परिभाषा के सन्दर्भ में प्राधिकृत अधिकारी का नाम बताए

### 22 THE ANDAMAN AND NICOBAR EXTRAORDINARY GAZETTE, JUNE 1, 2004

- a) contravention of the proviso(s) of the Regulation and Rules, and
- any commercial activity not connected with fishing.

Date

Place

Signature of the owner(s)

#### Note:-

- Application should be submitted to the Authorized Officer in relation with the Authorized Officer vide column No.7.
- b) When a vessel is owned jointly by more than one person, names of all the owners and their corresponding father's name and present address, respectively, should be furnished separately. In such an event all the owners should sign the application and verification both.
- c) When a vessel is a survey vessel or research vessel owned by central government or a state government or a public undertaking as defined and explained in section 22(1) of the Regulation, this is not necessary.
- d) Evidence to be produced to the satisfaction of Authorized Officer, is necessary.
- State whether a complete hull has been purchased or the hull has been constructed under direct supervision after purchasing the materials used in construction.
- f) State name of Principal Fishing Base with reference to its definition in rule 2(f) of the Rules.
- g) State 'type of fishing' in relation to fishing gear or tackle e.g. gill netting, fixed bag netting, trawling, purse seining, hook and lining, etc.
- h) Registration fee should conform with the rate prescribed in rule 3 (f) of the Rules.
- The expressions "Regulation" and "Rules" wherever occur in this application form denote "A&N Islands Marine Fishing Regulation, 2003 and Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004" respectively.

#### PART II

#### Notes and Orders of Authorized Officer

- Accepted application for registration of fishing vessel.
- Issue Certificate of Registration.
- Return the Money Receipt towards deposit of Registration fee alongwith the Certificate of Registration.
- Application for registration is rejected on the following ground(s).
- Inform applicants about rejection of application, stating grounds as recorded in item 5 above under intimation to the Adjudicating Officer as required under rule 3(g).

7. (any other order)

Date:

Signature of Authorized Officer

- Note:-1. Authorized Officer must delete the items appropriately under his dated initial so that his order becomes clear and specific.
  - If the vessel is owned jointly by more than one person, articles vide item No. 4 in part IV should bereturned to the person first name in the application form and orders, if any, of the Authorized Officer should be communicated to him.

- (ज) मत्स्य हरण गियर अथवा टेकल उदाहरण के लिए गिल नेटिंग फिक्सड बेग नेटिंग ट्रोलिंग पर्स सीनिंग, हूक एवं लाइनिंग आदि के संबंध में मत्स्यहरण का प्रकार बताएँ ।
- (झ) वरीयता के क्रम में 4 नाम का सुझाव दें। आबंटन के प्रयोजन के लिए उपलब्धता पर निर्भर करते हुए प्राधिकृत अधिकारी स्वामी के वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए एक नाम का आवंटन करेगा। यदि आवंटन के लिए चारो में से कोई भी नाम उपलब्ध नहीं हो तो प्राधिकृत अधिकारी दूसरे नामों की मांग करेगा ।
- (ट) नियमावली 3 (च) में निर्धारित दर पंजीकरण शुल्क अदा की जानी चाहिए ।
- (ठ) इस आवेदन पत्र में जहाँ कही भी 'विनियम' और 'नियम'' लिखा हो तो उसका तात्पर्य है क्रमशः " अंडमान तथा निकोबार मेरीन फिशिंग रेग्यूलेशन, 2003 और " अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण नियमावली, 2004''।

#### भाग ॥

## प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भरा जाए और रिपोर्ट के लिए मत्स्यहरण अधिकारी के पास भेजा जाए

भाग ॥

ज्ञापन सं.

दिनांक.....

सेवा में.

नाम

पदनाम

मत्स्यहरण अधिकारी

कृपया आवेदन के भाग l में कालम 11 के अनुसार प्रस्तावित नामो पर विचार दें और मालिक द्वारा प्रस्तुत विवरणों की सत्यता का सत्यापन करें ।

प्राधिकृत अधिकारी

### FORM No. MFR - 3 See Rule 3 (g)

		See Rule 3 (g	) :	
	CERTIFICATE	OF REGISTRATION	OF FISHING VESSEL	
9. 10.	Registered name (for mech Registration number Year of Registration Name(s) of owner(s) Address(es) of owner(s) Authorized Officer Type of vessel Description of vessel Description of vessel Overall length (ii) Overall length (iii) Maximum breadth (iv) Draught or Mechanized vessel only Gross tonnage Particulars of engine (i) Brand name (ii) Model name and/or numiii) Engine numbers (iv) Horse power	nanized vessel) only	ide Registration numbers	his hoo
	in terms of rule 3(h) of And		s Marine Fishing Rules, 2004. (Strike	
and starbo	pard side lamps. (see rule 3()	<ul> <li>for further details).</li> <li>shing vessel should pre</li> </ul>	y display registered name close to the	
Official se	al		Signature of Authorized	Officer
Date				
	r item No. 7 write either (i) m se may be.	echanized fishing vesse	el or (ii) non-mechanized fishing vesse	l as the
Memo No			Dated	
Forwarded	red when application relates d to the Assistant Director of eses his memo	Fisheries	for record.	
Official se	al		Signature of Authorized	Officer

Note –(a) To be sent to the same authority who filled in Part II of the application form in respect of this registration.

(b) Memo No. (and date) or reporting officer used in Part II of the application form.

### भाग ॥

## रिपोर्टिगं अधिकारी (भाग ॥ के लिए) द्वारा भरा जाए और प्राधिकृत अधिकारी को वापस भेजें

ज्ञापन सं. सेवा में, दिनांक

### प्राधिकृत अधिकारी

- मालिक द्वारा भाग सं.(1-12) में प्रस्तुत की सूचनाओं की सत्यता की तथ्यात्मक स्थिति की जाँच की गई और वह सही पाया गया ।
- 2. निम्नलिखित कारणों से तथ्यात्मक स्थिति की जाँच नहीं की जा सकी ।
- 3. इस मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण का विवरण फार्म सं. एम.एफ.आर-3 में रिकार्ड हेतु सूचित किया जाए।
- 4. यह आपके दिनांक...... के ज्ञापन सं..... को निपटान करता है ।

नाम पदनाम मत्स्यहरण अधिकारी

#### VI मिन्

## प्राधिकृत अधिकारी की टिप्पणी एवं आदेश

- आवेदन पत्र में बताए अनुसार दिनांक...... के रसीद सं. ........... के अनुसार पंजीकरण शुल्क प्राप्ति की जाँच की तथा सही पाया ।
- 2. मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकृत
- रिपॉटिंग अधिकारी द्वारा भाग III में बताए गए अनुसार ......नाम और पंजीकरण सं. ......
   आबंटित किया गया और उन्हें सूचित करते हुए फार्म सं0 एम.एफ.आर-3 में प्रमाण पत्र जारी किया ।
- 4. पंजीकरण प्रमाण-पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क जमा करने संबंधी रसीद वापस दी गयी
- 5. निम्नलिखित कारणों से पंजीकरण के लिए आवेदन स्दद् किया जाता है ।
- 6. उक्त 5 में अभिलिखित कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन रद्द होने की सूचना नियम ...... की अपेक्षाओं के अनुसार अधिनिर्णय अधिकारी को अवगत कराते हुए आवेदक को सूचित किया जाए ।
- 7. ..... कोई अन्य आदेश

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक

#### टिप्पणी :-

- 1. प्राधिकृत अधिकारी तारीख सहित अपने हस्ताक्षर के साथ लागू न होने वाले मदों को काट दें ताकि उनका आदेश विनिर्दिष्ट और विशिष्ट हो ।
- 2. यदि जलयान संयुक्त रूप में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खरीदा गया है, तो भाग IV में मद सं. 4 के अनुसार मदों को आवेदन फार्म के प्रथम नाम बाले व्यक्ति को वापस किया जाए और प्राधिकृत अधिकारी के आदेश यदि कोई हो, की सूचना भी उसे दो जाए ।

### FORM No. - MFR - 4 See Rule 3 (d)

### APPLICATION FOR TRANSFER OF OWNERSHIP OF MECHANISED FISHING VESSEL

Serial N	No. Price : Rs.
Office o	Date of Issue :
	PART – I  To be filled in by owner(s) of vessel
To	To be filled in by owner(s) of vesser
	The Authorized Officer
Sir.	
has/hasstation	With reference to section 3(4) of Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation 2003, I/We for transfer of ownership of fishing vessel bearing Registration number and gregistered name
1. 2. 3. 4. 5.	Name of owner Father's Name Present address Name of Principal Fishing Base: Name of fishing vessel: a) b) c) d)
verifica	Prescribed fee(g) for the purpose as aforesaid amounting to Rs
Date	
Place	Signature of owner(s)  Verification
1. 2. 3.	I/We certify that the particulars furnished in this application are, to the best of my/our knowledge, correct and declare that I/We shall remain responsible for validity of the said particulars.  I/We have understood all the provisos of the Regulation and Rules and the orders issued under the said Rules and agree to abide by them.  I/We agree and accept that the Authorized Officer shall reserve the right to cancel registration of fishing vessel, if it is found that  i) the particulars furnished in the application are materially incorrect, or

## फार्म सं. एम.एफ.आर-2 नियम 3(घ) देखें

## गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण के लिए आवेदन

क्रमांक सं. जारी करने वाला कार्यालय

जारी करने की तिथि

## श्चाम जलयान के मालिक(ों) का नाम

संव	п н,
प्राप्ति	धकृत अधिकारी
0.77	
मह	दिय,
	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण विनियम, 2003 की धारा 9(1) के साथ उसव
अध	गीन बनी नियमावली के नियम 3(घ) के संदर्भ में मैं/हम मेरे/हमारे स्वामित्व वाले यंत्रीकृत/मोटरीकृ
मत्र	त्यहरण जलयान के पंजीकरण हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं । इस प्रयोजन हेतु विवरण निम्न है :-
1	मालिक का नाम
	पिता का नाम
	वर्तमान पता
	आवरण का विवरण
	i) अर्जन का तरीका
	ii) मूल आयात (विस्तार)(मीटर में)
	कुल लम्बाई
	अधिकतम चौड़ाई
	.ड्रुबाव 
5,	अर्जन आवरण निर्माण का वर्ष
6.	लागत का विवरण (रू.)
	आवरण(हल)
	अन्य लागत
	कुल .
7.	मूल मत्स्यहरण बेस का नाम
	मत्स्यहरण जलयान का प्रकार
	(ज) दिनांक के रसीद सं द्वारा पंजीकरण शुल्क रू
	(रूपएमात्र) अदा किया गया जो इसके साथ जाँच के बाद लौटाने हेतु संलग्न किया
	गया है ।
	दिनांक :
	DATE 24
	स्थान : मालिक(ौ)का हस्ताक्षर

a)	contravention of the proviso(s) of the Regulation and Rules, and
b)	any commercial activity not connected with fishing.

Date

Place

Signature of the owner(s)

Note:-

- a) Application should be submitted to the Authorized Officer in relation with the Principal Fishing Base vide column No.4.
- b) When a vessel is owned jointly by more than one person, names of all the owners and their corresponding father's name and present address, respectively, should be furnished separately. In such an event all the owners should sign the application and verification both.
- c) When a vessel is a survey vessel or a research vessel owned by central government or a state government or a public undertaking as defined and explained in section 22(1) of the Regulation, this is not necessary.
- d) Evidence, to the satisfaction of Authorized Officer, is necessary.
- State name of Principal Fishing Base with reference to its definition in Rule 2(f) of the Rules.
- f) Suggest 4 names in order of preference. Subject to availability for the purpose of allotment Authorized Officer will allot one name keeping in view the order of preference of owner. If none of the 4 names is available for allotment, Authorized Officer will ask for further names.
- g) Prescribed fee should conform with the rate prescribed in rule 3 (f) of the Rules.
- (h) The expressions "Regulation" and "Rules" wherever occur in this application form denote "Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation, 2003 and Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004" respectively.

#### CERTIFICATE

To be filled in by the transferrer(s)

Date .	Signature of transferrer(s)
Place :	

## जाँच

- मैं/हम प्रमाणित करता हूँ /करते है कि इस आवेदन में दिए गए विवरण मेरी/हमारी जानकारी में सही है और घोषित करता हूँ/करते है कि मैं/हम उक्त विवरण की वैद्यता के लिए उत्तरदायी होंगे ।
- मैं/हम विनियम और नियमों के सभी प्रावधानों और उक्त नियमों के तहत जारी आदेशों को समझ चुके है तथा उनके पालन का वचन देता हूँ/देते हैं।
- मैं/हम सहमत है और स्वीकार करते है कि मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण जलयान को रदद् करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास होगा,

यदि

- (i) आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण गलत है अथवा
- (ii) जलयान किसी अन्य कार्य मे लगा है जिसके कारण
- (क) विनियम और नियमों के परन्तुको का उल्लंघन और
- (ख) कोई विणिज्यिक क्रिया कलाप जो मत्स्य हरण से संबंधित न हो, में शामिल था

दिनांक :

स्थान :

मालिक का हस्ताक्षर

### नोट :-

- (क) कालम 9 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी के सन्दर्भ में आवेदन संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए
- (ख) जब जलयान के स्वामी एक से अधिक व्यक्तिय हो तब क्रमश: सभी मालिकों का नाम और उनके पिता का नाम तथा वर्तमान पता अलग से प्रस्तुत किया जाए । ऐसे मामले में सभी मालिको को आवेदन पत्र और जाँच पत्र दोनों में हस्ताक्षर करना होगा ।
- (ग) जब जलयान इस विनियम की धारा 22 (1) में परिभाषित और स्पष्ट किए गए अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा लोक उपक्रम का सर्वे तथा अनुसंधान जलयान हो तब इसकी आवश्यकता नहीं है ।
- (घ) प्राधिकृत अधिकारी के संतोष के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
- क्या पूरा आवरण खरीदा गया अथवा निर्माण में प्रयोग होने वाले सामग्रियों को खरीदने के बाद
   प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण से आवरण का निर्माण किया गया ।
- (च) इस नियमावली के नियम 2(च) में दी गयी परिभाषा के सन्दर्भ में प्राधिकृत अधिकारी का नाम बताए
- (छ) मत्स्य हरण गियर अथवा टेकल उदाहरण के लिए गिल नेटिंग फिक्सड बेग नेटिंग ट्रोलिंग पर्स सीनिंग, हूक एवं लाइनिंग आदि के संबंध में मत्स्य हरण का प्रकार बताए।
- (ज) नियमावली 3 (एफ) के नियम में निर्धारित दर के साथ पंजीकरण शुल्क की पुष्टि की जानी चाहिए।
- (झ) इस आवेदन पत्र में जहाँ क्रमश: उसका अर्थ है 'अण्डमान तथा निकोबार मेरीन फिशिंग रेग्यूलेशन, 2003 और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मेरीनप फिशिंग रूल्स 2004''।

Form No.

### PART - II

### To be filled in by Authorized Officer and sent to Fishery Officer for report in

### Part III

Dated:

To	
	Name : Designation : Fishery Officer
cance	Please report in Part III of the application form appropriately. Certificate of Registration is enclosed for ellation as required in rule 3 (h) of the Rules, if transfer of ownership applied for is accepted at his end.
	Authorized Officer
	PART – III
Т	o be filled in by Reporting Officer (for Part II) and returned back to Authorized Officer
Form	No. Dated :
To	
	The Authorized Officer.
1. 2. 3. 4.	There is nothing adverse on record which may impair transfer of ownership applied for. Transfer of ownership accepted in cancellation of existing registration as required in rule 3 (h) of the Rules. Certificate of Registration, duly cancelled at this end, is returned and re-allotted to new owner. Particulars of registration in respect of this fishing vessel may be intimated in Form No. MFR-3 for record.  This disposes his memo No
	Fishery Officer
Note	Reporting Officer must delete the different items appropriately as the situation would call for.
	PART - IV
	Notes and Orders of Authorized Officer
	Verified and confirmed receipt of prescribed fees vide Money Receipt No dated as stated in the application.
the a	Accepted application for (i) transfer of ownership and (ii) change of Authorized Officer.  Issue Certificate of Registration in form No. MFR-3 under intimation to reporting officer in Part III of pplication form.

#### भाग ॥

## प्राधिकृत अधिकारी की टिप्पणी एवं आदेश

- 1. आवेदन पत्र में बताए गए अनुसार दिनांक...... के नकद सं. ....... के अनुसार पंजीकरण शुल्क की रसीद की जाँच की गई ।
- 2. मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण के लिए स्वीकृत आवेदन
- 3. पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करना
- 4. पंजीकरण प्रमाण-पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क की जमा की नकद रसींद वापस देना ।
- 5. निम्नलिखित आधारों पर पंजीकरण के लिए आवेदन रदद् किया जाता है
- 6. नियम 3(छ) के तहत अधिनिर्णय अधिकारी को सूचना के तहत उक्त मद 5 में रिकार्ड किए गए आधार बताते हुए आवेदक को आवेदन रदद किए जाने के बारे में सचना दें।
- 7. ..... कोई अन्य आदेश

### प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

### टिप्पणी :-

- ग्राधिकृत अधिकारी तारीख सहित अपने हस्ताक्षर के औचित्य से मदों को हटा सकते हैं ताकि उनका आदेश सही और सुस्पष्ट हो ।
- 2. यदि जलयान संयुक्त रूप में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खरीदा गया है, तो भाग IV में मद सं. 4 के अनुसार वस्तुओं को आवेदन फार्म में प्रथम नाम वाले व्यक्ति को वापस किया जाना चाहिए और आदेश यदि कोई हो, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसको सूचित किया जाना चाहिए ।

## फार्म सं. एम.एफ.आर-3 नियम 3 (जी)

## मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

- पंजीकृत नाम (केवल यंत्रीकृत जलयान के लिए)
- 2. पंजीकरण सं.
- 3. पंजीकरण का वर्ष
- 4. मालिक(ौ) का नाम
- मालिक(ा) का पता
- 6. प्राधिकृत अधिकारी
- 7. जलयान के प्रकार
- जलयान का विवरण
  - i) निर्माण सामग्री
  - ii) कुल लम्बाई
  - iii) अधिकतम चौडाई
  - iv) डुबाव केवल यंत्रीकृत जलयान के लिए
- 9. कुल टन
- 10. इंजन का विवरण
  - i) ब्रान्ड का नाम
  - ii) मॉडल का नाम और संख्या
  - iii) इंजन संख्या
  - iv) हॉर्स पावर

i) Money Receipt

ii) New certificate of Registration

iii) Previous Certificate of Registration – duly cancelled by reporting officer in Part III of application form.

Application for (i) transfer of ownership and (ii) change of Authorized Officer is rejected on the following ground(s).

Inform applicant(s) about rejection of application, stating the ground as recorded in item 6 above, with intimation to the Adjudicating Officer as required under rule 3(h).

(any other order)

Date:

Signature of Authorized Officer

Note:— Authorized Officer must delete the items appropriately under his dated initial so that his order becomes clear and specific.

If the vessel is owned jointly by more than one person, articles vide item No. 4 in part IV should be returned to the person first name in the application form and orders, if any, of the Authorized Officer should be communicated to him.

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण नियमावली, 2004 के नियम 3(ज) के तहत् इस जलयान को दिया गया पिछला पंजीकरण सं............. रदद् किया गया है। (यदि लागू न हो तो काट दें) अनुदेश:-1. यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान सुस्पष्ट रूप से पंजीकृत नाम पोर्ट साइड और स्टार बोर्ड साइड़ में लगी बक्तायों के निकट लगाएं। अधिक जानकारी के लिए नियम 3(ज) देखें।

 गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान के फोरबो के दोनों ओर सुस्पष्ट रूप से पंजीकरण संख्या प्रदर्शित करें । अधिक जानकारी के लिए नियम 3 (ट) देखें ।

कार्यालयी मुहर दिनांक :-

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

नोट : मद सं. 7 के लिए या तो (i) यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान अथवा (ii)गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान जैसा भी मामला हो लिखें ।

ज्ञापन सं.

दिनांक

(गैर यंत्रीकृत जलयान के पंजीकरण से संबंधित आवेदन हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है ।) सहायक निदेशक मत्स्य उद्योग को रिकार्ड के लिए प्रेषित किया जाता है ।

यह दिनांक ...... को निपटान है।

कार्यालय मुहर दिनांक : प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

- नोटः (क) उसी प्राधिकारी को भेजा जाए जिसने इस पंजीकरण के संबंध में आवेदन फार्म के भाग II को भरा हो ।
  - (ख) आवेदन फार्म के भाग ॥ में उपयोग ज्ञापन सं. (और दिनांक) अथवा रिपोर्टिंग अधिकारी ।

#### 28

2

the said Rules and agree to abide by them.

### FORM No. - MFR - 5 See Rule 3 (d)

### APPLICATION FOR TRANSFER OF OWNERSHIP OF NON-MECHANISED FISHING VESSEL

(Serial No.	Price Rs.
Office of Issue	Date of Issue
	PART – I To be filled in by owner(s) of vessel
То	
The Authorized Officer	
Sir,	
511,	
With reference to section 3(4 apply for transfer of ownership of fish	) of Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation 2003, I/We ing vessel bearing Registration Number
I/We have acquired owner has/have consented to transfer of ow	ship of the fishing vessel from the registered owner(s) and he/they mership of the fishing vessel to me/us.
Further, I/We intend to char station) to(base station)	ige the Authorized Officer of the fishing vessel from(base in
Necessary particulars for the are furnished below:	purpose of (i) transfer of ownership and (ii) change or Authorized Officer
<ol> <li>Name of owner</li> <li>Father's Name</li> <li>Present address</li> <li>Name of Authorized</li> </ol>	Officer
) only ha	purpose as aforesaid amounting to Rs
Date :	
Place	Signature of owner(s)
	Verification

I/We certify that the particulars furnished in this application are, to the best of my/our knowledge. correct and declare that I/We shall remain responsible for validity of the said particulars.
I/We have understood all the provisons of the Regulation (g ) and Rules and the orders issued under

## फार्म सं. एम.एफ.आर-4 नियम 3 (घ) देखे

## यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान के स्वामित्व को स्थानन्तरित करने हेतु आवेदन

क्रमांक जारी करने वाला कार्यालय मूल्य रु. जारी करने की तिथि

### भाग I जलयान के मालिकों द्वारा भरा जाए

सवा म,												
	प्राधिकृत	अधिव	कारी									
		,,,,,,										
महोदय,												
	अंडमान	तथा	निकोबार	द्वीपसमूह	समुद्रीय	मत्स्यहरण	विनियम,	2003	के संन्द	र्भ में,	मै/हम	मत्स्यहरण
जलयान	जिसकी	पंजीव	हरण संख्य	ff	ઝં	गैर पंजीकृत	नाम		हे के	स्वामित	च स्थान	गन्तरण के
लिए अ	विदन कर	रते है	। मैं/हम	जलयान	के नाम	बदलने के	लिए भी	आवेदन	करते है	120		

मैंने/हमें पंजीकृत मालिको से मत्स्यहरण जलयान का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है और उसने/उन्होंने मुझे/हमे मत्स्यहरण जलयान के स्वामित्व को स्थानान्तरित करने की सहमति दे दी है ।

इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विवरण नीचे दिया गया है :-

- 1. मालिक का नाम
- 2. पिता का नाम
- 3. वर्तमान पता
- 4. मूल मत्स्यहरण बेस का नाम
- 5. मतस्यहरण जलयान का नाम
  - क)
  - 평)
  - ग)
  - ध)

दिनांक

3.	I/We agree and accept that the Authorized Officer shall reserve the right to cancel registration of
	fishing vessel, if it is found that

- the particulars furnished in the application are materially incorrect, or
- ii) the vessel has been engaged in
  - Contravention of the proviso(s) of the Regulation and Rules, and
  - b) any commercial activity not connected with fishing.

Date Place

Signature of the owner(s)

Note:-

- a) Application should be submitted to the Authorized Officer in relation with the Principal Fishing Base vide column No.4.
- b) When a vessel is owned jointly by more than one person, names of all the owners and their corresponding father's name and present address, respectively, should be furnished separately. In such an event all the owners should sign the application and verification both.
- When a vessel is a survey vessel or a research vessel owned by central government or a state government or a public undertaking as defined and explained in section 22(1) of the Regulation, this is not necessary.
- d) Evidence, to the satisfaction of Authorized Officer, is necessary.
- e) State name of Principal Fishing Base with reference to its definition in rule 2(f) of the Rules.
- Prescribed fee should conform with the rate prescribed in Rule 3 (f) of the Rules.
- g) The expressions "Regulation" and "Rules" wherever occur in this application form denote "A&N Islands Marine Fishing Regulation, 2003 and A&N Islands Marine Fishing Rules, 2004" respectively.

# CERTIFICATE To be filled in by the transferrer(s)

Certified that I/We have transferred right, title and interest in respect of the fishing vessel bearing Registration Numbers ...... to the present applicant(s) and declare that I/We have no objection in transfer of ownership of the said fishing vessel in the name(s) stated in the application.

Date :

Signature of transferrer(s)

PART-II\*

To be filled in by Authorized Officer and sent to Fishery Officer for report in Part III

Memo No.

Dated:

To

The Fishery Officer,

Please report in Part III of the application form appropriately. Certificate of Registration is enclosed for cancellation as required in rule 3 (h) of the Rules, if transfer of ownership applied for is accepted at his end.

See note below Part III.

Authorized Officer

## जाँच

- मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिए विवरण मेरी/हमारी जानकारी से सही है और घोषित करते हैं कि मैं/हम उक्त विवरण की वैद्यता के लिए हमेशा उत्तरदायी रहेंगे ।
- मै/हम विनियम और नियमों के सभी प्रावधानों और उक्त नियमों के तहत जारी आदेशों को समझ चुके हैं तथा उनके पालन का वचन देते हैं ।
- मैं/हम सहमत है और स्वीकार करते है कि मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण को रदद् करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास होगा, यदि यह पाया जाता है कि
  - i) आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण तथ्यात्मक रूप से गलत है, अथवा
  - ii) जलयान ऐसे कार्य में लगाया गया जिससे
  - (क) विनियम और नियमों के परन्तुकों का उल्लंघन होता हो और
  - (ख) कोई अन्य वाणिज्यिक क्रिया-कलाप जो मत्स्यहरण से संबंधित न हो

दिनांक :

मालिक(ा) का हस्ताक्षर

स्थान :

### टिप्पणी:

- (क) कालम 4 के अनुसार मूल मत्स्यहरण बेस के सन्दर्भ में आवेदन संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा किया जाए ।
- (ख) जब जलयान के स्वामी एक से अधिक व्यक्ति हो तब क्रमश: सभी मालिकों का नाम और उनके पिता का नाम तथा वर्तमान पता अलग से प्रस्तुत किया जाए । ऐसे मामले में सभी मालिक आवेदन पत्र और जाँच पत्र दोनों में हस्ताक्षर करें ।
- (ग) इस विनियम की धारा 22 (1) में परिभाषित और वर्णित अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा लोक उपक्रम के सर्वेक्षण अथवा अनुसंधान जलयान हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है ।
- (घ) प्राधिकृत अधिकारी के संतोष के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- (ङ) इस नियमावली के नियम 2(च) में दिए गए परिभाषा के सन्दर्भ में प्रमुख मतस्यहरण बेस का नाम बताएँ।
- (च) वरीयता के क्रम में 4 नाम का सुझाव दें । आवंटन के प्रयोजन के लिए उपलब्धता पर निर्भर करते हुए प्राधिकृत अधिकारी स्वामी द्वारा की गयी वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए एक नाम का आवंटन करेगा । यदि कोई भी 4 नाम उपलब्ध नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी दूसरे नामों की मांग करेगा ।
- (छ) नियमावली के नियम 3(च) में निर्धारित दर के साथ पंजीकरण शुल्क होनी चाहिए ।
- (झ) आवेदन में जहाँ कही भी '' विनियम '' और '' नियमावली'' आया हो वहाँ क्रमश: उसका तात्पर्य है '' अडमान तथा निकोबार समुद्रीय मत्स्यहरण विनियम, 2003 और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण नियम, 2004'' है ।

### 30

### PART - III\*

To be filled in by reporting officer (for part II) and returned back to Authorized Officer

Memo	No. Dated:
То	
	The Authorized Officer,
1.	There is nothing adverse on record which may impair transfer of ownership applied for. Transfer of ownership accepted in cancellation of existing registration as required in rule 3 (h) of the Rules.
2.	Certificate of Registration, duly cancelled at this end, is returned and re-allotted to new owner.
3.	(any other remarks)
4	This disposes his memo No
	Authorized Officer
	PART – IV
	Notes and orders of Authorized Officer
1. 2. 3. 4.	Verified and confirmed receipt of prescribed fees vide Money Receipt No
	i) Money receipt ii) New Certificate of Registration iii) Previous Certificate of Registration – duly cancelled by reporting officer in Part III of application form.
5.	Application for (i) transfer of ownership and (ii) change of Principal Fishing Base is rejected on the
6.	following ground(s).  Inform applicant(s) about rejection of application, stating the ground as recorded in item 5 above, with intimation to the Adjudicating Officer as required under rule 3(h).
7.	(any other order)
Date:	Signature of Authorized Officer
Note:-1	becomes clear and specific

## प्रमाण-पत्र हस्तान्तरित करने वालों द्वारा भरा जाए

प्रमाणित करता हूँ कि मैने/हमने मत्स्यहरण जलयान जिसकी पंजीकरण संख्या...... है तथा पंजीकृत सं...... के संबंध में अधिकार, हक और हित को वर्तमान आवेदक को हस्तान्तरित कर दिया है और यह घोषणा करते है कि आवेदन में उल्लिखित नाम(ों) पर स्वामित्व हस्तांतरित करने पर हमें कोई आपृत्ति नहीं है ।

दिनांक :

स्थान:

स्थानान्तरित करने वाले(1) का हस्ताक्षर

भाग ॥

## प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भरा जाए और मत्स्य उद्योग अधिकारी के पास रिपोर्ट के लिए भेजा जाए

भाग ॥

फार्म सं.

दिनांक

सेवा में,

नाम :

पदनाम:

मतस्यहरण अधिकारी

कृपया आवेदन फार्म के भाग III में उचित तरीके से रिपोर्ट दें । इस नियमावली के नियम 3(ज) में अपेक्षित अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए संलग्न है, यदि स्वामित्व स्थानान्तरण के लिए किया गया आवेदन उसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

प्राधिकृत अधिकारी

#### भाग ॥।

## भाग ll के रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा भरा जाए और प्राधिकृत अधिकारी के पास वापस भेजा जाए फार्म सं.

प्राधिकृत अधिकारी

- रिकार्ड में ऐसा कुछ भी प्रतिकूल नहीं जो स्वामित्व स्थानान्तरण के आवेदन को क्षीण करता हो। इस नियमावली के नियम 3(ज) में अपेक्षित अनुसार विद्यमान पंजीकरण को रद्द करके स्वामित्व के स्थानान्तरण को स्वीकार किया जाता है।
- 2. विधिवत् रदद् किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस किया गया तथा नए मालिक को पुनः आबंदित किया गया ।
- इस मत्स्यहरण जलयान के संबंध में पंजीकरण का विवरण फार्म सं.एम.एफ.आर -3 में रिकार्ड के लिए सूचित किया जाए ।
- 4. यह उनके दिनांक ,..... की ज्ञापन सं. ..... का निपटान है ।

मतस्य उद्योग अधिकारी

टिप्पणी :- रिपोर्टिंग अधिकारी स्थिति की मांग अनुसार विभिन्न मदों को उपयुक्त तरीके से काट दें।

### FORM No. MFR – 6 See Rule 3 (d)

### APPLICATION FOR CHANGE OF PRINCIPAL FISHING BASE

Serial No.	Price : Rs.
Office of Issue	Date of Issue :
PART –	
To be filled in by own	
То	
The Authorized Officer	
***************************************	
With reference to section 3(4) of Andam Regulation 2004, I/We apply for changing Authorized fishing vessel bearing Registration Number	Officer of (b) mechanized/non-mechanized
I/We intend to change the Authorized Officer (base station) in (district).	
a) Prescribed fee for changing the regist Rs	) has been paid vide Money Receipt No. said Money Receipt and Certificate of
Date :	
Place :	Signature of owner(s)
Fishing Base to which a change has been in rule 2(f) of the Rules.  (b) Strike out appropriately.  (c) Not applicable in case of Non-mechanized	
<ul><li>(d) State name of Principal Fishing Base with</li></ul>	reference to its definition in rule 2 (f) of the

(e) Prescribed fee should conform with the rate prescribed in rule 3(f) of the Rules.

## भाग IV प्राधिकृत अधिकारी का टिप्पणी और आदेश

आवेदन में बताए गए अनुसार दिनांक...... की रसीद सं.......... के अनुसार निर्धारित शुल्क का पावती की जाँच की गई और पुष्टि की गई ।

आवेदन की स्वीकृति

- i) स्वामित्व के स्थानान्तरण हेतु
- ii) प्राधिकृत अधिकारी बदलने के लिए फार्म एम.एफ.आर.-3 में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाए और आवेदन फार्म भाग-III में रिपोर्टिंग अधिकारी को इसकी सूचना दी जाए ।

आवेदन फार्म के भाग -III में रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा बताए गए अनुसार संख्या...... आवंटित किया जाए ।

निम्नलिखित को आवेदक को वापस किया जाए ।

- i) रसीद
- ii) पंजीकरण का नया प्रमाण-पत्र
- iii) पिछला पंजीकरण प्रमाण -आवेदन फार्म के भाग III में रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा विधिवत् रदद् किया गया ।
- i) स्वामित्व का स्थानान्तरण और
- ii) निम्नलिखित आधार पर (I) स्वामित्व के हस्तांतरण तथा (III) प्राधिकृत अधिकारी का परिवर्तन संबंधी आवेदन रदद किया जाता है ।

नियम 3(ज) के तहत अपेक्षानुसार अधिनिर्णय अधिकारी को अवगत कराते हुए उक्त मद 6 में अभिलिखित किए गए आधार को बताते हुए आवेदक को आवेदन रदद् किए जाने के बारे में सूचित किया जाए।

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

कोई अन्य आदेश

दिनांक

टिप्पणी :-

- प्राधिकृत अधिकारी तारीख सहित अपने हस्ताक्षर से मदों को उचित रूप से काट दें ताकि उनके आदेश स्पष्ट और विशिष्ट हो जाए ।
- 2. यदि जलयान एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खरीदा गया हो तो भाग IV में मद सं. 4 के अनुसार वस्तुओं को आवेदन फार्म में उल्लिखित प्रथम व्यक्ति को वापस किया जाए और प्राधिकृत अधिकारी आदेश यदि कोई हो तो भी उसे ही दी जाए ।

#### 32

# PART – II To be filled in by Authorized Officer and sent to Fishery Officer for report

Memo	o No.	Dated :
То		
	The Fishery Officer,	
cance	Please report in Part III of the application form, ellation as per rule 3 (h) of the Rules.	Certificate of Registration is enclosed for
		Authorized Officer
Note	- See Note below Part III.	
	PART – III	
То	be filled in by reporting officer (for part II) Officer	and returned back to Authorized
Mem	o No.	Dated :
To		
	The Authorized Officer,	
1. 2. 3.	Principal fishing base proposed in the application Certificate of Registration, duly cancelled at the Particulars of registration in respect of the fish MFR-3 for record.  This disposes his memo No	s end, is returned. ling vessel may be cancelled in Form No.
4.	this disposes his memo No	
		Fishery Officer

\*Note: Part II and Part III of the application form is not necessary if the change in Authorized Officer does not necessitate a change in Authorized Officer. In such an event Authorized Officer will make necessary correction in Column No. 6 of Certificate of Registration (Form No. MFR-3) and send an intimation in this regard to the Fishery Officer for record.

## फार्म सं. एम.एफ.आर-5 नियम 3(घ) देखें

## गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान के स्वामित्व के स्थानान्तरण के लिए आवेदन

क्रमांक जारी करने वाला कार्यालय मूल्य रु. जारी करने की तिथि

भाग ।

### जलयान के मालिकों द्वारा भरा जाए

सेवा में,

प्राधिकृत अधिकारी

महोदय,

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण विनियम, 2003 के सन्दर्भ में मैं/हम मत्स्यहरण जलयान जिसकी पंजीकरण संख्या...........है के स्वामित्व के स्थानान्तरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

मैंने/हमने मत्स्यहरण जलयान का स्वामित्व पंजीकृत मालिकों से प्राप्त कर लिया है और वह/वे मत्स्यहरण जलयान के स्वामित्व को मुझे/हमें स्थानान्तरित करने के लिए सहमति दे दी है।

- i) स्वामित्व का स्थानान्तरण और
- ii) प्राधिकृत अधिकारी का परिवर्तन नीचे दिया गया है ।
  - 1. मालिक का नाम
  - 2. पिता का नाम
  - 3. वर्तमान पता
  - 4. प्राधिकृत अधिकारी का नाम

	3	क्त प्र	योजन	के	लिए	निर्धारित	न शुल्व	जिस	की राशि	₹				(रुपए			*****
मात्र)	音	दिनांक				व	ते रसी	द सं		के	द्वारा	अदा	किया	गया	1	उक्त	रसीद
मत्स्यहर	ण	जलया	न के	पंज	ीकरण	प्रमाण	पत्र वं	साथ	आवश्यक	कार्रवाई	हेतु	संलग्न	है।				

दिनांक :

मालिक का हस्ताक्षर

स्थान:

#### PART - IV

### Notes and Orders of Authorized Officer

L.	datedas stated in the application.
2,	Accepted application for change of Authorized Officer and made necessary correction in column No. 6 of Certificate of Registration.
3.	Return to the applicant (s) the following:  i) Money receipt  ii) Certificate of Registration duly cancelled  iii) Intimation letter to Authorized Officer of proposed base port.
4.	Application for change of Authorized Officer is rejected on the following ground(s).
5.	Inform applicant(s) about rejection of application, stating the ground as recorded in item 5 above, with intimation to the Adjudicating Officer as required under rule 3(h).
6.	(any other order)

Date:

#### Signature of Authorized Officer

- Note:-1. Authorized Officer must delete the items appropriately under his date initial so that his order becomes clear and specific.
  - If the vessel is owned jointly by more than one person, articles vide item No. 5 in part II should be returned to the person first named in the application form and orders, if any, of the Authorized Officer should be communicated to him.

## जाँच

- मै/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिए विवरण मेरी/हमारी जानकारी से सही है और घोषित करते हैं कि मैं/हम उक्त विवरण की वैधता के लिए हमेशा उत्तरदायी रहेंगे ।
- मैं/हम विनियम और नियमों के सभी प्रावधानों और उक्त नियमों के तहत जारी आदेशों को समझ चुके हैं तथा उनके पालन का वचन देते हैं ।
- मैं/हम सहमत है और स्वीकार करते हैं कि मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण को रदद् करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास होगा, यदि यह पाया जाता है कि
  - i) आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण तथ्यात्मक रूप से गलत है अथवा
  - ii) जलयान ऐसे कार्य में लगाया गया जिससे
  - (क) विनियम और नियमों के परन्तुकों का उल्लंघन होता हो और
  - (ख) कोई अन्य वाणिज्यिक क्रिया-कलाप जो मत्स्यहरण से संबंधित न हो

दिनांक :

मालिक(ॉ) का हस्ताक्षर

स्थान :

### टिप्पणी :

- (क) कालम 4 के अनुसार मूल मत्स्यहरण बेस के सन्दर्भ में आवेदन संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा किया जाए।
- (ख) जब जलयान के स्वामी एक से अधिक व्यक्ति हो तब क्रमश: सभी मालिकों का नाम और उनके पिता का नाम तथा वर्तमान पता अलग से प्रस्तुत किया जाए । ऐसे मामले में सभी मालिक आवेदन पत्र और जाँच पत्र दोनों में इस्ताक्षर करें ।
- (ग) इस विनियम की धारा 22 (1) में परिभाषित और वर्णित अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा लोक उपक्रम के सर्वेक्षण अथवा अनुसंधान जलयान हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है ।
- (घ) प्राधिकृत अधिकारी के संतोष के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- (ङ) इस नियमावली के नियम 2(च) में दिए गए परिभाषा के सन्दर्भ में प्रमुख मत्स्यहरण बेस का नाम बताएँ।
- (च) नियमावली के नियम 3(च) में निर्धारित दर के साथ निर्धारित शुल्क होनी चाहिए ।
- (छ) आवेदन में जहाँ कही भी ''विनियम'' और ''नियमावली'' आये हो वहाँ क्रमश: उसका तात्पर्य है ''अण्डमान तथा निकोबार समुद्रीय मत्स्यहरण विनियम, 2003 और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण नियम, 2004 है ।

#### प्रमाण-पत्र

## हस्तान्तरित करने वालों द्वारा भरा जाए

प्रमाणित करता हूँ कि मैंने /हमने मत्स्यहरण जलयान जिसकी पंजीकरण संख्या...... है तथा पंजीकृत सं...... के संबंध में अधिकार, हक हैं और हित को वर्तमान आवेदक को स्थानान्तरित कर दिया है और यह घोषणा करते हैं कि आवेदन में उल्लिखित नाम(ाँ) पर स्वामित्व हस्तांतरित करने पर हमें कोई आपिता नहीं है ।

दिनांक :

स्थान:

### FORM No. – MFR – 7 See Rule 3 (d)

### APPLICATION FOR REPLACEMENT OF ENGINE

Serial	No.	Price	: Rs.
Office	of Issue	Date of Issue	3 2
	PART-I		
	To be filled in by owner(s) of	vessel	
To			
	The Authorized Officer		
Regula bearing	With reference to section 3(4) of Andaman and attorn Rules, 2004, I/We apply for replacement of enging Registration Number	ine installed in m	y/our fishing boat
(b)	For the purpose of replacement I/We ha	ve acquired a	an engine from
below	Existing engine will be replaced by the acquired one:	e, particulars of w	hich are furnished
1.	Brand name :		
2.	Model name and/or number		
3.	Engine number :		
04.	Horse power		
	Prescribed fee for this purpose amounting) only has been paid vide Money Receipt	ot No	dated
Date	80		4
Place		Sign	ature of owner(s)
	Verification		en de son en
1.	I/We certify that the particulars furnished in this app knowledge, correct and declare that I/We shall remain particulars.	olication are, to t n responsible for	the best of my/our validity of the said
Date			
Place	3	Signature of	the owner(s)
Note :-			cosent toolies State
1,000	<ul> <li>a) Application should be given to same auti Registration.</li> </ul>	hority which issu	ued Certificate of
	b&c) Full name and complete address respectively d) Fee should conform with the rate prescribed	of transferrer(s) in rule 3 (f) of the	Rules.

#### भाग ॥

## प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भरा जाए और मत्स्य उद्योग अधिकारी के पास रिपोर्ट के लिए भेजा जाए

#### भाग ॥।

फार्म सं.

दिनांक

ज्ञापन सं.

सेवा में,

मत्स्यहरण अधिकारी

कृपया आवेदन फार्म के भाग III में उचित तरीके से रिपोर्ट दें । इस नियमावली के नियम 3(ज) में अपेक्षित अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए संलग्न है, यदि उसकी और से स्वामित्व स्थानान्तरण के लिए किए गए आवेदन उसके द्वारा स्वीकृत हो जाता है ।

नीचे भाग !!! में टिप्पणी देखें

प्राधिकृत अधिकारी

#### भाग ॥

रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा भरा जाए (भाग II के लिए) और प्राधिकृत अधिकारी के पास वापस भेजा जाए फार्म सं.

ज्ञापन सं.

सेवा में.

प्राधिकृत अधिकारी

- रिकार्ड में ऐसा कुछ भी प्रतिकूल नहीं है जो स्वामित्व हस्तान्तरण के आवेदन को क्षीण करता हो । इस नियमावली के नियम 3(ज) में अपेक्षित अनुसार विद्यमान पंजीकरण को रद्द करके स्वामित्व के स्थानान्तरण को स्वीकार किया जाता है ।
- 2. विधिवत् रदद् किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस किया गया तथा नए मालिक को पुन: आबंटित किया गया ।

 /कोई	अस्य	अभ्यक्तित्याँ ।	
 (4515	SHA	जन्पुष्पताचा	1

3. यह उनके दिनांक ...... की ज्ञापन सं. ..... का निपटान है ।

#### PART - II Notes and Orders of Authorized Officer

Verified and confirmed receipt of prescribed fees vide Money Receipt No..... 1. dated .....as stated in the application. 2 Accepted application for replacement of engine and made necessary corrections in column No. 10 of MFR-3 and sub columns thereunder of Certificate of Registration. Return back the Money receipt towards deposit of prescribed fee and Certificate of 3. Registration duly amended. Application for replacement of engine is rejected on the following ground(s). 4. Inform applicant(s) about rejection of application, stating the grounds as recorded in 5. item 4 above, with intimation to the Adjudicating Officer as required under rule 3(h). 6. (any other order)

Date:

#### Signature of Authorized Officer

Note:- 1 Authorized Officer must delete the items appropriately under his dated initial so that his order becomes clear and specific.

If the vessel is owned jointly by more than one person, articles vide item No. 3 in part II should be returned to the person first named in the Certificate of Registration and orders, if any, of the Authorized Officer should be communicated to him.

#### भाग IV

## प्राधिकृत अधिकारी का टिप्पणी और आदेश

- ा. आवेदन में बताए गए अनुसार दिनांक....... की रसीद सं...... के द्वारा निर्धारित शुल्क की पावती की जाँच की गई और पुष्टि की गई।
  - i) स्वामित्व के हस्तान्तरण हेत्
  - 2. मूल फिशिंग बे बदलने के लिए आवेदन की स्वीकृति
  - 3. आवेदन फार्म के भाग III में रिपोर्टिंग अधिकारी को सूचित करते हुए फार्म सं. एम.एफ.आर.-3 में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करना ।
  - 4. आवेदक(i) को निम्नलिखित वापस करना :
    - i) नकद रसीद
    - ii) पंजीकरण का नया प्रमाण-पत्र
    - iii) पिछला पंजीकरण प्रमाण आवेदन फार्म के भाग III में रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा विधिवत् रदद् किया गया ।
  - 5. (i) स्वामित्व का हस्तान्तरण और (ii) मूल फिशिंग बेस को बदलने के आवेदन निम्नलिखित आधारों पर रद्द किया गया ।
  - 6. नियम 3(एच) के तहत अपेक्षित अनुसार अधिनिर्णय अधिकारी को सूचित करते हुए उक्त मद 6 में अभिलिखित किए गए आधार बताते हुए आवेदक को आवेदन रदद् किए जाने के बारे में सूचित किया जाए।

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

7. कोई अन्य आदेश

दिनांक :-

#### टिप्पणी :-

- 1. प्राधिकृत अधिकारी अपने तारीख सहित हस्ताक्षर से मदों को उचित रूप से हटा दें ताकि उनके आदेश स्पष्ट और विशिष्ट हो ।
- 2. यदि जलयान एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खरीदा गया जो भाग IV में मद सं. 4 के अनुसार वस्तुओं की आवेदन फार्म को प्रथम व्यक्ति को वापस कर देना चाहिए और आदेश यदि कोई हो वह प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए ।

Serial No.

Office of Issue

#### FORM No. – MFR – 8 See Rule 4(f)

### APPLICATION FOR GRANT/RENEWAL OF FISHING LICENCE

Price

Date of Issue

: Rs.

	- L	P			
	To be filled	in by	owner(s) of the	ne vessel	
To					
	The Authorized Officer				
	With reference to section ation 2003, read with rule 4(f) on glicence. Necessary particular	f the ite	ms framed there	eunder, I/We app	ly for grant/renev
9.	Name of fishing vessel		40		
2.	Registration Number		30		
3.	Registering authority		3		
4.	Principal fishing base		1		
5.	Fishing licence number (if ar	Ty)	2)		
6.	Date of expiry of fishing licen	ce	21		
7.	Type of fishing proposed		- W		
8.	Specified area applied for				
9.	Number of fishermen and cre			No. of the last of	
10.	Particulars of insurance cove		r the fishing ves	sel	
	a) Name of Insurance C				
	b) Name/Number of iss	ue offici	e :		
	<ul><li>b) Name/Number of iss</li><li>c) Insurance Policy Nur</li></ul>	ue offici	e		
	<ul> <li>b) Name/Number of iss</li> <li>c) Insurance Policy Nur</li> <li>d) Value Insured</li> </ul>	ue offici nber			
	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu	ue offici nber urance d	coverage	:	
11.	<ul> <li>b) Name/Number of iss</li> <li>c) Insurance Policy Nur</li> <li>d) Value Insured</li> </ul>	ue offici nber urance d	coverage	: engaged onboard	d the vessel
11. S.A	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb	ue office nber urance c per / fish	coverage	engaged onboard Status	Id. Card No. in case of renewal
	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb	ue office nber urance c per / fish	coverage nerman or diver	(C) 25	ld. Card No. in case
s.N a) b)	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb	ue office nber urance c per / fish	coverage nerman or diver	(C) 25	ld. Card No. in case
s.n a) b)	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb	ue office nber urance c per / fish	coverage nerman or diver	(C) 25	ld. Card No. in case
s.N a) b)	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb	ue office nber urance c per / fish	coverage nerman or diver	(C) 25	ld. Card No. in case
s.n a) b) c) d)	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb	ue office nber urance c per / fish	coverage nerman or diver	(C) 25	ld. Card No. in case
a) b) c)	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb	ue office nber urance c per / fish	coverage nerman or diver	(C) 25	ld. Card No. in case
a) b) c) d) e)	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb No. Name and Father's name  Prescribed licence fee/renew	ue offici nber urance d per / fish Age	coverage nerman or diver	Status	Id. Card No. in case of renewal
a) b) c) d) e)	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb	ue offici nber urance d per / fish Age	coverage nerman or diver	Status	Id. Card No. in case of renewal
a) b) c) d) e)	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb No. Name and Father's name  Prescribed licence fee/renew which is encic	ue offici nber urance d per / fish Age	coverage : nerman or diver a Address	Status is been paid vide ation and return t	Id. Card No. in case of renewal
S.N a) b) c) d) e)	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb No. Name and Father's name  Prescribed licence fee/renew which is enclo	ue offici nber urance d per / fish Age	coverage : nerman or diver a Address	Status is been paid vide ation and return t	Id. Card No. in case of renewal
S.N a) b) c) d) e)	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb No. Name and Father's name  Prescribed licence fee/renew which is enclo Licence fee for vessel ld card fee for nos. of crew / fisherman	ue offici nber urance d per / fish Age val is de	coverage : nerman or diver a Address stailed below, ha	Status is been paid vide ation and return t	Id. Card No. in case of renewal
S.N a) b) c) d) e)	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb No. Name and Father's name  Prescribed licence fee/renew which is enclo Licence fee for vessel Id card fee for nos. of crew / fisherman Renewal fee	ue offici nber urance d per / fish Age val is de	etailed below, harewith for verification RsRsRsRsRsRsRsRsRsRsRsRsRsRsRsRsRsRs	Status is been paid vide ation and return t	Id. Card No. in case of renewal
S.N a) b) c) d) e) f)	b) Name/Number of iss c) Insurance Policy Nur d) Value Insured e) Date of expiry of Insu Particulars of the crew memb No. Name and Father's name  Prescribed licence fee/renew which is enclo Licence fee for vessel ld card fee for nos. of crew / fisherman	ue offici nber urance d per / fish Age val is de	coverage : nerman or diver a Address	Status is been paid vide ation and return t	Id. Card No. in case of renewal

## फार्म सं. एम.एफ.आर-6 नियम 3(घ) को देखें

## मूल मतस्यहरण बेस के परिवर्तन के लिए आवेदन

* - +	क्रमाव	1	₩.	
	W			K. S

मूल्य : रु.

जारी करने की तिथि

## भाग । जलयान के मालिक(ों) द्वारा भरा जाए

सेवा में,

प्राधिकृत अधिकारी

महोदय,

	अंडमान	तथा	निकोबार	द्वीपसमूह	समुद्रीय	मत्स्यहरण	विनियम,	2004	की	धारा	3(4)	के	सन्दः	र्न में,	मै/हम
	यंत्रीकृत/गैर	यंत्री	कृत मत्स्य	गहरण जल	यान जि	सका (ग)	पंजीकरण	सं				और	(ग)	पंजीकृत	नाम
*****			है के पं	जीकृत अ	धिकारी व	को बदलने	का आवे	दन क	रता है	/करते	है	E			

	मैं/हम	मत्स्बहरण	जलयान	के	(ঘ)	प्राधिकृत	अधिकारी	को	(जिला)	में(बेस
स्टेशन)	से		(F	जला)	ਸੇ		बेस स्टे	शन)	बदलने का इच्छुक हूँ	(青 )

दिनांक :

स्थान :

मालिक(ां) का हस्ताक्षर

## टिप्पणी:-

- (क) उस प्रमुख मत्स्यहरण बेस जिसमें बदलने का प्रस्ताव हो के प्राधिकृत अधिकारी के पास आवेदन जमा करने । अधिक जानकारी के लिए नियमावली के नियम 2(च) में परिभाषा देखें ।
- (ख) उचित तरीके से निशान लगाएँ ।
- (ग) गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान के मामले में लागू नहीं ।
- (घ) नियमावली के नियम 2(च) में दी गई परिभाषा के संदर्भ में प्रिंसिपल फिशिंग बेस का नाम बताएँ।
- (ङ) नियमावली के नियम 3(च) में निर्धारित दर के अनुसार शुल्क हो ।

Certificate of Registration and the insurance policy referred to in item 10 and fishing licence in respect of the fishing vessel are also submitted herewith for verification and return thereafter.

I/We hereby, declare that I/We shall not engage or carry or allow to be engaged or carried on board any fisherman or crew unless the said fishermen or crew covered by adequate insurance against professional hazards.

I/We hereby, further declare that I/We shall renew insurance coverage for the fishing vessel before expiration of the last date stated in item No. 10(e) of the application form failing which fishing licence granted in terms of this application shall stand automatically cancelled after expiration of the said date (strike out if the vessel is an non-mechanized one).

Date Place Signature of Owner(s) Application should be submitted to the :-Note:- a) same authority which granted Certificate of Registration when the fishing vessel is registered under section 9(1) of Andaman and Nicobar Marine Fishing Regulation 2003 or Authorized Officer in relation to the Principal Fishing Base mentioned in ii) column No. 4 of the application where the vessel is registered under any other appropriate Regulation or law, for the time being in force. Not required in case of a non-mechanized fishing vessel. b) Write full details if the vessel is not registered under Andaman and Nicobar C) Islands Marine Fishing Regulation 2003. State name of Principal Fishing Base with reference to its definition in rule 2 (f) d) of the Rules. Write 'Nil' when a new licence is applied for. e) State 'type of fishing' in relation to fishing gear or tackle, namely gill netting, f) fixed bag netting, trawling, purse seining, hook & lining etc. See rule 5 (a) of the Rules and write "Fishing Zone" accordingly. a) Strike out if the fishing vessel is a non-mechanized one. h) Fee should confirm with the rate prescribed in schedule III of the Rules. 1) Delete when a new licence is applied for. j) PART - II Notes and Orders of Authorized Officer Verified and confirmed receipt of requisite fees vide Money Receipt No...... 1. dated .....as stated in the application. 2. Accepted application for grant of fishing licence/renewal of fishing licence. Issue fishing licence/renewal of fishing licence for .......................during the 3 current financial year i.e. (specified area) is Alongwith the fishing licence return Certificate of Registration, Money Receipt and 4 Insurance Policy. 5 Application for grant of fishing licence/renewal of fishing licence is rejected on the following ground(s). 6 Inform applicant(s) about rejection of application, stating grounds as recorded in item No. 5 above, under intimation to the Adjudicating Officer as required under rule 4(j). 7. (any other order)

Authorized Officer must delete the items appropriately under his dated initial so

If the vessel is owned jointly by more than one person, articles vide item No. 4 in part II should be returned to the person first named in the Certificate of

that his order becomes clear and specific.

Signature of Authorized Officer

Date:

Note:-1.

## भाग ॥

## प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भरा जाए और मत्स्य उद्योग अधिकारी के पास रिपोर्ट के लिए भेजा जाए

भाग ॥

दिनांक

ज्ञापन सं.

सेवा में,

मतस्यहरण अधिकारी

कृपया आवेदन फार्म के भाग III में रिपोर्ट दें । नियमावली के नियम 3(च) में अपेक्षित अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए संलग्न है ।

भाग ।।। के नीचे की टिप्पणी देखें

प्राधिकृत अधिकारी

## भाग ॥

रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा भरा जाए (भाग II के लिए) और प्राधिकृत अधिकारी के पास वापस भेजा जाए

सेवा में.

## प्राधिकृत अधिकारी

- 1. आवेदन में प्रस्तावित मूल मत्स्यहरण बेस क्षेत्राधिकार को हस्तक्षेप करता है ।
- 2. हमारे द्वारा विधिवत् रद्द किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस किया जाता है ।
- 3. मत्स्यहरण जलयान के संबंध में पंजीकरण का विवरण रिकार्ड के लिए फार्म सं.एम.एफ.आर-3 में रदद् किया जाए ।
- 4. यह आपके दिनांक ...... को निपटान है ।

मत्स्यहरण अधिकारी

टिप्पणी : आवेदन फार्म का भाग ॥ और भाग ॥ अनिवार्य नहीं है । यदि प्राधिकृत अधिकारी में परिर्वतन की बाध्यता नहीं है । ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र के कालम सं. 6 (फार्म सं.एम.एफ.आर-3) में अनिवार्य शोधन करेंगे और इस संबंध में रिकार्ड के लिए मत्स्यहरण अधिकारी को सूचना भेजेंगे।

मत्स्य उद्योग अधिकारी

Registration and orders, if any, of the Authorized Officer should be communicated to him:

## FORM No. - MFR - 9 See Rule 4(i)

## LICENCE FOR UNDERTAKING FISHING ACTIVITY

	Form - MF	R-8, SI. N	lo		. Fee co	llected R:	S		
	Fishing Lic	ence No.				Date of	Issue :		
and ur fishing	Subject to and the rules ader explicit vessel, if it is d as below:	framed the condition	ereunder that the	and all	so the TER (s) shall re	MS AND	alid insurance	VS printed e coverado	overleaf, ge for the
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Name of fis (for mecha- Registration Registration Type of fish Specified a Date of exp Particulars divers and the vessel	nized ves n Number n Authorith ning authories of fish piry of fish of the cre	sel only) y orized ning ing licence w membe	ers,					
a) b) c) d) e)	lo. Name name	and	Father's	Age	Address		Status	ld. No.	Card
	Official Sea	1 :							
	Date						Signature of	Authorize	ed Officer
to the	Subject to t date stated la	he terms est in the t	and cond able belo	litions ( w :	given overle	eaf, fishin	g licence is I	nereby re	newed up
SI.No. 1. 2. 3. 4.	Dai	te	Sign	ature o	f Authorize	d Officer	with his Offi	cial Seal	
		Terms a	and Cond	litions	for Grant	of Fishin	g Licence		
1	ii) sha afte i) sha	Il strictly inds Marir Il submit ir expiration	follow the ne Fishing in prescr on of the i gage or	Regul ribed for month carry o	ation, 2004 orn No. Mi under report or allow to	FR-10 a t. be enga	tion 4 of Ar monthly retu ged or carr crew is cov	im within	10 days

insurance agent professional hazards.

Fishing vessel shall not -

## भाग IV प्राधिकृत अधिकारी का टिप्पणी और आदेश

- 1. आवेदन में बताए गए दिनांक...... की रसीद सं..... द्वारा निर्धारित शुल्क को जमा किए जाने की सत्यापन तथा पुष्टि की जाती है ।
- 2. प्राधिकृत अधिकारी को बदलने के लिए आवेदन की स्वीकृति किया गया और पंजीकरण प्रमाण पत्र के कालम सं. 6 में अनिवार्य शोधन किया गया ।
  - 3. आवेदक(i) को निम्नलिखित वापस किया जाए :
    - i) नकद रसीद
    - ii) विधिवत् रद्द किया हुआ पंजीकरण प्रमाण-पत्र
    - iii) प्रस्तावित बेस पोर्ट के प्राधिकृत अधिकारी को सूचना पत्र
- 4. प्राधिक्त अधिकारी को बदलने के लिए दिए गए आवेदन निम्नलिखित आधारों पर रद्द किया जाता है।
- 5. नियम 3(ज) की अपेक्षाओं के अनुसार अधिनिर्णय अधिकारी को अवगत करते हुए उक्त मद 6 में अभिलिखित किए गए आधारों को बताते हुए आवेदक को आवेदन रदद किए जाने के बारे में सूचित किया जाए।

5.	66		0											+	÷	4		*	ě			
	को	र्ड	500	H	-	3		3	Я	T	2	3	F	ī								

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

### दिनांक :-

## टिप्पणी :-

- i) प्राधिकृत अधिकारी तारीख सहित अपने हस्ताक्षर से मदों को उचित रूप से हटा दें ताकि उनके आदेश स्पष्ट और विशिष्ट हो ।
- ii) यदि जलयान एक से अधिक व्यक्ति द्वारा खरीदा गया हो तो भाग II मे मद सं. 5 के अनुसार वस्तुओं की आवेदन फार्म लिखित प्रथम व्यक्ति को वापस करें और प्राधिकृत अधिकारी का आदेश, यदि कोई हो, को भी उसे ही सूचित किया जाए I

- Fishing vessel shall not -
- i) conduct any kind of fishing activity outside the specified area.
- carry on board any explosive or any contraband or any objectionable article.
- proceed for fishing or continue fishing operation in violation of distress signals or adverse weather warnings.
- go on mooring or anchorage or be used for fishing causing obstruction in navigational channel or entry of other fishing vessel to fishing harbour or fishing hase
- be engaged or utilized for gain in such a manner which is not connected with fishing activity.
- Fishing vessel shall be painted a distinctive mark of 1 ft. yellow border all along the hull above the water line and also shall fly Indian National Flag while engaged in fishing activities at sea.
- Fishing vessel shall be fitted with sufficient life saving and fire fighting appliances and communication safety devices.
- The owner / person incharge of the fishing vessel shall keep the licence during fishing and shall produce it for inspection on demand to the control and surveillance authority like Navy, Coast Guard, Port Management Board and Fisheries Department or their authorized representatives.
- The owner / incharge of the vessel shall not operate the vessel for fishing in coral reef
  areas, tribal belt of the islands, marine national parks,/ sanctuaries and such other areas
  may be notified in the official gazette from time to time.
- 7. The owner/ incharge of the vessel shall give the voyage programme including the date of sailing and arrival at the Principal Fishing Base in advance to the Authorized Officer and other authorities. He shall also report his position in the sea from time to time to the Port Management Board, Coast Guard and Director of Fisheries.
- Fishing vessel, while proceeding to the specified area or returning therefrom, may pass through any area other than the specified area without causing any damage to fishing gears or tackles of another fishing vessel set for or engaged in fishing in an authorized manner in such area.
- Either of the Authorized Officers listed in Schedule IV of the Rules or any other officer authorized under the Rules shall have the power to enter in the fishing vessel for inspection.
- For renewal of fishing licence, application accompanied by prescribed fee must be submitted before expiration of the period of licence. Application for renewal of licence will be accepted if submitted within 6 months after the date of expiry of fishing licence provided the application is supported by payment of prescribed penalty for delay. Unless an application for renewal of fishing licence is made within this period, any fishing conducted from the fishing vessel after expiration of fishing licence, shall amount to unauthorized and illegal fishing.

## फार्म सं.एम.एफ.आर-7 नियम 3(घ) देखें

## इंजन को बदलने के लिए आवेदन

क्रमांक सं. जारी करने वाला कार्यालय

मूल्य: रु. जारी करने की तिथि

भाग ।	
जलयान के मालिक(ों) द्वारा भरा जाए	
सेवा में, प्राधिकृत अधिकारी	
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण विनियम, 2004 की घारा 3(4) के सन्दर्भ में मैं मेरे/हमारे मत्स्यहरण बोट जिसकी पंजीकरण संऔर नाम	
इंजन बदलने के प्रयोजन के लिए मैं/हमने	
(ख) के (ग) से प्राप्त कर लिया है	ईंजन
विद्यमान इंजन को नए प्राप्त किए गए इंजन से बदला जाएगा जिसका विवरण इस प्रकार है : 1. ब्रान्ड का नाम	
<ol> <li>मॉडल का नाम तथा/य संख्या</li> <li>इंजन का संख्या</li> </ol>	
577 N. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

- 4 हार्स पावर

दिनांक : स्थान :

मालिक(ाँ) का हस्ताक्षर

## सत्यापन

 मै/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिए विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और घोषित करते हैं कि मैं/हम उक्त विवरण की वैधता के लिए उत्तरदायी होंगे ।

दिनांक : • स्थान :

मालिक(1) का हस्ताक्षर

## टिप्पणी :-

- (क) आवेदन उसी प्राधिकारी को दें जिसने पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया था ।
- (ख,ग) हस्तान्तरण करने वालों के क्रमश: पूरा नाम व सम्पूर्ण पता ।
- (घ) शुल्क की पुष्टि नियमावली के नियम 3(ज) में निर्धारित दर के साथ करें ।

## FORM No. - MFR - 10 See Rule 3(p)

## MONTHLY RETURN OF FISHING VESSEL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Mont Regis Fishii Desc Numl Fuel	e of fishing vessel h of report stration number ng licence number ription of fishing vessel ber of fishing days consumed (in litre) n statistics (in ton)		Mecha	anized/Non-Mechanized
	i) ii) iii) iv) v) vi)	Prawn Hilsa Sardine Mackerel Emperors Other perches		(vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii)	Cat fishes Silver bellies Groupers Snappers Caranx Sharks Rays
			Total		

Certified that no fisherman or crew or diver was deployed on board the vessel during the month under report without adequate insurance coverage against accident to cover the risks arising out of professional hazards.

Submitted to the Assistant Director of Fisheries

Date	Signature of owner(s)
	orginature or owner(s)

- Note:-1. Monthly return should be submitted to the same authority which issued fishing licence.
  - Monthly return should be submitted within 10 days from the last date of the 2 month under report.
  - If there is no fishing in a month a "NIL" report against item Nos. 6, 7 & 8 should 3 be submitted within 10 days from the last date of month under report,

## भाग ॥

## प्राधिकृत अधिकारी का टिप्पणी और आदेश

- आवेदन में बताए गए अनुसार दिनांक...... की नकद रसीद सं...... के अनुसार निर्धारित शुल्क की प्राप्ति की जाँच की और पुष्टि की ।
- इंजन को बदलने के लिए दिए गए आवेदन को स्वीकार किया और एम.एफ.आर-3 के कालम सं.10 में और इसके तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र के उप कालम में अनिवार्य शोधन किया गया ।
- 3. निर्धारित शुल्क की नकद रसीद और पंजीकरण प्रमाण-पत्र विधिवत् पृष्ठांकित करके वापस किया जाए।
- इंजन को बदलने का आवेदन निम्नलिखित आधारों पर रदद् किया जाता है ।
- नियम 3(ज) की अपेक्षानुसार अधिनिर्णय अधिकारी को अवगत कराते हुए उपर्युक्त मद 4 में रिकार्ड किए गए अनुसार आधार बताते हुए आवेदन रद्द होने के बारे में आवेदक(ों) को सूचित किया जाए ।
- 6. (कोई अन्य आदेश)

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक :

## टिप्पणी:

- प्राधिकृत अधिकारी को तारीख सहित अपने हस्ताक्षर से मदों को उचित तरीके से हटा देना होगा ताकि उनके आदेश स्पष्ट एवं विशिष्ट हो ।
- पंजीकरण प्रमाणपत्र में लिखित पहले व्यक्ति को वापस की जाए और प्राधिकृत अधिकारी का आदेश यदि कोई हो तो उसे भी उसको ही दिया जाए ।

## FORM No. - MFR - 11 See Rule 9(b)

## APPLICATION FOR APPOINTMENT OF AGENT

1.	Name	of fishing vess	el	1		
2.	Regist	ration number		35		
3.		(s) and addres				TAXON MONTH DAM
	SI.No.			Name		Address
	i)					
	ii)					
	iii)					
	iv)					
4.	Name	e and address	of agent	-1		
	i)	Name	4			
	ii)	Address	at .			
5.	Purpo	ose of appointr	nent of agent		3	
	i)	Registration	n of fishing vessel			
	ii)		wal of fishing licent			
	iii)	Appeal aga	inst order of Autho	nized Of	ficer:	
	iv)	Appeal aga	inst order of Adjud	licating C	Officer:	

I/We agree and declare that any direction or instruction or order issued by you or served by you through this agent shall, for the purposes of these rules and also the Regulation, be deemed as valid and effectual communication of your direction and/or instruction and valid and effectual service of your order on me/us and further that the same has/have been received by me/us, both jointly and severally.

Specimen signature of the agent proposed for appointment is affixed below with the request for accept his appointment as my/our agent.

Date:

Place:

Application should be addressed to

i) Authorized Officer-for item Nos. 5(i) and 5(ii)

ii) Adjudicating Officer-for item No. 5(iii)

iii) Appellate authority-for item No. 5(iv)

b) and (c) In case of non-mechanized fishing vessel write "NIL" against item No. 1, when appointment of agent relates to "Registration of fishing vessel" vide item No. 5(i) write "New Registration" against item No. 1 and item No. 2 both.

d) In this application, appointment of agent can be proposed for only one of the 4 items. Strike off the remaining 3 items retaining the only to which this application relates.

## फार्म सं. एम.एफ.आर-8 नियम 4(ज) देखें

## मत्स्यहरण लाईसेन्स के स्वीकृति/नवीकरण के लिए आवेदन

क्रमांक सं.

मूल्य रु,

जारी करने वाला कार्यालय

जारी करने की तिथि

## भाग । जलयान के मालिक(ों) द्वारा भरा जाए

सेवा में,

प्राधिकृत अधिकारी

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण विनियम, 2003 की धारा 6(1) के साथ पठित नियम 4(ज) के सन्दर्भ में गठित मदों के तहत मैं/हम मत्स्यहरण लाईसेन्स स्वीकृत करने/ नवीकरण के लिए आवेदन करते हैं । इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विवरण नीचे दिया गया है :

- 1. मत्स्यहरण जलयान का नाम
- 2. पंजीकरण संख्या
- 3. पंजीकरण प्राधिकारी
- 4. मूल मत्स्यहरण बेस
- मत्स्यहरण लाईसेन्स सं. (यदि कोई हो)
- 6. मत्स्यहरण लाईसेन्स समाप्त होने की तारीख
- 7. मत्स्यहरण का प्रस्तावित प्रकार
- 8. आवेदित विशेष क्षेत्र
- 9. जलयान में मछुवारों और नाविकों की संख्या
- 10. मत्स्यहरण जलयाने के बीमा कवरेज का विवरण
  - (क) बीमा कम्पनी का नाम
  - (ख) जारी करने वाले कार्यालय का नाम/संख्या
  - (ग) बीमा पॉलिसी संख्या
  - (घ) बीमा की राशि
  - (ङ) बीमा कवरेज के समाप्त होने की तारीख
- 11. जलयान में कार्यरत नाविक/मछुवारों तथा गोताखोरों का विवरण

## PART - II

To be filled in by Authorized Officer or Adjudicating Officer or Appellate Authority, as the case may be, and returned to the agent

Memo No:		Dated :
То		
*******		
(Name a	and address of residence)	
Sir,		
the owner(s) of t	pointment as agent in the mat the fishing vessel, has been a n in this regard, to the undersi	tter of
Date :		
Designation :		Signature of competent authority
	FORM No	. – MFR – 12
	See R	ule 13(d)
		TLEMENT OF ISSUES
Memo No.		Dated :
То		
7/1/20/7/20		none
	ame and place of residence)	
	rs that you have contravene Regulation, 2003 for the reason	d the provisions of Andaman & Nicobar Islands as stated below:
	***************************************	
	olation briefly, indicating and ber of fishing vessel).	d place of occurrence. Also state name, if and
An enqu	iry into the matter under sect	tion 16 (2) of Andaman & Nicobar Islands Marine
Fishing Regulation	on, 2003 will be held into the	matter by the undersigned at
You are	nereby directed to appear bet	ore the undersigned for the purpose of enquiry, as
FORM NO MFR are, further, instr	<ul> <li>-11 who shall be able to answ ructed to file on that date a wri</li> </ul>	nally or through agent, duly appointed by you in yer all material questions relating to the issue. You tten statement of your defence. pearance on the date before mentioned the issue.
	into and heard and determined	
Date :		
Official designati	ion :	Signature of Adjudicating Officer
		MFR-11, representation on owner(s) of fishing
	by an agent will not be accepted	

죸.	नाम एवं पिता का नाम	आयु	पता	स्थिति	नवीकरण में मामले
क्र. सं.			- 1		पहचान पत्र सं.
क)					
ਚ)			THE THE		
11)			2		
ঘ)					
ভ)					
ਚ)					

निर्धारित लाईसेन्स शुल्क/नवीकरण शुल्क की राशि रसीद सं. .......... के अनुसार अदा की गयी जिसे जाँच के लिए संलग्न किया गया है और जाँच के बाद वापस किया जाए ।

i)	जलयान के लिए लाईसेन्स शुल्क :	₹
ii)	अदद नाविक/मछुवारे के पहचान पत्र के लिए शुल्क	₹
iii)	नवीकरण शुल्क	₹
iv)	विलम्ब/माह के लिए दण्ड	₹
	कुल	₹

मत्स्यहरण जलयान के मद सं. 10 में दिए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र और बीमा पॉलिसी और मत्स्यहरण प्रमाणपत्र के संबंध में भी जाँच और जाँच के बाद वापस किए जाने के लिए इसके साथ प्रस्तुत किया जाता है।

मैं/हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि मैं/हम किसी भी ऐसे मछुवारें अथवा नाविक को तब तक काम में नहीं लगाए या लगाने की अनुमित नहीं देंगे जब तक उक्त मछुवारे अथवा नाविक का व्यवसायिक संकट (जोखिम) के लिए पर्याप्त बीमा कवरेज न हो ।

मैं/हम आगे यह भी घोषित करते हैं कि मैंने/हमने आवेदन फार्म के मद सं.10 (ङ) में बताए गए अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले मत्स्यहरण जलयान का बीमा कवरेज की नवीकरण कराएंगे और ऐसा न होने पर इस आवेदन की शर्तों के अनुसार उक्त तारीख के समाप्त होने पर मत्स्यहरण लाईसेन्स स्वत: रद्द हो जाएगा । (यदि जलयान गैर यंत्रीकृत हो जो काट दें )

दिनांक :

स्थान :

मालिक(ौं)का हस्ताक्षर

टिप्पणी : आवेदन को जमा किया जाए :-

- उसी प्राधिकरी को जिसने मत्स्यहरण जलयान को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण विनियम, 2003 की धारा 9(1) के तहत पंजीकृत किया था और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया था ।
- ii) आवेदन पत्र के कालम 4 में दर्शाए गए मूल मत्स्यहरण बेस का जहाँ जलयान किसी अन्य उचित विनियम अथवा विधि जो उस समय लिए हो, के तहत पंजीकृत किया गया हो का प्राधिकृत अधिकारी को
- (क) गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान के मामले में आवश्यक नहीं है ।
- (ख) यदि जलयान अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण विनियम, 2003 के तहत पंजीकृत नहीं हो तो पूरा विवरण दें ।

## FORM No. - MFR - 13 See Rule 14(d)

## NOTICE TO AGENT FOR APPEARANCE

Memo No.	Dated :
To.	
(name of agent and his residence)	
Whereas you have been appointed as agent by the owner registration No	peal application preferred by
Whereas your appointment as agent, as aforesaid, undersigned.	has been accepted by the
You are, hereby, directed to appear before the undersign questions relating to the issue, at	earing) on(date) I be heard. You are, further,
Take notice that in default of your presence on the date application will be heard and decided in your absence.	before mentioned, the appeal
Date	
479.7958 (A.	ignature of Adjudicating
CONTRACTOR	Officer/Appellate authority

- 44
  - (ग) नियमावली 2(ज) में दी परिभाषा के सन्दर्भ में मूल मत्स्यहरण बेस का नाम बताए ।
  - (घ) जब नए लाईसेन्स के लिए आवेदन किया हो जो (शून्य) लिखें ।
  - (ङ) फिशिंग गियर अथवा टेकल, अर्थात गिल, नेटिंग, फिक्सड बेग वेटिंग, ट्रोलिंग, पर्स सीनिंग, हुक एवं लाइनिंग आदि मत्स्यहरण के प्रकार का उल्लेख करें ।
  - (च) नियमावली के नियम 5 (क) देखें और तदनुसार " मत्स्यहरण क्षेत्र " लिखें ।
  - (छ) यदि मत्स्यहरण जलयान गैर यंत्रीकृत है तो काट दें ।
  - (ज) शुल्क को नियमावली III के अनुसूची में निर्धारित दर के साथ पुष्टि होनी चाहिए ।
  - (झ) नए लाईसेन्स के लिए आवेदन करते समय काट दें ।

## भाग ॥

## प्राधिकृत अधिकारी की टिप्पणी और आदेश

7. ..... (कोई अन्य आदेश)

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक :

## टिप्पणी :

- प्राधिकृत अधिकारी मदों को तारीख सिंहत अपने हस्ताक्षर के तहत हटा दें तािक उनके आदेश स्पष्ट एवं विशिष्ट हो सके ।
- 2. यदि जलयान एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खरीदा गया है, तो भाग II में मद सं. 4 के लिखित वस्तुओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र लिखित प्रथम व्यक्ति को वापस किया जाए और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आदेश यदि कोई हो, को भी उसे ही दिया जाए ।

## FORM No. - MFR - 14 See Rule 14(d)

## NOTICE TO OWNER OF FISHING VESSEL FOR APPEARANCE

Memo No.	Dated :
То	
(name and place of residence)	
owners) of fishing vessel bearing registration	of Authorized Officer/Adjudicating
You are, hereby, directed to appear being questions relating to the issue as per schedule instructed to file on that date a written statement of	fore the undersigned and answer all material e mentioned herein before. You are, further, of your defence.
Take notice that in default of your appear application will be heard and decided in your abse	ance on the date before mentioned, the appeal ence.
Date :	
Official Designation :	Signature of Adjudicating
TO COLORO DE SINO PERMINE DORO DO	Officer/Appellate authority

## फार्म सं.एम.एफ.आर-9 नियम 4(ञ) देखें

## मत्स्यहरण कार्यकलाप के लिए लाईसेन्स

फार्म-एम	एफ	आर-	8	क्रम	सं
मत्स्यहरण	लाई	सेन्स	सं.		

एकत्रित शुल्क रु. जारी करने की तिथि

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण विनियम, 2003 और इसके अन्तर्गत बने नियमों तथा इसके दूसरी ओर छपे शर्तों और मत्स्यहरण जलयान के लिए सुस्पष्ट शर्त कि यदि मालिक(ों) मत्स्यहरण जलयान के लिए वैध बीमा कवरेज प्रतिधारण करना होगा, यदि यह एक यंत्रीकृत जलयान है तो, लाईसेन्स की अविध समाप्त होने तक जलयान बीमे के अधीन रहेगा की शर्तों पर निम्न प्रकार से लाईसेन्स मंजूर किया जाता है।

- मत्स्यहरण जलयान का नाम : (यंत्रीकृत जलयान मात्र के लिए)
- 2. पंजीकरण संख्या
- 3. पंजीकरण प्राधिकारी
- 4. मत्स्यहरण के लिए प्राधिकृत प्रकार
- 5. मतस्यहरण का विनिर्दिष्ट क्षेत्र
- 6. मत्स्यहरण लाईसेन्स की समाप्ति की तिथि
- जलयान में कार्यरत नाविक, गोतोखोर और मछुवारों का विवरण

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	आयु	पता	स्थिति	पहचान पत्र सं.
क					
ख					
ग					
घ					
ভ					

कार्यालय मुहर

दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पीछे दी गयी शर्तों के अधीन मत्स्यहरण लाईसेन्स को एतद्द्वारा नीचे सारणी में सबसे नीचे बतायी गयी तारीख तक नवीकृत किया जाता है ।

क्र.सं.

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर और कार्यालय मुहर

## मतस्यहरण लाईसेन्स की अस्वीकृति के लिए शर्तें

मत्स्यहरण जलयान के मालिक

- i) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण विनियम, 2004 की धारा 4 के तहत जारी आदेशों का पालन सख्ती से करेगा ।
- ii) प्रतिवेदित माह का मासिक रिपोर्ट माह समाप्त होने के बाद 10 दिनों के भीतर एक निर्धारित फार्म सं. एम.एफ.आर-10 में जमा करेगा ।
- iii) किसी भी ऐसे मछुआरे अथवा नाविक को तब तक काम में नहीं लगाएगा अथवा किसी मछुआरे अथवा नाविक को जलयान में चढ़ाने की अनुमित नहीं दे जब तक उक्त मछुआरा अथवा नाविक का व्यवसाधिक संकट (जोखिम) के लिए पर्याप्त बीमा कवरेज न हो ।

FORM No. - MFR - 15 See Rule 3 (g)

## FORMAT OF REGISTER FOR REGISTRATION OF FISHING VESSEL

NAME OF PRINCIPAL FISHING BASE :-

NAME OF FISH LANDING CENTRE / FISHING VILLAGE

	Horse		ψ.	
Particulars of Engine	Engine		14	
articulars	Model name and/or number		13	
i.l.,	Brand Name		12	
	(etre)	Gross	=	
	M m) stools	Draught	10	
s of full	Principal Dimensions (in Metre)	Maximum Breath	0	
Particulars of hull		Overall	00	
	Constru-	Materian	2	
	Manner of Constru-		st.	
	Name of Crew/ fisherman/ Diver		10	
	Name of Fishing Vessel		7	
	Present address		m	
	agn. Name of the owner to and father's name		2	
	5.9	-		

Ramarke	1351351110	24	
Department area of operation	Toposad alea or operation	23	
Type of fishing gear proposed	to be used	22	
The same of the sa	Total cost	21	
Is (Rs.)	Other cost	20	
Cost det	Engine	19	
	Hall	18	
Year of acquisition	of Engine	17	
Year of acquisition/	Construction of hull	16	

## 3. मल्प्य हरण जलयान निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा

- i) विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर किसी प्रकार का मत्स्यहरण क्रियाकलाप नहीं करेगा।
- किसी प्रकार का विस्फोटक अथवा किसी प्रकार विनिषिद्ध अथवा आपत्तिजनक वस्तु जलयान में नहीं चढाएगा ।
- iii) सेंकट सेंकेतो अथवा प्रतिकूल मौसम की चेतावनी मिलने के बावजूद भी मत्स्यहरण के लिए चलेगा अथवा मत्स्यहरण कार्य चालू रखेगा ।
- iv) नौचालन पथ पर मूरिंग या एन्कर करे अथवा वहां मछली पकड़े जिससे अन्य मत्स्यहरण जलयानों को मत्स्य जेटी या मत्स्यहरण बेस में जाने में बाधा हो ।
- v) मत्स्य हरण क्रियाकलाप संबंध नहीं रखने वाले कार्यों में लगाया अथवा उपयोग किया जाए।
- मत्स्यहरण जलयान को जल रेखा के ऊपर जलयान के सभी ओर पेंट से 1 फीट का पीला बार्डर बना कर स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाए तथा समुद्र में मछली पकड़ते समय भारतीय राष्ट्रीय झण्डा भी लहराए ।
- मत्स्यहरण जलयान के पर्याप्त जीवन रक्षक उपकरण, आग बुझाने के लिए आवश्यक सामग्रियों तथा संचार उपकरणों से लैस करना होगा ।
- 5. मत्स्य जलयान का मालिक/प्रभारी व्यक्ति मछली पकड्ने के दौरान जलयान में लाईसेंस अपने पास रखेगा तथा निरीक्षण के लिए नियंत्रण तथा निगरानी प्राधिकारी जैसे नौसेना, तटरक्षक, पत्तन प्रबंधन बोर्ड तथा मत्स्य विभाग अधवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर दिखाएगा ।
- 6. मत्स्यहरण जलयान का मालिक/प्रभारी व्यक्ति, मछली पकड़ने के लिए जलयान को प्रवाल भित्ती क्षेत्र, द्वीपसमूह के जनजाति क्षेत्र, मैरीन नेशनल पार्क, अभयारण्यों तथा इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों, जिसे समय-समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, में नहीं ले जाएगा ।
- 7. मत्स्यहरण जलयान का मालिक/प्रभारी व्यक्ति, प्राधिकृत अधिकारी तथा अन्य प्राधिकारियों को अग्रिम रूप से जलयान की समुद्री यात्रा आरम्भ करने की तारीख के साथ जलयान यात्रा कार्यक्रम तथा मुख्य मत्स्य बन्दरगाह/स्थान में जलयान की वापसी की तारीख बताएगा । उन्हें समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान समय-समय पर पत्तन प्रबंध बोर्ड, तट रक्षक तथा मत्स्य निदेशक को अपनी स्थिति से अवगत कराना होगा ।
- 8. मत्स्यहरण जलयान को विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जाते अथवा आते समय, विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र से उस क्षेत्र में प्राधिकार सिंहत मत्स्यहरण हेतु दूसरे मत्स्यहरण जलयान द्वारा डाले गए उपकरणों को क्षिति पहुंचाए बिना तथा दूसरे जलयान को बचाते हुए आ जा सकेगा ।
- 9. नियम की अनुसूची IV में दिए गए प्राधिकृत अधिकारियों अथवा नियम के अंतर्गत प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निरीक्षण के लिए मत्स्य जलयान में प्रवेश कर सकेगा ।
- 10. मत्स्यहरण लाईसेंस के नवीकरण के लिए लाईसेंस की वैध अवधि समाप्त होने से पहले निर्धारित फीस के साथ आवेदन जमा करें । यदि मत्स्यहरण लाईसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन, लाईसेंस की वैध अवधि समाप्त होने के 6 महीने के भीतर किया जाता है और उसके साथ हुई देरी के लिए निर्धारित जुर्माना की अदायगी रसीद भी संलग्न किया जाता है तो, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा । जब तक इस अवधि के भीतर मत्स्यहरण लाईसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं कर, मत्स्य लाईसेंस के वैध अवधि समाप्त होने के बाद मत्स्यहरण जलयान द्वारा की गई मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों को "अनिधकृत तथा अवैध मछली पकड़ना" करार दिया जाएगा ।

## FORM No. – MFR - 16 See Rule 6 (k)

# FORMAT OF REGISTER FOR ISSUE OF FISHING LICENCE

NAME OF PRINCIPAL FISHING BASE :-

NAME OF FISH LANDING CENTRE / FISHING VILLAGE

	Remarks	ī.	
gears	Proposed area of operation	14	
Partioulars of gears	Approx. cost of the gear	2	
Par	Total no./ size/ weight	12	
	Type of gear	F	
	Addre	01	
diver	Selation- ship	6	
Particulars of crew / fishermen / diver	Name of nominee for group accident insurance scheme	80	
culars of cr	Age Address	7	
Partic	Age	ω.	
	Name & father's name	io:	
	Name of fishing vessel	4	
	Present address	6	
	No. and father's name	2	
	No.	-	

## फार्म संख्या - एम.एफ.आर - 10 नियम 3(द) देखें मत्स्य जलयान का मासिक विवरण

1. मत्स्यहरण जलयान का नाम :

2. रिपोर्ट किए जाने का महीना :

3. पंजीकरण संख्या :

मत्स्यहरण लाइसेंस सं.

मत्स्यहरण जलयान का विवरण : यंत्रीकृत/गैर यंत्रीकृत

6. मछली पकड्ने वाले दिनों की संख्या :

7. उपभोग किया गया ईंधन (लीटर में) :

8. कितनी मछली पकड़ी गई (टन में)

(i) झींगा (Viii) सिल्वर बेलिस

(ii) हिल्सा (ix) ग्रुपर्स

(iii) सरडाइन (x) स्नेपर्स

(iv) मैकरेल (xi) केरेन्कस

(v) इम्पर्स (xii) शार्क्स

(vi) अन्य परचस (xiii) रेस

(vii) कैट फिश कुल

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिवेदित माह के दौरान जलवान में ऐसा कोई मछुवारा या नाविक या गोताखोर नहीं था जिसकी व्यवसायिक जोखिम की दुर्घटना के लिए पर्याप्त बीमा कवरेज नहीं था ।

सहायक मत्स्य उद्योग निदेशक के समक्ष प्रस्तुत

दिनांक

मालिक का हस्ताक्षर

## नोट :

- 1. मतस्यहरण लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी के पास ही मासिक विवरण जमा करें।
- 2. प्रतिवेदित माह के अंतिम तारीख के बाद 10 दिनों के भीतर मासिक विवरण जमा करें।
- यदि माह के दौरान मछली न पकड़ी गयी हो तो प्रतिवेदित माह के अंतिम तारीख के बाद 10 दिनों के भीतर मद संख्या 6,7 तथा 8 के लिए 'शून्य' रिपोर्ट जमा करें ।

## FORM No. - MFR - 17

See Rule 4 (II)

FORMAT OF REGISTER FOR GRANT OF IDENTITY CARDS TO FISHERMEN, CREW MEMBERS AND DIVERS

NAME OF PRINCIPAL FISHING BASE :-

NAME OF FISH LANDING CENTRE / FISHING VILLAGE

	Name & father's Age Address Insurance scheme Relationshing S 6 7 8 9		Address of nominee	10	
Name & father's Age Address Insurance scheme 5 6 7 8	Name & father's Age Address Insurance scheme 4 5 6 7 8	/ diver	Relationship		
Name & father's Age name 5 6	Name of fishing Name & father's Age name 4 5 6	Particulars of crew / fishemen / d	Name of nominee for group accident insurance soheme	89	
Name & father's name	Name of fishing vessel Name & father's name.	Particulars	Address	7	
	Name of fishing vessel		Age	Θ	
Name of fishing vessel	40		Name & father's name	is)	
	Present address		Name of fishing vessel	7	
ing identity Card Name of the owner and No. father's name			ing identity Card No.		

## फार्म संख्या - एम.एफ.आर - 11 नियम 9(ख) देखें

## ऐजेंट की नियुक्ति के लिए आवेदन

		0 000		
1. मत्स्यहरण	जलयान का नाम		:	
2. पंजीकरण २	संख्या		:	
3. मालिक(ौ)	का नाम व पता		•	
क्रम सं.		नाम		पता
(i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				
4. ऐजेंट का	नाम व पता		P P	

- (i) नाम:
- (ii) पता:
- 5. ऐजेंट की नियुक्ति का उद्देश्य
- (i) मत्स्यहरण जलयान का पंजीकरण
- (ii) मत्स्यहरण लाइसेंस की स्वीकृति/नवीकरण
- (iii) प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील
- (iv) अधिनिर्णय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील

मै/हम सहमत हैं और घोषित करते हैं कि इस ऐजेंट के मार्फत से आपके द्वारा इन नियमों और विनियम के प्रयोजन से दिया गया अनुदेश या निदेश या आदेश को वैध तथा प्रभावी माना जाएगा और मुझे/हमें व्यक्तिगत और अलग-अलग प्राप्त हुआ माना जाएगा ।

नियुक्ति के लिए प्रस्तावित ऐजेंट का नमूना हस्ताक्षर इस अनुरोध के साथ नीचे दिया गया है कि मेरे/हमारे ऐजेंट के रूप में उसकी नियुक्ति को स्वीकार किया जाए ।

स्थान :

दिनांक :

मालिक का हस्ताक्षर

- नोट: क) आवेदन निम्नलिखित को भेजें
  - (i) प्राधिकृत अधिकारी को मद संख्या 5(i) तथा 5(ii) के लिए
  - (ii) अधिनिर्णय प्राधिकारी को मद संख्या 5(iii) के लिए
  - (iii) अपीलीय प्राधिकारी को मद संख्या 5(iv) के लिए

## FORM No. - MFR - 18 See Rule 6 (s)

## FORMAT OF SEIZURE LIST

	In exe	ercise of power	s conferred under S	section 14 and Section 15 of	the Andaman and Nicol	ar
Islan	ds Marine	Fishing Regul	ation 2003 read with s	sub-rule (18) of Rules 3, I Sm	ti. / Shri,	
				risdiction, hereby seize		
on				from Smti./ Shri		
				licence no	0) 11011	
	SI. No.	Item Seized	Specification	Quantity in Nos. / Kgs.	Remarks	
	Place	-				
				Sign	ature of Authorized Officer	
					Name, Seal and Date)	
Witne	ess					
	1.	Name Addre	ss and Signature			
	2.		ss and Signature			
Conv	of Seizur	re List handed r	war to Shri	Owner / Ager	et / Carrier Managhan /	
		he seized item.		Owner / Ager	it / Crew Member /	
	ived copy					
	111		2 90 0 5200			
			Crew Member / Fisher	men		
		ss and Date)				
Copy	to Adjudi	cating Officer (	Director of Fisheries ).	. Andaman and Nicobar Island	s, Port Blair.	

- ख) तथा ग) गैर यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान के मामले में मद संख्या 1 के सामने 'शून्य' लिखें । मद संख्या 5 (i) के अनुसार जब ऐजेंट की नियुक्ति ''मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण'' से संबंधित है तो मद सं. 1 तथा मद सं. 2 दोनों के सामने ''नया पंजीकरण'' लिखें ।
  - इस आवेदन में 4 मदों में से कोई 1 मद के लिए ऐजेंट की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा सकता है । शेष 3 मद जो संबंधित नहीं है, उसे काट दें ।

## भाग - 11

## प्राधिकृत अधिकारी अथवा अधिनिर्णय अधिकारी अथवा अपीली प्राधिकारी जैसा भी मामला हो, द्वारा भरकर ऐजेंट को वापस किया जाए

ज्ञापन संख्या			दिनांक
सेवा में,			
	(नाम व निवास का पता)		
महोदय,			
ऐजेंट के रूप में आप	पान के मालिक(ौ) द्वारा यथाप्र को नियुक्ति को स्वीकार कर हुए मालिक(ौ) को सूचित करें	लिया गया है । तद्नुसार	
दिनांक :			*
पदनाम :		समर्थ	प्राधिकारी का हस्ताक्षर

## SCHEDULE - II See Rule 3 (f)

## FEES PAYABLE FOR REGISTRATION, TRANSFER OF OWNERSHIP, CHANGE OF PRINCIPAL FISHING BASE AND REPLACEMENT OF ENGINE

Description of fishing vessel	Registration	Transfer of ownership	Change of Authorized Officer	Replace- ment of engine
Mechanized fishing vessel powered and propelled by an engine	Rs.100/-	Rs.50/-	Rs. 50/-	Rs. 50/-
i) more than 30 BHP upto 200 BHP(vessels between 15 - 20 metres OAL)	KS.100/-			
ii) more than 200 BHP (vessels more than 20 metres OAL)	Rs. 1000/-	Rs. 100/-	Rs. 100/-	Rs.100/-
iii) upto 30 BHP including motorized fishing vessel (vessels upto 15 metres OAL)	Rs.25/-	Rs.10/-	Rs.10/-	Rs.10/-
iv) sport fishing vessel	Rs.1000/-	Rs. 100/-	Rs. 100/-	Rs. 100/
Country craft powered by oars and sails	Rs. 10/-	Rs. 5/-	Rs. 5/-	Rs. 5/-

Note:

- When change of principal base is occasioned through transfer of ownership no fees are separately payable for change of Authorized Officer.
- The rates are subject to revision under rules 3(f) of Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004.

Sd/-(Prof. Ramchandra Ganesh Kapse) Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd/-(Theresa Sandanam) Assistant Secretary (Fy.)

## फार्म नम्बर एम.एफ.आर - 12 नियम 13(घ) देखें

## मामले के निपटान हेतु सूचना

ज्ञापन सं.	दिनांक
सेवा में,	
******************************	
(नाम व निवास स्थान)	
ऐसा प्रतीत होता है कि आप प्रावधानों का निम्नलिखित कारणों के उ	ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्रीय मत्स्यहरण विनियम, 2003 के आधार पर उल्लंघन किया है ।
(उल्लंघन का स्थान को दर्शाते हुए उ तथा पंजीकरण संख्या भी लिखें)	सका संक्षिप्त विवरण दें । यदि सम्भव हो तो मत्स्यहरण जलयान का नाम
	मूह समुद्रीय मत्स्यहरण विनियम, 2003 की धारा 16(2) अन्तर्गत दिनांक बजे (जाँच स्थान) में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा
रूप से अथवा फार्म-एम.एफ.आर-11 मुख्य प्रश्नों का उत्तर देने योग्य हो	दिया जाता है कि जांच के प्रयोजन हेतु उपर्युक्त बताए अनुसार व्यक्तिगत में आपके द्वारा विधिवत नियुक्त ऐजेंट, जो इस मामले से संबंधित सभी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हो । आपको यह निर्देश बचाव के लिए लिखित बयान भी दायर करें ।
आप इस बात को अच्छी तर आपकी अनुपस्थिति मैं मामले की जाँच	हि समझ ले कि यदि उक्त तारीख को आप अनुपस्थित रहते है तो भी , सुनवाई और अवसान हो जाएगा ।
दिनांक :	
पदनाम :	अधिनिर्णय अधिकारी का हस्ताक्षर
नोट : फार्म संएम.एफ.आर. 11 में से प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं	आवेदन किए बिना मत्स्यहरण जलयान के मालिक का ऐजेंट के माध्यम ी किया जाएगा ।

## SCHEDULE - III See Rule 4 (h)

## FEES PAYABLE FOR FISHING LICENCE, RENEWAL OF FISHING LICENCE AND PENALTY FOR DELAY IN RENEWAL OF FISHING LICENCE

	scription of fishing vessel	Fishing licence/ renewal of fishing licence	Penalty for delay in renewal for every month or a part of a
10	Mechanized / Motorized fishing vessel		month
	i) Upto 30 BHP (vessels upto 15 metres OAL)	Rs. 100/-	Rs. 10/-
	ii) above 30 BHP (vessels above 15 metres OAL)	Rs. 1000/-	Rs. 100/-
	iii) for crew members / fishermen /divers per head	Rs. 10/-	Rs.2/-
2.	iv) sport fishing vessel  Non-mechanized boat	Rs. 2000/-	Rs. 100/-
	(i) Non-mechanized country crafts powered by oars and sails	Rs 25/-	Rs. 5/-
	(ii) for crew members / fishermen divers	Rs. 10/-	Rs. 2/-

Note: 1. Renewal of fishing licence is not admissible after expiration of 6 months from the date of expiry of fishing licence.

The rates are subject to revision under rule 4(h) of Andaman & Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004.

Sd/(Prof. Ramchandra Ganesh Kapse)
Lieutenant Governor,
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd/-(Theresa Sandanam) Assistant Secretary (Fy.)

## फार्म नम्बर एम.एफ.आर. - 13 नियम 14(घ) देखें

## ऐजेंट को उपस्थिति के लिए सूचना

ज्ञापन सं.	दिनांक
सेवा में,	
(ऐजेंट का नाम तथा उसका निवास स्थान)	
चूँकि मत्स्य जलयान पंजीकरण सं	पंजीकृत नाम
के मालिक द्वारा आपको ऐजेंट के रूप में नियुक्त	किया गया है । इसलिए प्राधिकृत अधिकारी/ अधिनिर्णय
अधिकारी के दिनांक के आदे	श के विरुद्ध में उसके/उनके द्वारा दिए गए अपील आवेदन
के संबंध में उसके/उनके हित में आपको उपस्थित होने	का निर्देश दिया जाता है, और
र्न्नूकि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उपर्युक्त अनुसार ऐ गया है।	जेंट के रूप में आपकी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया
इसलिए आपको एतदृद्वारा निर्देश दिया व	गाता है कि उक्त अपील आवेदन पर सुनवाई के समय
दिनांक को	बजे (सुनवाई का स्थान) पर इस
मामले से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए	अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित रहें । आपको यह निर्देश
भी दिया जाता है कि उसी दिन मत्स्यहरण जलयान के	मालिक(1) का लिखित प्रतिवाद बयान भी दायर करें।
आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि रहता है तो भी आपकी अनुपस्थिति में अपील आवेदन	यदि उपर्युक्त तिथि को आप अनुपस्थित रहते हैं/उपस्थित पर सुनवाई और निर्णय हो जाएगा ।
दिनांक :	
पदनाम :	अधिनिर्णय अधिकारी/अपीली प्राधिकारी का हस्ताक्षर

### SCHEDULE - IV See Rule 3 (c)

LIST OF OFFICERS EMPOWERED TO ACT AS ADJUDICATING OFFICER, AUTHORISED OFFICER AND FISHERY OFFICER IN RESPECT OF REGISTRATION, TRANSFER OF OWNERSHIP, CHANGE OF PRINCIPAL FISHING BASE AND REPLACEMENT OF ENGINE OF FISHING VESSEL AND GRANT / RENEWAL OF FISHING LICENCE / IDENTITY CARD

SI. No.		Designation of the Officer	Jurisdictional zone and Authorized Officer	Fish Landing Centres covered
1	Adjudicating Officer	Director of Fisheries, Andaman and Nicobar Islands	Whole of the Territorial waters of the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands	All Fish landing centres in A&N Islands
2.	Authorized Officer	i) Assistant Director of Fisheries (South Andaman)	Authorized Officer within the jurisdiction of South Andaman (Port Blair, Havelock, Neil & Little Andaman)	All fish landing centres in Port Blair, Ferrar-gunj, Neil , Havelock and Little Andaman
		ii) Assistant Director of Fisheries (Middle & North Andaman)	Authorized Officer within the jurisdiction of Middle & North Andamans (Kadamtalla, Rangat, Billiground, Mayabunder and Digilipur)	All fish landing centres in Kadamtalla, Rangat, Billiground, Mayabunder and Diglipur
		iii) Assistant Director of Fisheries (Nicobars)	Authorized Officer within the jurisdiction of Nicobars District (Car Nicobar, Katchal, Nancowry and Campbell Bay).	All fish landing centres in Car Nicobar, Nancowry Katchal, Great Nicobar
3	Fishery Officer	All Officers of Fisheries Department not below the rank of Assistant Fisheries Guard & not above the rank of Assistant Fisheries Development Officer	As per their places of posting	All fish landing centres in their places of posting

Note: In case of change of Authorized Officer or transfer of ownership and change of Authorized Officer simultaneously, Assistant Director of Fisheries in whose jurisdiction proposed Authorized Officer lies shall act as Authorized Officer.

Sd/-(Prof. Ramchandra Ganesh Kapse) Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd/-(Theresa Sandanam) Assistant Secretary (Fy.)



## फार्म नम्बर एम.एफ.आर. - 14 नियम 14(घ) देखें

## उपस्थित होने के लिए मत्स्यहरण जलयान के मालिक को सूचना

ज्ञापन सं.	दिनांक
सेवा में,	
(नाम व निवास	स्थान)
प्राधिकृत अधिकारी/अधिनिर्णय अधि	कारी के दिनांक के आदेश के विरुद्ध
मत्स्यहरण जलयान पंजीकरण संख्या	तथा पंजीकृत नाम के
संबंध में आपके द्वारा दिनांक	को (सह-मालिक के साथ संयुक्त रूप से) दिए गए
अपील आवेदन पर दिनांक	को बजे
(सुनवाई का स्थान) पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा	सुनवाई होगी ।
	संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उक्त कार्यक्रम अनुसार निर्देश दिया जाता है । आगे आपको यह भी निर्देश दिया जाता है न भी दायर करें ।
and the second s	तमझ लें कि यदि उपर्युक्त तिथि को आप अनुपस्थित रहते हैं/उपस्थित पील आवेदन पर सुनवाई और निर्णय हो जाएगा ।
दिनांक :	
पदनाम :	अधिनिर्णय अधिकारी/अपीली प्राधिकारी का हस्ताक्षर

## SCHEDULE - V

See rule 15 (f)

## IDENTIFIED SEA AREAS FOR LEASING FOR FISH CULTURE OR INSTALLATION OF FISH AGGREGATING DEVICES

a) South Andaman

Location - 1, off Port Blair

Bearings

92° 45' E & 11° 42'N North Bay, 0, 4 km²

and

92° 45' - 46' E & 11° 34'-38'N Port Blair to Rangachang 7 km² in NNE to

SSW in belt 1 km vide.

and

92° 46' - 47' E & 11° 42' - 47' N

North Pt. to Cape Masy 9

km2 in SN direction.

and

92° 47' - 48' E & 11° 47' - 55' N

North of Cape Masy, 14 km

in SN-direction.

Location - 2 off Chidiatapu

Bearings

92° 41' E & 11° 29' N Mac pherson Strait, 4 km°

92° 44' - 45' E & 11° 30' - 34' N

Chidiatapu to Rangachang, 7

km2 in SSW to NNE belt, 1 km wide.

Location - 3 off Havelock Islands

Bearings

92° 55' - 57' E & 12° 01' - 03' N

Melville Pt. to Stowe, 13 km2

and

92° 55' - 57' E & 12° 04' - 06' N

North of Stowe, W of

Nicholson Isl., 13 km2

92° 55' - 59' E & 11° 56' - 59' N

South of Melville pt., SW of

Havelock, 8 km2, in 0.9 km wide belt.

b) Middle Andaman

Location - 1, off Rangat Bay

Bearings:

92° 59' - 93° 02' E & 12° 25' - 28' N Outside Rangat Bay, 29 km²

and

92° 59' - 93° 01' E & 12° 30' - 35' N North of Rangat Bay, 32 km²

92° 59' - 93° 01' E & 12° 35' - 40' N

North of Rangat Bay, 24 km<sup>2</sup>

and

92° 59' - 93° 01' E & 12° 20' - 25' N

South of Rangat Bay, 32 km2

Location - 2, off Mayabunder

Bearings

92° 56′ – 59' E. Outside Mayabunder Bay, 19 km² 12° 53' – 55' N

and

92° 57' - 59' E & 12° 45' - 52' N

South of Mayabunder Bay, 29 km<sup>2</sup>

फार्म नम्बर एम.एफ.आर. - 15 नियम 3(छ) देखें

मत्स्यहरण जलयान के पंजीकरण करने के लिए रजिस्टर का फार्मेट

प्रमुख मत्स्यहरण बेस का नाम : मत्स्य अवतरण केन्द्र/फिशिंग विलेज :

	हॉर्स पावर		15
विवस्ण	इंजिन नम्बर		14
इंजिम का	मॉडल का नाम तथा/ अथवा संख्या		13
	ब्रान्ड का नाम		12
		कुल टनभार	11
	(मीटर में)	ड्राफ्ट	10
का विवस्ण	मुख्य विस्तार (मीटर	अधिकतम चौड़ाई	6
हल (hull) का		कुल लंबाई	8
	समयी		7
	अधिग्रहण करने का तरीका		9
नाविक/मधुवारा/ गोताखोर का नाम			S
जलयान का नाम			4
वर्तमान प्रता			ю
मालिक का नाम तथा उसके पिता का नाम			2
पंजीकरण सं.			-

हल के अधिप्रहुण का निर्माण वर्ष	इम्मिन अधिप्रहुण का वर्ष	लागत	त विवरण	(5.)		प्रयोग होने वाले प्रस्तावित मल्प्यहरण त्यकरण का प्रकार	प्रचालन का प्रस्तावित क्षेत्र	अभ्युक्तियाँ
		हल (hull)	इंजिन	अन्य लागत	कुल लागत			
16	17	18	19	20	21	22	23	24

## THE ANDAMAN AND NICOBAR EXTRAORDINARY GAZETTE, JUNE 1, 2004 53

c) North Andaman Location – 1, off Diglipur, Ariel Bay Bearings 93° 04' E & 13° 17' N Ariel Bay, 1 km². and 93° 04' – 05' E & 13° 11' – 16' N km wide belt.

South of Ariel Bay, 9 km2 in 1

Sd/-(Prof. Ramchandra Ganesh Kapse) Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd/-(Theresa Sandanam) Assistant Secretary (Fy.)

फार्म नम्बर एम.एफ.आर. - 16 नियम 6(ट) देखें

## मत्स्यहरण लाइसेंस जारी करने के लिए रजिस्टर का फार्मेट

प्रमुख मत्स्यहरण बेस का नाम : मत्स्यहरण अवतरण केन्द्र/फिशिंग विलेज :

	अभ्युकितथी	15.
ा विवरण	प्रचालन का प्रस्तावित क्षेत्र	14.
भरस्यहरण उपकरण का	उपकरण क्रा अनुमानित लागत	13.
n) 3k4dE	कुल सं./ आकार/ बज्जन	12.
	उपकारण का प्रकार	11.
	नामित व्यक्तित का पता	10.
Ĭo:	संबंध	9.
नाविक/मञ्जुवारा/गोताखोर का विवरण	सामूहिक दुर्घटना बीमा स्क्रीम के लिए नामित व्यक्ति का	8,
	पता	7.
नाविक	ਦੂ ਲ	.9
	नाम व नाम नाम	5.
मत्स्यहरण जलयान का नाम		4
वर्तमान पता		3,
मालिक का नाम तथा उसके पिता का नाम		2.
लाइसेंस सं.		Τ.

## SCHEDULE - VI See Rule 16 (a)

PRESCRIBED RATES OF ROYALTY PAYABLE TO DIRECTOR OF FISHERIES, ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS FOR TRANSPORTATION OF FISH AND FISHERY PRODUCTS FROM ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS TO OUTSIDE THE ISLANDS

a) Shark fins : Rs.50.00 per kg

 Prawns, shrimps, lobsters, crabs (chilled/ frozen) : Rs.05.00 per kg.

c) All live fishes including crustaceans, snappers and groupers (except Giant grouper "Epinepheleus lanceolatus" banned under Wild Life (Protection), Act 1972) : Rs.05.00 per kg.

d) All other fishes (salted/ chilled / frozen) : Re.1.00 per kg

e) Shrimp nauplii : Rs.6,000.00 per million

f) Any species of sea shells : Rs. 10.00 per kg. not covered under Wild Life (Protection), Act 1972) in raw form

(2) 100% Export Oriented Units (EOUs) possessing valid green card issued by the Madras Export Processing Zone (MEPZ) having their establishment or project base in the islands shall be exempted from payment of royalty. However, such units shall furnish the details of export consignment and obtain No Objection Certificate from the Director of Fisheries on consignment basis.

> Sd/-(Prof. Ramchandra Ganesh Kapse) Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd/-(Theresa Sandanam) Assistant Secretary (Fy.)

फार्म नम्बर एम.एफ.आर. - 17 नियम 4 i (ii) देखें

मछुवारों, नाविकों तथा गोताखोरों को पहचान पत्र जारी करने के लिए रजिस्टर का फार्मेट

प्रमुख मत्स्यहरण बेस का नाम : मछली अवतरण केन्द्र/फिशिंग विलेज :

	नामित व्यक्ति का पता	10
	संबंध	6
नाविक/मछुवारा/गोताखोरों का विवस्ण	सामूहिक दुर्घटना बीमा स्कीम के लिए नामित व्यक्ति का नाम	8
विक/मञ्जूवारा/गो	1911	7
THE STATE OF THE S	E E E	9
	नाम तथा पिता का नाम	52
मत्स्यहरण जलयान का नाम		4
वर्तमान पता		33
मालिक का नाम तथा उसके पिता का नाम		2
मस्यहरण पहचान पत्र सं.		<del></del>

## फार्म नम्बर एम.एफ.आर. - 18 नियम 6(ड) देखें

## अभिग्रहण सूची का फार्मेट

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	समुद्रीय मत्स्यहरण	विनियम, 2003 की धारा	14 तथा 15 के साथ
पठित नियम 3 का उपनियम (18) के आ	न्तर्गत प्रदत्त शक्तितयों	का प्रयोग करते हुए मै	श्रीमती/श्री
		*************	क्षेत्र का प्राधिकृत
अधिकारी दिनांक को	वर्ष	मत्स्यहरण जलयान पंजीव	हरण सं
मत्स्यहरण लाइसेंस संख्या			
से निम्नलिखित सामग्रियाँ जब्त करता हूँ ।			
क्रम जब्त की गई सामग्री सं.	विशिष्टता	मात्रा (संख्या/कि.ग्राम में)	अभ्युक्तियाँ
सथान :		प्राधिकृत अधिकारी व (नाम, मुहर तथा दिन	
1. नाम, पता तथा हस्ताक्षर	e P		
2. नाम, पता तथा हस्ताक्षर	W		
जब्त की गई सामग्री के मालिक/ऐजेंट/ना प्रति दी गयी ।	विक/मछुवारा श्री		को अभिग्रहण सूची की
प्रति प्राप्त किया			
मालिक/ऐजेंट/नाविक/मछुवारा का हस्ताक्षर (नाम, पता तथा दिनांक)			
अधिनिर्णय अधिकारी (मत्स्य निदेशक), अण	डमान तथा निकोबार	द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर को	प्रति प्रेषित

## अनुसूची - ।। नियम 3(च) देखें

## पंजीकरण, स्वामित्व का हस्तान्तरण, प्रमुख मत्स्यहरण बन्दरगाह को बदलने तथा इंजिन बदलने के लिए अदा की जाने वाले शुल्क

मत्स्यहरण जलयान का विवरण	पंजीकरण के लिए	स्वामित्व हस्तान्तरण के लिए	प्राधिकृत अधिकारी बदलने के लिए	इंजिन बदलने के लिए
<ol> <li>इंजिन द्वारा पावर्ड तथा प्रोपेल्ड यंत्रीकृत मत्स्यहरण जलयान</li> </ol>				
<ul> <li>(i) 30 बी.एच.पी. से अधिक तथा</li> <li>200 बी.एच.पी. तक (15-20 मीटर ओ.ए.एल. तक का जलयान)</li> </ul>	₹. 100/-	₹. 50/-	₹. 50/-	₹. 50/-
(ii) 200 बी.एच.पी. से अधिक (20 मीटर ओ.ए.एल. से अधिक का जलयान)	रु. 1000∕-	₹. 100/-	₹. 100/-	₹. 100/-
(iii) मोटराइजिंग मत्स्यहरण जलयान सहित 30 <b>बी.एच.पी.</b> तक (15 मीटर ओ.ए.एल. तक का जलयान)	₹. 25/-	₹. 10/-	₹. 10/-	₹. 10/-
(iV) मतस्यहरण स्पोर्ट जलयान	रु. 1000∕-	₹. 100/-	₹. 100/-	₹. 100/-
<ol> <li>ओर्स तथा सेल्स द्वारा पॉवर्ड कन्ट्री क्राफ्ट</li> </ol>	₹. 10/-	₹. 5/-	₹, 5/-	₹. 5/-

नोट : 1. जब स्वामित्व के हस्तान्तरण द्वारा प्रमुख मत्स्यहरण बेस में होता हो तो प्राधिकृत अधिकारी को बदलाव हेतु अलग से शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

2. अण्डमान तथा निकोबार समुद्रीय मत्स्यहरण नियमावली, 2004 के नियम 3(च) के अन्तर्गत दर परिवर्तनीय ।

> 喜./-प्रो. रामचन्द्र गणेश कापसे उप राज्यपाल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर ह./-

(अब्दुल अजीज) सहायक सचिव(मत्स्य)

## अनुसूची-।।। नियम 4(ज) देखें

## मत्स्यहरण लाइसेंस, मत्स्यहरण लाइसेंस का नवीकरण तथा मत्स्यहरण लाइसेंस के नवीकरण कराने में हुई देरी के लिए जुर्माना के संबंधी शुल्क

	मत्स्यहरण जलयान का विवरण	मतस्यहरण लाइसेंस/ मत्स्यहरण लाइसेंस नवीकरण कराने के लिए	नवीकरण कराने में देरी होने पर प्रत्येक पूरा माह अथवा माह के भाग के लिए जुर्माना
1.	मेकानाइण्ड/मोटराइण्ड मत्स्यहरण जलयान		Date of
	(i) 30 बी.एच.पी. तक (15 मीटर ओ.ए.एल. तक का जलयान)	₹. 100/-	ह. 10∕−
	(ii) 30 बी.एच.पी. से अधिक (15 मीटर ओ. ए.एल. से अधिक का जलयान)	₹. 1000/-	ह. 100∕-
	(iii) प्रति नाविक/मछुवारा/गोताखोर के लिए	₹. 10/-	₹, 2/-
	(iv) मत्स्यहरण स्पोर्ट जलयान	₹. 2000/-	₹. 100/-
2.	नान-मेकानाइण्ड बोट		viii e i Cini
	(i) ओर्स तथा सेल द्वारा पावर्ड नान मेकानाइज्ड कन्ट्री क्राफ्ट्स	₹. 25/-	₹. 5/-
	(ii) नाविक/मछुवारा गोताखोरों के लिए	₹. 10/-	₹. 2/-

- नोट : 1. मत्स्यहरण लाइसेंस की वैध अवधि समाप्त होने की तारीख से 6 महीने के बाद मत्स्यहरण लाइसेंस का नवीकरण स्वीकार्य नहीं होगा ।
  - 2. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण नियमावली, 2004 के नियम 4(ज) के अन्तर्गत दर परिवर्तनीय ।

ह./-प्रो. रामचन्द्र गणेश कापसे उप राज्यपाल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> ह./-(अब्दुल अजीज) सहायक सचिव(मतस्य)

## अनुसूची - IV नियम 3(ग) देखें

पंजीकरण, स्वामित्व का हस्तान्तरण, प्रमुख मत्स्यहरण बेस में बदलाव, मत्स्यहरण जलयान का इंजिन के बदलाव तथा मत्स्यहरण लाइसेंस/पहचान पत्र जारी करने/नवीकरण करने के संबंध में अधिनिर्णय अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी तथा मत्स्य विकास अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची

क्र. सं.		अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकृत अधिकारी	
1.	अधिनिर्णय अधिकारी	मत्स्य निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित प्रदेश की सम्पूर्ण समुद्री जल क्षेत्र	द्वीपसमूह के मछली
2.	प्राधिकृत अधिकारी	(i) सहायक मत्स्य निदेशक, दक्षिण अण्डमान	दक्षिण अण्डमान/ पोर्ट क्लेयर, हैवलॉक, नील तथा लिटिल अण्डमान) के क्षेत्राधिकार के धीतर प्राधिकृत अधिकारी	नील, हैवलॉक तथा लिटिल अण्डमान के
		(ii) सहायक मत्स्य निदेशक (मध्य तथा उत्तर अण्डमान)	मध्य तथा उत्तर अण्डमान (कदमतला, रंगत, विल्लीग्राउन्ड, मायाबन्दर तथा डिगलीपुर) के क्षेत्राधिकार के भीतर प्राधिकृत अधिकारी	बिल्लीग्राउन्ड, मायाबन्दर तथा डिगलीपुर के मछली उतारने के सधी
		(iii) सहायक मत्स्य निदेशक, निकोबार	निकोबार जिला (कार निकोबार, कछाल, नानकौरी तथा कैम्पबेल बे) के क्षेत्राधिकार के भीतर प्राधिकृत अधिकारी	नानकौरी, कछाल, ग्रेट निकोबार के मछली
3.	मत्स्य विकास अधिकारी	मत्स्य विभाग के सभी अधिकारी, सहायक मत्स्य रक्षक की पंक्तित से नीचे का न हो तथा सहायक मत्स्य विकास अधिकारी की पंक्ति से ऊपर का न हो	उनकी तैनाती के स्थान के अनुसार	उनकी तैनाती के स्थान के सभी मछली उतारने के केन्द्र

नोट : यदि प्राधिकृत अधिकारी को बदल दिया जाता है, अथवा स्वामित्व का हस्तान्तरण सहित प्राधिकृत अधिकारी का बदलाव साथ-साथ होता है तो वह सहायक मत्स्य निदेशक जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर प्रस्तावित प्राधिकृत अधिकारी आता है, प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।

₹./-

प्रो. रामचन्द्र गणेश कापसे उप राज्यपाल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

言./-

(अब्दुल अजीज) सहायक सचिव(मत्स्य)

## अनुसूची-V नियम 15(च) देखें

## मछली पालन अथवा मछली पालन के साधन उपकरणों को स्थापित करने के लिए पहचान किए गए समुद्री क्षेत्र

(ए) दक्षिण अण्डमान स्थिति - 1, पोर्ट ब्लेयर से बाहर बियरिंग्स 92° 45' पूर्व तथा 11° 42' उत्तर 92° 45'-46' पूर्व तथा 11° 34'-38' उत्तर एन.एन.ई. से 1 कि.मी. चौड़ा एस.एस.डब्ल्यू. बेल्ट 92° 46'-47' पूर्व तथा 11° 42--47' उत्तर एस.एन.दिशा में 9 कि.मी. 92° 47'-48' पूर्व तथा 11° 47'-55' उत्तर एस.एन-दिशा में 14 कि.मी.2

नार्थ बे, 0, 4 कि.मी.

पोर्ट ब्लेयर से रंगाचांग 7 कि.मी.2

नार्थ प्वाइंट से केप मेसी

केप मेसी का उत्तर

स्थिति - 2 चिड्याटापू से बाहर 92° 41' पूर्व तथा 11° 29' उत्तर 92° 44'-45' पूर्व तथा 11° 30'-34' उत्तर एस.एस.डब्ल्यू. में 7 कि.मी. से 1 कि.मी. चौडा एन.एन.ई.बेल्ट

मेक फेरशन स्ट्रेट, 4 कि.मी.2

चिड्याटापू से रंगाचांग

स्थिति - 3 हैवलॉक द्वीप से बाहर बियरिंग्स 92° 55'-57' पूर्व तथा 12° 01'-03' उत्तर 92° 55'-57' पूर्व तथा 12° 04'-06' उत्तर 13 **कि.** मी. 2 92° 55'-59' पूर्व तथा 11° 56'-59' उत्तर हैवलॉक के दक्षिण पश्चिम, 8 कि.मी.2, 0.9 कि.मी. चौड़ा बेल्ट में

मेलविले प्वाइंट से स्टोबी 13 कि.मी.2

स्टोवी के उत्तर, निकोलशन द्वीप का उत्तर

मेलविल प्वाइंट के दक्षिण में

(बी) मध्य अण्डमान स्थिति-1 रंगत वे से बाहर बियरिंग्स 92° 59'-93° 02' पूर्व तथा 12° 25'-28' उत्तर रंगत बे से बाहर, 29 कि.मी.²

92° 59'-93° 01' पूर्व तथा 12° 30'-35' उत्तर 92° 59'-93° 01' पूर्व तथा 12° 35'-40' उत्तर तथा 92° 59'-93° 01' पूर्व तथा 12° 20'-25' उत्तर

रंगत बे के उत्तर में, 32 कि.मी.<sup>2</sup>
रंगत बे के उत्तर में, 24 कि.मी.<sup>2</sup>
रंगत बे के दक्षिण में, 32 कि.मी.<sup>2</sup>

स्थिति - 2, मायाबन्दर से बाहर बियरिंग्स 92° 56'-59' पूर्व तथा 12° 53'-55' उत्तर तथा 92° 57'-59' पूर्व तथा 12° 45'-52' उत्तर

मायाबन्दर बे के बाहर, 19 कि.मी.<sup>2</sup> मायाबन्दर बे के दक्षिण में 29 कि.मी.<sup>2</sup>

(सी) उत्तर अण्डमान स्थिति - 1, डिगलीपुर, ऐरियल बे से बाहर बियरिंग्स 93° 04' पूर्व तथा 13° 17' उत्तर तथा 93° 04'-05' पूर्व तथा 13° 11'-16' उत्तर में 9 कि.मी.²

ऐरियल बे, 1 कि.मी.<sup>2</sup> ऐरियल बे के दक्षिण, 1 कि.मी. चौड़ा बेल्ट

ह./-प्रो. रामचन्द्र गणेश कापसे उप राज्यपाल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमृह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर ह./-(अब्दुल अजीज) सहायक सचिव(मत्स्य)

## अनुसूची-VI नियम 16(क) देखें

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से बाहर मछली तथा मत्स्य उत्पादों को लाने-ले जाने के लिए मत्स्य निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी की निर्धारित दरें

ए)	शार्क फिन्स	रु. 50.00 प्रति कि.ग्रा.
बी)	झीगा, श्रीम्प्स, लोब्सटर, केकड़ा (ठंडा∕जमा <b>हु</b> आ)	रु. 05.00 प्रति कि.ग्रा.
सी)	क्रस्टासियन्स, स्नेपरस तथा ग्रुपर सहित सभी जीवित मछलियाँ (जायन्ट ग्रुपर ''एपनिफेलस लानसियोलेटस'' को छोड़कर जिनका वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत शिकार करना मना है)	रु. 05.00 प्रति कि.ग्रा.
डी)	सभी अन्य मछलियाँ (साल्टड/ठंडा/जमा हुआ)	रु. 1.00 प्रति कि.ग्रा.
<u></u> \$)	श्रीम्य नौपली	रु. 6,000.00 प्रति मिलियन
एफ)	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत न शामिल की गई समुद्री सीपी की कोई भी प्रजाति, कच्चे रूप में	रु. 10.00 प्रति कि.ग्रा.

(2) 100% निर्यात उन्मुख इकाईयाँ, जिनके पास मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसोसिंग जोन (एम.ई.पी.जेड) द्वारा जारी वैध ग्रीन कार्ड है तथा इन द्वीपों में स्थापना अथवा परियोजना केन्द्र है, को रॉयल्टी के भुगतान में छूट होगी । तथापि, इस प्रकार के इकाइयों को निर्यात खेप का विवरण जमा करके खेप के आधार पर मत्स्य निर्देशक से 'अनापित प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा ।

ह./-प्रो. रामचन्द्र गणेश कापसे उप राज्यपाल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> ह./-(अब्दुल अजीज) सहायक सचिव (मत्स्य)